खंड 2

विद्यालयी शिक्षा का स्वरुप और प्रबंधन

खण्ड 2 विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप एवं प्रबन्धन

खण्ड परिचय

पाठ्यक्रम ''शिक्षा का स्वरूप एवं प्रबन्धन'' के खण्ड –दो में आपका स्वागत है। इस खंड की संकल्पना आपको भारत में विद्यालयी शिक्षा के विस्तार से परिचित कराने के लिए की गयी है। इस खंड में होने वाली चर्चा आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में भारत में विद्यालयी शिक्षा की संरचना को समझने में मदद करने के साथ ही सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हो रहे सरकारी प्रयासों को भी आपको जोडेगी इस खंड की इकाईयाँ आपको पूर्व–प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च–माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा का स्वरूप समझने में सहायक होंगी। केन्द्र, राज्य, ज़िला और स्थानीय निकायों की भूमिका विविध स्तरों पर प्रबन्धन में स्पष्ट की जायेगी। इकाईयाँ विभिन्न प्रकार के विद्यालय तंत्रों की भूमिका एवं प्रवेश के साथ–साथ विद्यालयी शिक्षा में व्यासायीकरण के लिए प्रावधानों, नीतियों और प्रस्तावों का परीक्षण भी करेंगी। इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है :

इकाई 5 ''भारत में विद्यालयी शिक्षा : एक अवलोकन'', औपचारिक तथा निरौपचारिक क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा से प्रारम्भ होती है। इकाई, साथ ही विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न वैकल्पिक प्रतिमानों का विश्लेसण भी करती है। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने में सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थानों, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम, अनौपचारिक शिक्षा व अन्य शैक्षिक पहलों का विश्लेषण भी किया गया है।

इकाई 6 जिसका शीर्षक **''पूर्व–प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा''** है, पूर्व–प्राथमिक एंव प्रारम्भिक स्तर पर संस्थागत स्वरूपों एवं प्रबन्धन की चर्चा करती है। विद्यालय शिक्षा के विविध नियामक निकायों की भूमिका एंव प्रकार्यो की चर्चा इस इकाई में है। विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, जैसे–सर्व शिक्षा अभियान, प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा पूर्व–प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में हुआ नयी पहलों की चर्चा भी इकाई में की गई है।

इकाई 7 का केन्द्र **"माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक शिक्षा"** है। इकाई भी माध्यमिक एंव उच्चमाध्यमिक स्तर (केन्द्र तथा राज्य) पर संस्थागत स्वरूप एवं प्रबन्धन के तरीके पर चर्चा से प्रारम्भ होती है। इकाई में माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न नियामक निकायों की भूमिका एंव प्रकार्यो की चर्चा की गई है। इकाई माध्यमिक स्तर हेतु विविध योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों हेतु से समावेशी शिक्षा, साक्षर भारत, केन्द्र पोषित योजनाएं जैसे नवोदय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय की भी चर्चा भी करती है।

इकाई 8 'व्यावसायिक एंव तकनीकी शिक्षा' भारत में विद्यालयी शिक्षा के व्यवसायिक को समर्पित है। इकाई में व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की उपयोगिता एंव महत्व को उल्लेखित किया गया है। कौशल विकास के क्षेत्र में एन.आइ.ओ.एस. की भूमिका की चर्चा की गई है। विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायिकीकरण के लिए केन्द्र एंव राज्य की विविध योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। कौशल विकास में समाज का योगदान, उद्योगों की भूमिका तथा विद्यालय से उनका सम्बन्ध, आदि पर चर्चा आपको भारत में विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक एंव तकनीकी शिक्षा में वर्तमान स्तर को समझने में सहायक होगी।

इकाई 5 भारत में विद्यालयी शिक्षा : एक अवलोकन

इकाई संरचना

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 विद्यालयी शिक्षा की संरचना

5.4 विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक प्रतिमान

5.5 विद्यालयी शिक्षा की मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम व्यवस्था

5.6 सबके लिए गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक पहलें

5.7 सारांश

5.8 इकाई अंत अभ्यास

5.9 संदर्भ सूी एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

5.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.1 प्रस्तावना

आप इस बात से सहमत होंगे कि विद्यालय समुदाय की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विद्यालयी शिक्षा में औपचारिक रूप से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्मिलित है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यालयी शिक्षा की एक नई संरचना प्रस्तावित की है और विद्यालयी व्यवस्था में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में 10+2 संरचना भी 5+3+3+4 में बदलने वाली है अर्थात् आधारभूत, आरम्भिक, मुख्य और माध्यमिक। जैसे कि 72वें संविधान संसोधन 1976 में कहा गया है, अर्थात् राज्य और केन्द्र दोनों की ज़िम्मेदारी है। अतः दोनों को ही मिलकर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयों (केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित) और निजी विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है, यह इकाई विद्यालयी शिक्षा की वर्तमान संरचना पर ही फोकस नहीं करेगी, अपितु विद्यालयी शिक्षा के लिए उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश डालेगी, मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओ.डी.एल.) एवं अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका की चर्चा भी विस्तार से की जाएगी। सबके लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के विभिन्न प्रावधानों और अभ्यासों की चर्चा भी इस इकाई में की जाएगी।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- विद्यालयी शिक्षा की वर्तमान संरचना का वर्णन करने में,
- विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक प्रतिमानों की व्याख्या करने में,
- विद्यालयी शिक्षा के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के विषय में बताने में,
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर करने में, और
- सबके लिए शिक्षा हेतु की गई विविध पहलों का उल्लेख करने में।

5.3 विद्यालयी शिक्षा की संरचना

विद्यालयी शिक्षा की संरचना विद्यालय स्तर पर शिक्षा की सीढ़ी को संदर्भित करती है, जिसमें भारत की सम्पूर्ण विद्यालयी शिक्षा संगठित है।

वर्तमान में प्रचलित 10+2 की संरचना शिक्षा आयोग (1961–66) जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। अनुशंसा पर आधारित है। शिक्षा से राष्ट्रीय नीति 1968 में वर्ष यही प्रावधान था। विद्यालयी शिक्षा के 12 वर्ष, चार स्तरों प्राथमिक (1–5), उच्च प्राथमिक (6–8), माध्यमिक (9–10) और उच्च वरिष्ठ माध्यमिक (11–12) में बंटे हैं।

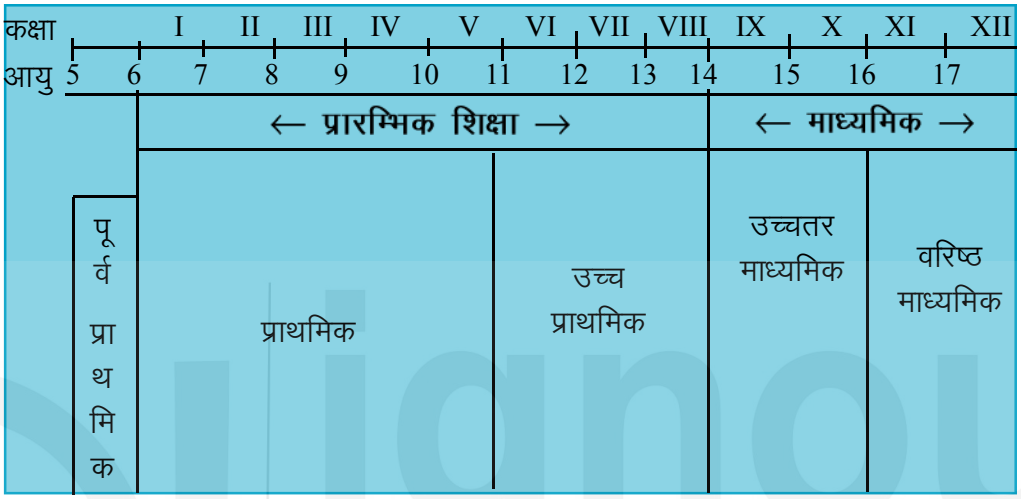

चित्र 5.1: भारत में शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था

यदि भारत में विद्यालयी शिक्षा की संख्या देंखे, तो स्वतंत्रता के बाद कई आयोगों और समितियों ने भारत में विद्यालयी–शिक्षा की संरचना के संबंध में कई संस्तुतियाँ दी। यहाँ संक्षेप में एक सारिणी दी जा रही है।

कमीशन/कमेटी	वर्ष	प्रमुख संस्तुतियाँ
विश्वविद्यालय आयोग	1948–1949	कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के 10+2+3 शिक्षा–संरचना के विचार की पुनरावृत्ति।
नरेन्द्र देव समिति	1952–1953	XII कक्षा को स्नातक के साथ और IX, X, XI कक्षाओं को उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के साथ जोड़ा जाय।
मध्यमिक शिक्षा कमीशन	1952–1953	• 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बाँटा जाए : जूनियर हाई–विद्यालय 3 वर्ष और हाई–विद्यालय 4 वर्ष के लिए। • माध्यमिक शिक्षा को XI कक्षा तक जारी रखा जाय। • कक्षा XII को स्नातक के साथ जोड़ा जाय। • एक नया शिक्षा अनुक्रम प्रस्तुत किया : 8+3+3, अर्थात् 8 वर्ष विद्यालय स्तर, 2 वर्ष की जूनियर कक्षाएं और 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक कक्षाएँ।

शिक्षा आयोग	1964–1966	• देश में एक समान शैक्षिक संरचना : 10+2+3 शैक्षिक संरचना। • प्राथमिक शिक्षा 7–8 वर्ष और जूनियर हाईविद्यालय या सीनियर हाई–विद्यालय 2–3 वर्ष अवधि की होनी चाहिए। • 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप दस्तावेज	1979	• 10+2+3 के स्थान पर 8+4+3 शैक्षिक संरचना जो भारत सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित थी। • 8 वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा जिसमें सामान्य और व्यावसायिक पक्ष होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ने 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना की संस्तुति की है जिसमें प्रारंभ के 5 वर्ष बुनियादी स्तर कहलाते हैं। इसमें पूर्व–प्राथमिक और कक्षा 1 एवं 2 है (3–8 वर्ष की आयु) सम्मिलित हैं। स्तर 2 तीन वर्ष का है जो तैयारी की अवस्था कहलाती है (कक्षा 3–5 तक) अर्थात 8–11 वर्ष तक की आयु। स्तर 3 मध्य–स्तर कहलाता है जिसे कक्षा 6,7 एवं 8 सम्मिलित हैं। चौथा स्तर माध्यमिक कहलाता है जिसमें कक्षा 9–12 तक सम्मिलित है। यह विद्यालयी शिक्षा के न केवल संरचना में बल्कि नियोजन, प्रबंधन और कार्यान्वयन में भी प्रमुख परिवर्तन लाएगा।

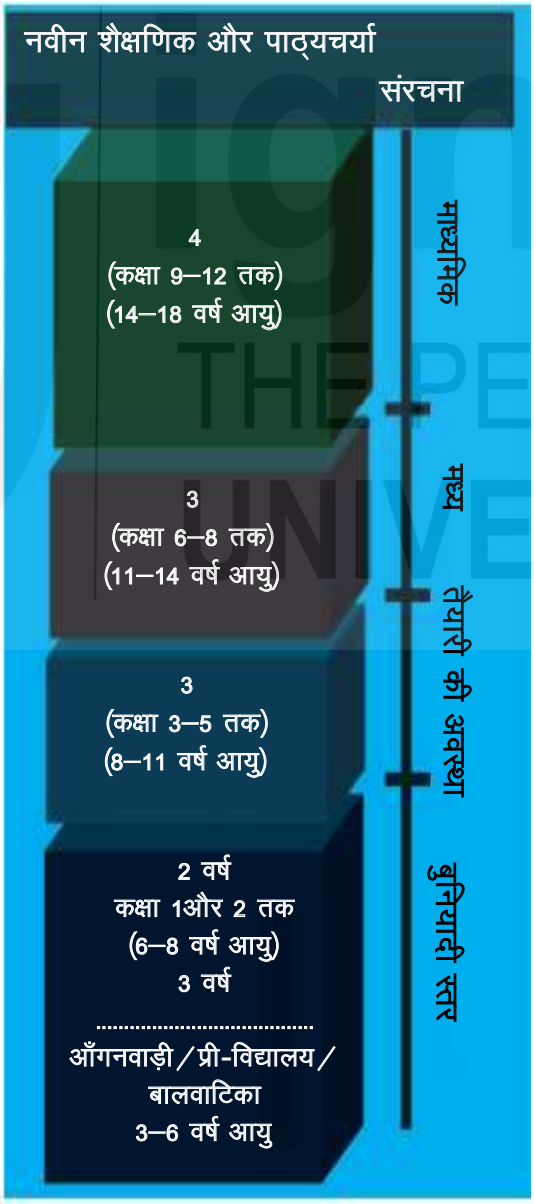

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में पहली बार पूर्व–बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को औपचारिक विद्यालय संरचना का अंग बनाया गया है, जिसमें भौतिक आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षित मानव संसाधन को सुनिश्चित करने के लिए एक तात्कालिक कार्य–प्रणाली की आवश्यकता है।

संगठनात्मक–संरचना

विद्यालयी–शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य दोनों पर है। विभिन्न स्तरों अर्थात् केन्द्र, राज्य, ज़िला, प्रखण्ड और गाँव के स्तरों पर शिक्षा की एक संगठनात्मक संरचना का विकास किया गया है।

केन्द्र स्तर : केन्द्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के प्रबंध हेतु शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव–संसाधन विकास मंत्रालय) एक प्रमुख संस्था है। एम.एच.आर.डी. में विद्यालयी शिक्षा विभाग शिक्षा–संबंधी विषयों के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न संगठन और संस्थाएं जैसे– सी. बी.एस.ई., के वी.एस., एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ओ.एस., एन.वी.एस. आदि विद्यालयी शिक्षा संबंधी विषयों पर केन्द्र सरकार को सहायता और सलाह प्रदान करती है।

राज्य–स्तर : राज्य स्तर पर राज्य का शिक्षा मंत्रालय राज्य की शिक्षा का अवलोकन करता है। मंत्री के अधीन विद्यालयी शिक्षा के प्रबंध हेतु निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, ज़िला शिक्षा कार्यालय नगरपालिका, प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय और ग्राम शिक्षा समिति है। राज्य स्तरीय संगठनों में एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई. आदि भी सम्मिलित हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा मुक्त संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) और राज्य स्तर पर राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एस.आई.ओ.एस.) द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। एन.आई.ओ.एस. विद्यालय स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे– फाउंडेशन कोर्स (कक्षा VIII), माध्यमिक कोर्स (कक्षा X) आदि संचालित करता है। इसकी चर्चा इकाई 7 में विस्तार से की जाएगी।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विद्यालयी संरचना को लेकर माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग को संस्तुतियों में क्या भिन्नता थी?

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत की वर्तमान शैक्षिक संरचना क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

5.4 विद्यालयी–शिक्षा के वैकल्पिक प्रतिमान

भारत में 'वैकल्पिक विद्यालय' वे विद्यालय हैं जो औपचारिक संरचना, विद्यालयी अनुक्रम या पाठ्य–पुस्तक आधारित शिक्षा पर संचालित नहीं होते। विद्यालयी शिक्षा को औपचारिक प्रणाली से निरंतर असंतुष्टि के कारण कई दार्शनिकों, चिंतकों और शिक्षाविदों ने विद्यालयी शिक्षा का वैकल्पिक प्रतिमानों को प्रस्तावित किया। भारत में हम टैगोर, श्री अरबिंद, जिद्दूकृष्णमूर्ति, आदि द्वारा आरंभ किए गए विद्यालयों को देख सकते हैं। वैकल्पिक

विद्यालयी–शिक्षा का विचार और प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण उनका लचीलापन, शिक्षार्थी–केन्द्रिता और संक्षेप में यह कि इसमें शिक्षण के तरीके औपचारिक से बेहतर हैं। यद्यपि वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न प्रतिमान है, परन्तु इनमें एक सामान्य बात यह है कि ऐसे सभी तंत्र रटने वाले अधिगम को दूर करके अनुभवात्मक युक्तियों की ओर ले जाते हैं। ऐसे विद्यालयों में पाठ्यक्रम का निरूपण विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुकूल होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये विद्यालय मात्र उनके लिए हैं जो औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने में असमर्थ हैं, जिसके कुछ कारण है : विद्यालय छूट जाए या दिव्यांगता, आदि, परंतु ये उनके लिए भी हैं जो अपनी रूचि के अनुसार पढ़ना चाहते है, न कि बाध्यता से। संक्षेप में वैकल्पिक विद्यालय जोखिम उठाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पारंपरिक विद्यालय व्यवस्था में नहीं हो पाती। विद्यालयी–शिक्षा के विभिन्न वैकल्पिक प्रतिमान निम्नलिखित हैं :

रविवार विद्यालय (संडे विद्यालय)

संडे विद्यालय एक ऐसा शैक्षिक संस्थान है जो इसाइयों द्वारा बच्चों और युवाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। साधरणतया यह चर्च से संबंधित होता है। प्रथम संडे विद्यालय ग्लाउसेस्टर में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए सन् 1780 में स्थापित किया गया।

संस्कृत पाठशाला

संस्कृत पाठशाला संस्कृत विद्यालय हैं, जो संस्कृत में हाई–विद्यालय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते है। ये स्वतंत्र आवासीय विद्यालय हैं।

आश्रम विद्यालय

इनकी स्थापना वर्ष 1990–1991 में हुई। आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय है, जो जनजाति समूहों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं। यह केन्द्रीय योजना जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए निर्मित की गई है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.)

ये भी आवासीय विद्यालय हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों के जन–जातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करते है। एकलव्य विद्यालय, राज्य या सी.बी.एस.ई. से संबद्ध होते हैं। एकलव्य विद्यालय भारत सरकार के जन–जातीय मामलों के मंत्रालय का एक प्रयास है और इसकी स्थापना वर्ष 1997–1998 में हुई। एकलव्य विद्यालयों के प्रबंधन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार और संघीय क्षेत्रों की है।

मिराम्बिका (मुक्त प्रगति विद्यालय)

मिराम्बिका–फ्री प्रोग्रेस विद्यालय कक्षा X तक के लिए एक प्रयोगात्मक विद्यालय है। यह शिक्षा–निदेशालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा–संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह श्री अरबिंद आश्रम, नई दिल्ली के परिसर में स्थित है और विद्यालय श्री अरबिंद और मदर (माँ) के एकीकरण के दर्शन पर आधारित है। मिराम्बिका अधिगम और चिंतन के नए मार्गों को विकसित करने का एक प्रयास है। यह संरचित विद्यालयी पद्धति से बाहर है और आंतरिक विकास, स्वयं की खोज और आत्म–साक्षात्कार की स्वतंत्रता पर बल देता है। मिराम्बिका में अपनाए जा रहे शिक्षण सिद्धांत है : कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता और स्वयं के विकास में मस्तिष्क को ही परामर्श

लेना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि मिराम्बिका का शिक्षक अनुदेशक नहीं है बल्कि सहायक या मार्गदर्शक हैं। मिराम्बिका के पास पूर्व–निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यहाँ पाठ्यक्रम मुक्त–अंत वाला होता है न कि कठोरता से संरचित। मिरांबिका किसी भी अवस्था में परंपरागत परीक्षाएं संचालित नहीं करता। वर्ष में दो बार बच्चे की एक व्यक्ति के रूप में और एक समूह के अंग के रूप में रिपोर्ट अभिभावक के पास भेजी जाती है। यह आत्म–अनुशासन पर ज़ोर देता है। मिरांबिका में आत्म–गति और आत्म–नियंत्रण पर आधारित अधिगम पर बल दिया जाता है। कोई मानक पुस्तकें नहीं और कोई विद्यालय यूनिफार्म नहीं होना मिरांबिका की विशेषताएं हैं। यहाँ प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन नहीं किया जाता। बच्चों के अभिभावकों का चयन उनके बच्चों प्रवेश हेतु किया जाता है।

त्रिधा, मुंबई

भारत में वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा में त्रिधा सन् 2000 में स्थापित हुआ। यह विद्यार्थियों को खोज के अवसर प्रदान करता है। त्रिधा में विद्यार्थी विभिन्न कौशल सीखते हैं, जैसे बढ़ईगिरी, माली का काम आदि, यह अनुभव आधारित शिक्षा पर ज़ोर देता है। यहाँ नर्सरी से XII तक कक्षाएं चलती हैं। त्रिधा में स्टाइनर पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है जो विद्यार्थियों को आई.जी.सी.एस.ई. बोर्ड–परीक्षा अर्थात् इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेडंरी एजूकेशन की ओर ले जाता है।

यह तो कुछ ही उदाहरण हैं, यदि आप अपने आखभ्यास खोलेंगे तो कई वैकल्पिक विद्यालय आपको मिलेंगे। जैसाकि युक्ति, नाएडा में स्थिति है।

राजघाट बेसंट विद्यालय, वाराणसी, जो जे. कृष्णमूर्ति फाउन्डेशन चलाती है। **येलो ट्रेन विद्यालय, कोयंबटूर, द विद्यालय के एफ.आई., चेन्नई, सारंग, केरल, बी.मी. विद्यालय बंगलोर, लोकटक लेक विद्यालय, मणिपुर, स्मार्ट विद्यालय, महाराष्ट्र, द यूनीक लेवल फील्ड विद्यालय, पश्चिम बंगाल, वीणा वादिनी विद्यालय, मध्य प्रदेश, सैकमौल (एस.ई.सी.एम.ओ.एल.) लद्दाख, अनन्या** आदि।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) विद्यालयी शिक्षा के लिए कुछ वैकल्पिक मॉडल्स (आदर्श) को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) v) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ..... विद्यार्थियों के लिए है।

ब) प्रदर्शन पब्लिक विद्यालय ..... से संबद्ध हैं।

स) .....विद्यालय में विद्यार्थियों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है।

5.5 विद्यालयी शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ अधिगम व्यवस्था

मुक्त अधिगम एक ऐसा व्यापक शब्द है जो शिक्षा की उस प्रत्येक योजना को सम्मिलित करता है जिसमें अधिगम की आयु, समय स्थान आदि संबंधी बाधाओं को दूर करने का प्रयास होता है। दूर शिक्षा के अन्तर्गत सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न रूप सम्मिलित हैं जो व्याख्यान कक्षों में या एक ही परिसर में विद्यार्थियों के साथ उनके शिक्षकों के निरंतर पर्यवेक्षण के अधीन नहीं होते। परंतु वे फिर भी एक शैक्षिक संगठन के नियोजन, मार्गदर्शन और शिक्षण से लाभान्वित होते हैं। (होल्मबर्ग, 1979)

मेकेंजी, पोस्टगेट और सुफम (1975) ने दूरस्थ शिक्षा के लिए मुक्त अधिगम शब्द का उपयोग किया। उनके अनुसार मुक्त अधिगम प्रणाली का निरूपण अंशकालीन अध्ययन के लिए, दूर स्थान पर अधिगम के लिए और पाठ्यक्रम में नवाचारों के लिए अवसर प्रदान करने हेतु किया गया है। ये प्रौढ़ जनसंख्या के अधिकांश भाग को पहुँच प्रदान करने, विद्यार्थियों को भूतकाल में उनके खोए हुए अवसरों की क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम बनाने या भविष्य के लिए नए कौशल और योग्यताएं अर्जित करने हेतु अभिप्रेत हैं।

यद्यपि दूर–शिक्षा और मुक्त अधिगम शब्दों का उपयोग प्रायः एक–दूसरे के स्थान पर किया जाता है, परंतु दोनों के बीच में अंतर है। दूरस्थ शिक्षा भौगोलिक सीमाओं मे ंबंधी है, जब कि मुक्त अधिगम नहीं। दूरस्थ शिक्षा के एक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता हो सकती है, परंतु मुक्त अधिगम में किसी पाठ्यक्रम के लिए इस प्रकार की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। अर्थात् कोई प्रारंभिक योग्यता और अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। दूरस्थ–शिक्षा की तुलना में मुक्त–अधिगम सापेक्षिक रूप से अधिक लचीला है। दूरस्थ–शिक्षा अधिगम का एक साधन है जब कि मुक्त अधिगम सीखने का एक अवसर है।

मुक्त विद्यालय एक नियमित उपस्थिति से मुक्त प्रणाली हैं, जो एक विद्यालय और समयबद्ध कार्यक्रमों में आवश्यक है। मुक्त विद्यालय उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से विद्यालय में उपस्थित रहने में असमर्थ हैं और अपनी विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए आयु व समय–सीमा के परे कार्यक्रमों के चयन में मांग पर परीक्षा की व्यवस्था करने न कि कक्षा में उपस्थित न रहने के कारण, लचीलापन प्रदान करता है। मुक्त विद्यालयी शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है जो स्वतंत्र रूप से अच्छी प्रकार कार्य कर सकते हैं और उनके लिए जो कार्य को टालते नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक मुक्त–विद्यालय है– 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान' (एन.आई.ओ. एस.) जिसके राज्य स्तर पर क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.)

इसकी स्थापना नवम्बर 1989 में हुई। एम.एच.आर.डी., भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसरण में इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। प्रारम्भ में यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन.ओ.एस.) के रूप में जाना जाता था। इसका प्रधान कार्यालय नोएडा में है। सबके लिए शिक्षा, समता और समाजिक न्याय तथा सीखने वाले समाज का विकास, एन.आई.ओ.एस. का मूलमंत्र है। एन.आई.ओ.एस. का मूल उद्देश्य इच्छुक शिक्षार्थियों को सतत् और विकासशील शिक्षा के अवसर पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों द्वारा प्रदान करना है। साक्षरता में वृद्धि हेतु इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना है और आगे लचीला अधिगम भी इसका एक लक्ष्य है।

एन.आई.ओ.एस. मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है जिसमें तीन पाठ्यक्रम सम्मिलित है :

- ओ.बी.ई.'ए'. स्तर पाठ्यक्रम– कक्षा III के बराबर/समकक्ष
- ओ.बी.ई.'बी'. स्तर पाठ्यक्रम– कक्षा V के समकक्ष
- ओ.बी.ई.'सी'. स्तर पाठ्यक्रम– कक्षा VI के समकक्ष

यह पाठ्यक्रम उनके लिए है जिन्होंने 4–5 वर्ष की प्राथमिक–शिक्षा पूर्ण कर ली है। यह कक्षा VIII के बराबर है। यह एन.आई.ओ.एस. में माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए एक ब्रिज–कोर्स है। कोई परीक्षा नहीं होती। अतः कोई अंक या प्रमाण–पत्र प्रदान नहीं किए जाते।

- **माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम –** कक्षा X के समकक्ष। यह उनके लिए है जो कक्षा X की शिक्षा को पूर्ण करने के इच्छुक हैं।
- **उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम** – कक्षा XII के समकक्ष। यह पाठ्यक्रम उनके लिए है जो कक्षा X पास कर चुके हैं और कक्षा XII की शिक्षा जारी रखना चाहते हैं।
- **व्यावसायिक–शिक्षा पाठ्यक्रम** – माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम है : कारपेन्ट्री, बेकरी, कन्फेक्शनरी, टाइपराइटिंग, सोलर इनर्जी टैक्नीषियन, बायो गैस इनर्जी टैक्नीषियन आदि। उच्च माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध पाठ्यक्रम है– हाउस कीपिंग, स्टेनोग्राफी, सेक्रिटेरियल प्रेक्टिस, केटरिंग, फूड फ्रेसेसिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, आदि।
- **मुक्त प्रारंभिक शिक्षा**– यह विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए है।

एन.आई.ओ.एस., सी.बी.एस.ई. और सी.आई.एस.सी.ई. के समान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए परीक्षा का संचालन करती है। यह वर्ष में दो बार मार्च–मई और सितंबर–नवंबर में परीक्षा का संचालन करती है। अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नौ अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए एन.आई.ओ.एस. ने मुक्त शैक्षिक संसाधनों की पहल की है जो उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है जो ओ.डी.एल. माध्यम द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। एन.आई.ओ.एस. अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स–सामग्री भी प्रदान करता है।

कुछ राज्यों में इसी प्रतिसाप पर आधारित राज्य मुक्त विद्यालयी संस्थान भी कार्य कर रहे हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा में अंतर कीजिए।

.....

.....

.....

.....

6) एन.आई.ओ.एस. की स्थापना कब हुई?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) एन.आई.ओ.एस. के उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

5.8 सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक पहल

भारत में सबके लिए शिक्षा का अर्थ है– सभी बच्चों के लिए विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सबके लिए शिक्षा की आवधारणा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार भी था। प्राचीन भारतीय शिक्षविदों ने प्रसरित किया कि शिक्षा को संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के लिए होना चाहिए न कि समाज के कुछ अंश के लिए। भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है– 'सबके लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना' संविधान के **अनुच्छेद 29(1)** के अनुसार ***''किसी भी नागरिक को मात्र धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर किसी शैक्षिक संस्थान में जो राज्य द्वारा चल रहा हो या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो, प्रवेश हेतु अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।''*** देश में शैक्षिक अवसरों को सीमित रखने की प्रवृत्ति के प्रसार के कारण 'सबके लिए शिक्षा' उच्च चिंता का विषय बन गया है। समाज के पूर्व–नेताओं में सभी व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए उत्साह और उत्तेजकता की कमी रही। फिर भी कुछ समय के बाद यह सामान्य दृष्टिकोण बदला और सबको शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में विभिन्न प्रयास किए गए। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक पहलों के रूप में विभिन्न कदम उठाए गए। आर्थिक और सामाजिक विकास तभी संभव है जब शिक्षा में परिवर्तन और वृद्धि हो। इसलिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया। आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के लिए जन साक्षरता एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार सार्वभौमिक प्रारंभिक–शिक्षा (यू.ई.ई.) को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। इसक फलस्वरूप ''सबके लिए शिक्षा'' परियोजना का निर्माण हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए और प्रत्येक बच्चे को सार्वभौम प्रावधान, सार्वभौम नामांकन एवं सार्वभौम धारण द्वारा सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने क प्रयास किए गए।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) : एकीकृत बाल विकास सेवा एक कार्यक्रम है, जिसने अति संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चो (6 वर्ष से नीचे) तक सीधे पहुँचने और अनौपचारिक पूर्व–विद्यालयी शिक्षा द्वारा बाल्यावस्था–पूर्व शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

बाल्यावस्था–पूर्व शिक्षा योजना : इस योजना का प्रारंभ प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच में विद्यालय छोड़ने की दर कम करने और अवधारण दर सुधारने के लिए एक रणनीति के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। इस योजना में स्वयं–सेवी संगठनों को समाज के सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय–पूर्व शिक्षा केंद्रों के संचालन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

गेर-सरकारी संगठन : कई गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के उत्थान के लिए कार्य किया। एन.जी.ओ. जैसे : स्माइल फाउंडेशन, प्रथम, नन्हीं कली परियोजना, रिलीफ इंडिया ट्रस्ट, प्लान इंडिया और क्वालीटरेट मूवमेंट, आदि सभी ने समाज के वंचित और अपवंचित बच्चों को शिक्षा की ओर अभिप्रेरित करने के लिए सक्रिय उपाय किए।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा : 'सबके लिए शिक्षा' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य–योजना 1992 के अनुसरण में एक केन्द्र–प्रायोजित योजना 1993–1994 में लागू की गई : ''शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र–गहन कार्यक्रम की योजना''। इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों मे मूलभूत शैक्षिक आधारभूत ढ़ाँचा और सुविधाएं प्रदान करना था, जहाँ पर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक थी और वहाँ पर प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों हेतु उपयुक्त प्रावधान नहीं था। इस योजना के अन्तर्गत नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भौति सुविधाओं को मजबूत करने एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए बहु–विषयक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए सहायता प्रदान की गई।

अनौपचारिक शिक्षा : अनौपचारिक शिक्षा का विकास औपचारिक विद्यालय प्रणाली के विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में हुआ। 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में औपचारिक विद्यालय प्रणाली ने करोड़ों ग्रामीण और शहरी गरीब बच्चों को बाहर छोड़ दिया, जो विभिन्न कारणों से पूर्णकालिक दिवसीय विद्यालयों में उपस्थित होने में असमर्थ थे। अतः सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा की एक व्यवहार्य वैकल्पिक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सन् 1988 में केन्द्र सरकार की सहायता से पूरे देश के दस शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में, शहरी झुग्गीबस्तियों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा की एक पूर्ण योजना प्रारंभ हुई। सन् 1988 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनौपचारिक शिक्षा की योजना एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के रूप में निर्मित होने के साथ ही एन.सी.ई.आर.टी. में अनौपचारिक शिक्षा का एक पूर्ण विभाग स्थापित किया गया और अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के विकल्प के रूप में स्वीकृत हो गई। वर्ष 1995 में इस विभाग को अनौपचारिक और वैकल्पिक विद्यालयी–शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्नामित किया गया। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का एक संगठित कार्यक्रम है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और रूचियों पर ज़ोर देती है और अधिगम हेतु संसाधन एवं सहायता प्रदान करती है।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) : यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका मुख्य ज़ोर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर है। यह नवंबर 1994 में आरंभ किया गया। यह प्राथमिक शिक्षा के विकास का एक समग्र विचार रखता है और ज़िला आधारित नियोजन, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी–प्रक्रियाएं, सामुदायिक संचालन, सभी स्तरों पर सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण पर विशेष ज़ोर देता है। कार्यक्रम के मूल उद्देश्य थे : सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की पहुँच प्रदान करना, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर को 10% से कम तक लाना, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धि में 25% की वृद्धि करना और जैंडर (पुरुष–महिला) एवं सामाजिक समूहों के बीच अंतर को कम करना।

मध्याह्न–भोजन (मिड डे मील)

मध्याह्न योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में वेक्टर ह्यूगो द्वारा किया गया। वहाँ इसे नून मील स्कीम कहा जाता था। बाद में इसे जापान, इंग्लैंड, आयरलैंड, इंडोनेशिया और भारत द्वारा अपनाया गया। भारत में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ के कामराज द्वारा 1956 में किया गया, परन्तु यह योजना मात्र मद्रास तक ही सीमित थी। के. कामराज को भारत में मध्याह्न भोजन योजना का पिता भी कहा जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना या प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम (नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजूकेशन) को 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में उपस्थित होने वाले बच्चों की पोषहार की आवश्यकताओं की संपूर्ति द्वारा उनके नामांकन, धारण और उपस्थिति में वृद्धि और विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाकर प्रारंभिक शिक्षा क सार्वभौमीकरण के प्रोत्साहन देना था। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा I-V तक के सभी बच्चों के लिए जो कक्षा में उपस्थित होते हैं, विद्यालय के प्रत्येक दिन पोषक और पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन प्रदान करने का प्रावधान था। इस योजना में अनाज की कीमत के लिए 100% सहायता केन्द्र द्वारा प्रदत्त है। अनाज को पकाने का व्यय राज्य–सरकार, स्थानीय निकाय और समुदाय द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना में पूरे देश के सभी बच्चे जो सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता–प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत है, सम्मिलित हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों के बच्चे भी इसमें शामिल हैं।

सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

सर्वशिक्षा अभियान भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा सन् 2000–2001 में, आरंभ किया गया यह कार्यक्रम तभी से संचालित है। एस.एस.ए. देश भर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादि शिक्षा की मांग का प्रत्युत्तर है। एस.एस.ए. का उद्देश्य–बच्चों में मूल्य आधारित अधिगम के साथ 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यह प्रारंभिक शिक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत संरचना प्रदान करता है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए इस योजना में बजट का प्रावधान भी है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (के.जी.बी.वी.वाई.) : भारत–सरकार द्वारा यह योजना एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा हेतु सन् 2004 में आरंभ की गई, इस योजना के अन्तर्गत आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। प्रारंभ में यह योजना सर्वशिक्षा अभियान, महिला समाख्या योजना और बालिकाओं के लिए प्राथमिक–शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहभागिता में शुरू की गई, परंतु अप्रैल 2007 में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अभिन्न अंग का स्थान दे दिया गया। के.जी.बी.वी.वाई. का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वंचित वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) 2009 में माध्यमिक शिक्षा में पहुँच और गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत–सरकार द्वारा आरंभ किया। इसका लक्ष्य प्रत्येक 5 किमी. की दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना है। आर.एम.एस.ए. का प्रयास माध्यमिक–शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थियों की जैंडर, सामाजिक–आर्थिक और अक्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करना है। सन् 2017 तक माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना इसका लक्ष्य था। आर.एम.एस.ए. द्वारा भारत सरकार का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना था।

शिक्षा का अधिकार : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और इसका कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2010 से हुआ। आर.टी.ई. एक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(A) के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्त्व के तरीकों को बताता है। इस अधिनियम के कारण भारत उन देशों में से एक बन गया जो 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को उसका मूल अधिकार बनाते हैं। 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के अतिरिक्त यह अधिनियम प्रारंभिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानदंड भी स्पष्ट करता है। इस अधिनियम के अनुसार सभी निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) गरीब और अन्य वर्गों के बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित रखेंगे। अधिनियम प्रास्तावित करता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी बच्चे को कक्षा में वापस रखना, बाहर निकालना या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होंगी। इस अधिनियम में विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को उनकी समान उम्र के विद्यार्थियों के समकक्ष तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान भी है।

पढ़े भारत–बढ़े भारत – एस.एस.ए. के अन्तर्गत यह नवीनतम पहल है, जिसे सन् 2014 में लागू किया गया। इसमें जुड़वा ट्रैक उपागम है, जो भाषा और गणित पर ज़ोर देता है–

- **ई.आर.डब्लू.सी. (अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कम्प्रीहेंशन):**
  पढ़ने और लिखने में रूचि विकसित करके भाषा विकास में सुधार करना।
- **ई.एम. (अर्ली मैथेमेटिक्स)** : भौतिक और सामाजिक वातावरण के संबंध में गणित में वास्तविक और सकारात्मक रूचि का सृजन।

शिक्षाकर्मी परियोजना : यह परियोजना राजस्थान में सन् 1987 से क्रियान्वित है। परियोजना को स्वीडिश इंटरनेशनल ऑथोरिटी (एस.आई.डी.ए.) द्वारा सहायता प्राप्त है। शिक्षाकर्मी परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के सुदूर और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों

में, बालिकाओं पर प्रमुख ज़ोर देकर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और गुणात्मक विकास करना है। यू.ई.ई. की प्राप्ति में पाई गई प्रमुख बाधा शिक्षक अनुपस्थिति थी। अतः परियोजना का उद्देश्य है – एकल शिक्षक विद्यालयों में स्थानीय युवाओं द्वारा शिक्षकों को प्रतिस्थापित करना। इन्हें शिक्षाकर्मी कहा जाता है जिन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और पर्यवेक्षण की सहायता भी दी जाती है। परियोजना द्वारा बच्चों के नामांकन और उपस्थिति के सार्वभौमीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान किया गया है।

बिहार शिक्षा परियोजना : बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1991 में बिहार शिक्षा परियोजना को लागू किया गया। परियोजना का ज़ोर समाज के वंचित वर्गों : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है। परियोजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए इसमें स्थानीय समुदाय और ग्राम–शिक्षा समिति की भागीदारी सम्मिलित है। परियोजना में गैर–सरकारी तथा अन्य संगठनों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान भी है और परियोजना शिक्षक प्रशिक्षण पर भी बल देती है।

लोक जुंबिश परियोजना : केन्द्र द्वारा प्रायोजित लोक जुंबिश परियोजना का अर्थ सबके लिए शिक्षा हेतु 'जन–आन्दोलन' है जिसका उद्देश्य राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का विकास है। यह राजस्थान सरकार और स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग की एक संयुक्त पहल है। यह भारत में ग्रामीण शिक्षा की परियोजनाओं में से एक है। परियोजना का क्रियान्वयन एक पंजीकृत संस्था लोक जुंबिश द्वारा किया गया है। लोक जुंबिश परियोजना का मूल उद्देश्य जन–सहभागिता और संचालन द्वारा राजस्थान में 2020 तक सबके लिए शिक्षा की प्राप्ति लोक जुंबिश परियोजना के मार्गदर्शक सिद्धांत है : उत्पाद उपागम के स्थान पर प्रक्रिया उपागम, सरकारी संस्थाओं, शिक्षकों, एन.जी.ओ, ग्रामीण–जन, आदि की भागीदारी, विकेन्द्रीकृत कार्य पद्धति, प्रतिभागिता, अधिगम, मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकरण, प्रबंधन का लचीलापन और गुणवत्ता एवं मिशन मोड के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्व का विभिन्न स्तरों पर सृजन इस परियोजना में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वातावरण निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। लोक जुंबिश परियोजना के प्रभाव के रूप में ग्रामीण विद्यालयों में सभी शैक्षिक–गतिविधियों की जिम्मेदारी साझा करने में ग्रामीण समुदाय को सम्मिलित किया जाता है।

शैक्षिक सत्र 2016 में झारखंड विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड के सभी विद्यालयों में कक्षा 9–12 की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें, अभ्यास–पुस्तिकाएं और गणवेश प्रदान करना सुनिश्चित किया। इसी प्रकार गुड़गाँव के ज़िला प्रशासक ने 'मेरी लाडो करे पढ़ाई' पहल के अन्तर्गत कक्षा 9–12 तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

8) स्वतंत्रता के बाद सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रमुख पहलों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

12) विद्यालय स्तर पर महिलाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहलों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

13) अ) लोक जुंबिश लागू हुआ ..... में

ब) पढ़े भारत, बढ़े भारत लागू हुआ ..... में

स) आर.टी.ई. एक्ट का क्रियान्वयन हुआ ..... में

द) ..... का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण था।

य) एस.एस.ए. का लक्ष्य ..... शिक्षा प्रदान करना था।

5.7 सारांश

इस इकाई में हमने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयी शिक्षा की संरचना के बारे में अध्ययन किया। औपचारिक क्षेत्र में शिक्षा की संरचना का अर्थ है – शैक्षिक, औपचारिक और संगठनात्मक संरचना। अनौपचारिक शिक्षा का संबंध है – एन.आई.ओ.एस., एस.आई.ओ.एस., आश्रम विद्यालय आदि। विद्यालय स्तर पर सरकारी और गैर–सरकारी संस्थान हैं जो सरकार और निजी प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होते हैं। विद्यालयी शिक्षा मुक्त और दूर–अधिगम द्वारा भी प्रदान की जाती है और इस क्षेत्र का प्रथम अन्वेषक एन.आई.ओ.एस. है। सबके लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी पहल सरकार और गैर–सरकारी संगठनों जैसे एस.एस.ए., पढ़े भारत–बढ़े भारत, आर.एम.एस.ए., आर.टी.ई. आदि द्वारा की गई।

5.8 अभ्यास प्रश्न

1) औपचारिक विद्यालय व्यवस्था में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समावेश किस प्रकार शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मदद करेगा? चिन्तन कीजिए।

2) किसी वैकल्पिक विद्यालय की वेवसाइट पर जाइए, उसके पाठ्यक्रम एवं शिक्षण व्यवस्था की तुलना किसी औपचारिक प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय से कीजिए।

3) निरौपचारिक विद्यालय व्यवस्था में विद्यालयों के क्या लाभ हैं?

5.9 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

https://indiaeducation.net/indiaedudestination/structure/structure-of-education.aspx

इग्नू (2010). विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप, इकाई दो, विद्यालय तंत्र, शिक्षा विद्यापीठ शिक्षा मंत्रालय (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत सरकार

विटाची.एस. एवं राघवन, एन (संपा.) (2007) आल्टरनेटिव स्कूलिंग इन इन्डिया, सेज प्रकाशन www.nios.ac.in/about-us/profile.aspx

5.10 अपनी प्रगति की जाँच–प्रश्नों का उत्तर

1) 10+2+3

2) 5+3+3+4

3) संस्कृत पाठशाला, विशिष्ट विद्यालय, आश्रम विद्यालय, मिरांबिका, सारंग, प्लेटफार्म स्कूल्स, आदि।

4) अ) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी

   ब) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

   स) वीणा वादिनी

5) दूरस्थ–शिक्षा भौगोलिक सीमाओं तक सीमित है जब कि मुक्त–अधिगम भौगोलिक सीमाओ तक सीमित नहीं है। दूर–शिक्षा के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है, परंतु मुक्त शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती।

6) नवम्बर 1989

7) इच्छुक शिक्षार्थियों को सतत्–शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

8) डी.पी.ई.पी., मध्याह्न भोजन योजना, एस.एस.ए., के.जी.बी.वी.वाई., आर.एम.एस.ए., आर.टी.ई. आदि।

9) शिक्षा–कर्मी परियोजना, के.जी.बी.वी.वाई.

10) अ) राजस्थान

   ब) 2014

   स) 2010

   द) आर.एम.एस.ए.

   य) प्रारंभिक

इकाई 6 पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा

संरचना

6.1 परिचय

6.2 उद्देश्य

6.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

- 6.3.1 भारत में पूर्व–प्रारम्भिक शिक्षा
- 6.3.2 समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS)
- 6.3.3 पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं

6.4 प्रारंभिक शिक्षा

- 6.4.1 स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक शिक्षा
- 6.4.2 प्रारंभिक शिक्षा की विशेषताएं

6.5 प्रबंधन के प्रकार

6.6 विद्यालयी शिक्षा के लिए नियामक संस्थाएं

- 6.6.1 केंद्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के लिए नियामक संस्थाएं
- 6.6.2 राज्य स्तर पर नियामक संस्थाएं
- 6.6.3 ज़िला/प्रखण्ड स्तर पर नियामक संस्थाएं

6.7 विद्यालयी शिक्षा के लिए योजनाएं

6.8 सारांश

6.9 अभ्यास प्रश्न

6.10 सन्दर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.1 परिचय

''शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया के बदलने के लिए कर सकते है'' – नेल्सन मंडेला

यह प्रसिद्ध कथन दर्शाता है कि शिक्षा वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। शिक्षा को मानव संसाधन विकसित करने के लिए एक निवेश माना जाता है, जो बदले में किसी भी राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। भारत ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं जो यह दर्शाता है कि हमने पिछले 70 वर्षों में बहुत प्रगति की है। भारत की शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी में से एक है। मध्यह्न भोजन, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एस. एस.ए. आदि बहुत सी योजनाओं ने प्रारंभिक शिक्षा में पहुँच और प्रतिधारण में योगदान दिया है। विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों तक आसानी से पहुँच जा सकता है। इस प्रशंसा के साथ हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो अभी भी विद्यालयों, ग्रामीण–शहरी अंतराल से बाहर हैं, लैंगिक असामनता वंचित समूहों की शिक्षा, विद्यालय छोड़ चुके बच्चे, आदि हैं। पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के तीन स्तर हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस इकाई में हम पूर्व–प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा, उनकी स्थिति, संस्थागत संरचना और विद्यालय शिक्षा के लिए विभिन्न नियामक निकायों की आवधारणा पर चर्चा करेंगे। विभिन्न योजनाओं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) एवं प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना पर भी चर्चा की जाएगी।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप :

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास की व्याख्या कर सकेंगे,
- भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति को जाँच सकेंगे,
- भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालय प्रबन्धन की चर्चा कर सकेंगे, तथा
- सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विभिन्न योजनाओं की भूमिका की पड़ताल कर सकेंगे।

6.3 भारत में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा

प्रत्येक बच्चे के पूर्व–प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा तक की पहुँच होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा के हर स्तर के लिए कुछ आधार प्रदान करती है, मगर अभी भी लाखों बच्चे और व्यस्क शैक्षिक, अवसरों से वंचित हैं। इस चरण में खेल और खोज उन्मुख शिक्षण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह हर बाल मन को उसकी क्षमता के पूर्ण विकास के लिए विकसित करेगा। यह शुरूआती जीवन के अनुभव उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समग्र विकास के लिए उन्हें इस तरह का पर्यावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें आस–पास की दुनिया का पता लगा सकें। इस उद्देश्य के लिए, पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के लिए एक सुनियोजित पाठ्यक्रमकी आवश्यकता है।

तालिका 1: 0–6 वर्ष के बच्चे की मूल आवश्यकताएं

आयु	मूल आवश्यकताएँ	व्यवस्था
जन्म से 1 वर्ष	• शारीरिक खतरे से सुरक्षा • उपयुक्त पोषण • उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल • एक प्रौढ़ से सम्बन्ध • गतिकी एवं संवेदी प्रेरण • उपयुक्त भाषाई प्रेरण	• सुरक्षित आश्रय • भोजन एवं लघु–पोषण • मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल (टीकाकरण, ओरल रिहाईडरेशन, साफ–सफाई) • आयु उपयुक्त विकास पाठ्यक्रम
1 से 3 वर्ष	उपर्युक्त के अतिरिक्त: • गतिकी, भाषाई और चिंतन कौशलों को प्राप्त करने में सहायता • स्वतंत्र विकास • आत्मनियंत्रण सीखना • खेल	उपर्युक्त के साथ–साथ • कृमि से बचाव के उपाय
3 से 6 वर्ष	उपर्युक्त के अतिरिक्त: • सूक्ष्म गतिकी कौशलों के विकास के अवसर • बातचीत, पाठन और गायन के द्वारा भाषा कौशलों का विकास • सहयोग, मदद और बाँटना सीखना • पूर्व–लेखन और पूर्व–पाठन कौशलों पर प्रयोग	1 से 3 वर्ष जैसी ही

स्रोत : डोनोहू–कोलाता (1992) पर आधारित

सभी के लिए शिक्षा (ई.एफ.ए.) लक्ष्य वैश्विक स्तर पर पूर्वविद्यालयी शिक्षा के लिए नीतिगत पहलों के महत्त्व को दर्शाते हैं। अन्य जगहों की तरह, भारत भी अपनी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 के क्रियान्वयन कार्यक्रम (पी.ओ.ए.) एवं विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व–प्राथमिक शिक्षा पर ज़ोर दिया है। यह हमारे संविधान के निर्देश के सिद्धांत के हिस्से के रूप में हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। सितंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शीघ्र बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति को अनुमोदित किया गया था। यह नीति छह साल से कम उम्र के बच्चों के विकास के लिए समान और इष्टतम अवसरों पर केंद्रित है। यह सार्वभौमिक पहुँच, न्यायसंगतता और समावेश के लक्ष्यों को साकार करने के लिए शुरूआती बचपन की अवधि की उचित देख–भाल सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 यह भी मांग करता है कि आर.टी.ई. अधिनियम की समीक्षा की जाए ताकि इसकी छत्रछाया में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता की उपलब्धता पूर्व–प्राथमिक स्तर पर आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा निजी हाथों में है जो समाज के एक निश्चित समूह की पहुंच में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे (चाहे किसी भी स्थान पर हो या किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर से) तक इसकी पहुंच बनाया है। आंगनवाड़ी और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एन.सी.ई.आर.दी. इसकी रूपरेखा बनाएगी जो शिक्षकों को भी बिन्दु प्रदान करेगा।

6.3.1 भारत में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

शैक्षिक नियोजन में बच्चे की देखभाल एक महत्वपूर्ण विषम है। एकीकृत काल विकारत सेवा योजना (ICDS) के साथ ही को स्थान विकास ने ले लिया।

भारत सरकार ने 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू की जो (महिला और बाल विकास मंत्रालय) द्वारा कार्यन्वित की जाती है।

आई.सी.डी.एस. की विशेषताएं

- यह स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, पूरक पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती हैं।
- यह प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की तैयारी के रूप में बच्चों के संचार और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार पर केंद्रित है।
- प्रारंभ में इसे कुछ राज्यों में एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसमें कई ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के साथ–साथ कुछ शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से वंचित बच्चों को लेकर चल है।

भारत में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा निजी विद्यालयों और सरकारी (आई.सी.डी.एस.) आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की आंगनवाड़ी प्रणाली ने भारत के कई हिस्सों में बड़ी सफलता के साथ काम किया, खासकर माताओं और षिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवा के संबंध में। इन केद्रों ने वास्तव में माता–पिता को सहयोग और समुदायों का निर्माण करने में मदद की है। उन्होंने महत्त्वपूर्ण पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, बुनियादी स्वास्थ्य जांच, रेफरल और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सम्बन्ध प्रदान करने के लिए सेवा की है।

इस पहल ने करोड़ों बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए तैयार किया है। इसके अलावा, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत कुछ ECCE (बचपन की देखभाल और शिक्षा) केंद्र

चल रहे हैं और कुछ पूर्व–प्राथमिक विद्यालय सरकार के साथ–साथ निजी विद्यालयों से भी जुड़े हैं। आठवीं अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

सारणी 1 : भारत में पूर्व–प्राथमिक संस्थान

कुल संस्थान	संस्थान केप्राकर	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	कार्यरत शिक्षक	महिला शिक्षक	पुरुष शिक्षक
6,55,493	बालवाड़ी– 30434	6,04,395	51,098	8,02007	94.37%	5.63%
	आंगनवाड़ी–5,91,632					
	पूर्व–प्राथमिक विद्यालय–10,237					

आंकड़ों का स्रोत : 8वीं अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट (2009)

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भारत को इस दिशा में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है।

पूर्व प्राथमिक चरण प्राथमिक विद्यालय के अगले चरण की नींव है क्योंकि अस्वस्थ (अविकसित) बीमार बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नही कर पाते हैं या ऐसे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। वास्तव में किसी भी निवास स्थान के नवजात बच्चे का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली द्वारा उचित देखभाल, पाठन की जानी चाहिए। तभी राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

6.3.3 पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं

- **भारत के अनियमित क्षेत्र** : देश भर के अधिकाँश हिस्सों में विद्यालयी शिक्षा का पूर्व–प्राथमिक शिक्षा चरण मुख्य अनियमित चरण है। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश आदि में यह शेष भारत की तुलना में अधिक संगठित प्रतीत होता है।

- **3 से 6 साल के बच्चे को सहायता और देखभाल** : पूर्व–प्राथमिक शिक्षा 3–6 साल के बच्चों को सहायता और देखभाल प्रदान करती है। ताकि वह विद्यालयी शिक्षा के लिए सुरक्षा, देखभाल, अस्तित्व और तैयारी का अधिकार सुनिश्चित कर सके। यह बच्चे की शारीरिक, मानसिक और समाजिक स्थिति के बावजूद साक्षरता और संख्यात्मकता का परिचय दे सके।

- **सर्वांगीण विकास** : पूर्व–प्राथमिक शिक्षा बच्चों को सर्वांगीण विकास में मदद करती है। यह वंचित समूहों के बच्चों या विशेष जरूरतों के साथ या जातीय अल्पसंख्यकों को भी महत्त्व प्रदान करती है।

- **भावनात्मक, संचार और सामाजिक कौशल का बढ़वा** : सामाजिक संपर्क पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। बच्चे अपने उम्र के अन्य बच्चों से बातचीत करना सीखते है। वह छोटे समूह बातचीत में अपने विचारों को साझा और दूसरों को सुनना सीखते हैं। कई गतिविधियों जैसे रोल–प्ले, गाने गाना, कविताएं सुनाना, कहानी सुनाना, प्रार्थना करना आदि का आयोजन किया जा सकता है। ये मौखिक गतिविधियाँ उनके संचार कौशल में सुधार करती हैं। भाषा संबंधी जागरूकता जैसे विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आने के साथ । वे छोटे समूहों में बोलना सीखते हैं। इन गतिविधियों में भागीदारी उनके आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को बढ़ाती है।

- **माता–पिता और अन्य देखभाल करने वालों का समर्थन करें** : पूर्व–प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के बारे में मार्गदर्शन करके माता–पिता को सहायता प्रदान करती है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) अपने राज्य में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के लिए काम करने वाले विभिन्न संस्थानों को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की कोई पाँच विशेषताएँ बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 प्रारंभिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा में 6–11 वर्ष और उच्च प्राथमिक में 11–18 वर्ष की आयु निम्नलिखित है। अपेक्षा की जाती है कि वे इस आयु में मूलभूत कौशल जैसे– गति में लिखने/पढ़ने की योग्यता गणना तक और सामजिक कौशल सीखेंगे। यह उनमें हिम्मत, उत्सुकता और समझ का विकास भी करेगी। आजादी के बाद से हम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 2010 में लागू किया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है।

लोकतंत्र के सामाजिक ताने–बाने को मज़बूत करने में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (यू.ई.ई.) की भूमिका सभी स्वतंत्रता के अवसरों के बराबर है। 2012 की वार्षिक स्थिति की शिक्षा रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.) के अनुसार, 6–14 वर्ष की आयु के बीच के सभी ग्रामीण बच्चों में से 96.5% विद्यालय में नामांकित थे। 96% के ऊपर नामांकन की रिपोर्ट करने वाला यह चौथा वार्षिक सर्वेक्षण है। भारत ने वर्ष 2007–2014 तक इस आयु वर्ग में छात्रों के लिए 95% का औसत नामांकन अनुपात बनाए रखा है। इसके परिणामस्वरूप, शैक्षणिक वर्ष 2018 में 6 से 14 आयु वर्ग के छात्र जो विद्यालय में नामांकित नहीं है, उनकी संख्या 2.8% पर आ गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि विद्यालयी शिक्षा में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय

सुधार हुआ है, लेकिन यह भी देखा गया है कि अन्य मुद्दों के साथ–साथ प्रारंभिक शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष एक बड़ी समस्या है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1954–1955), कोठारी आयोग (1964–1966) और अन्य राष्ट्रीय दस्तावेजों जैसे विभिन्न आयोगों ने विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश का विकास विद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश में सकारात्मक बदलाव के साधन के रूप में काम कर सकती है।

- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य (यू.ई.ई.) 1960 में स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) ने पहली बार भारतीय नागरिक को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए जी.डी.पी. का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफरिश की। यू.ई.ई. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए थे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979) में 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर ज़ोर दिया। प्रारंभिक शिक्षा प्रकृति में विशिष्ट ना होकर सामान्य होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1966) ने 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक पहुँच और नामांकन के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इस नीति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रारंभिक शिक्षा बात केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। शारीरिक दंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड उच्च प्राथमिक कक्षाओं को भी कवर करेगा।
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पी.ओ.ए., 1992) ने 6.14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा के प्रावधान बनाने में योगदान दिया। प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के कार्यक्रम को मज़बूत किया गया था।
- भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में पहुंच और अवधारण में सुधार के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो बड़ी पहल की है।

i) ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)

डी.पी.ई.पी.– 1994 ने मौजूदा विद्यालयों मे ंनए कक्षाओं के निर्माण और नए विद्यालय खोलने में मदद की है। इसने नए गैर–औपचारिक वैकल्पिक केंद्रों, शिक्षकों की उपलब्धता और पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की सुविधाएं प्रदान करना शुरू किया। एक और योगदान (एस.सी.आर.टी.) और डाईट को मजबूत करना था। ब्लॉक संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्र स्थापित किए गए थे। इस योजना ने लक्षित ज़िलों में महत्त्वपूर्ण परिणाम दिखाएं हैं।

ii) माध्यह्न भोजन कार्यक्रम (एम.डी.एम.)

माध्यह्न भोजन कार्यक्रम ने कक्षा पहली से आठवीं में सकल नामांकन अनुपात में सुधार किया है। सरकारी विद्यालय में कक्षा पहली में आठवीं तक के प्रत्येक छात्र को दोपहर में भोजन दिया जाता है।

सर्व–शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) : भारत सरकार ने कई हस्तक्षेपों के माध्यम से यू.ई.ई. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरूआत की । इन कार्यक्रमों को ज़ारी रखने के लिए सर्व–शिक्षा अभियान (2000–2001) में शुरू हुआ।

उपर्युक्त सभी प्रयासों ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर्शाती है।

तालिका 3 : प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा में नामंकन (2015–2016)

आयु समूह (वर्षों में)	2015			स्तर
	कुल	पुरुष	महिला	प्रारंभिक (1–8)
6–13	256006	132135	123871	

आंकड़ों का स्रोत : विद्यालयी शिक्षा के लिए : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

6.4.2 प्रारंभिक शिक्षा की विशेषताएं

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान** : यू.ई.ई. प्रारंभिक स्तर (1–8वीं कक्षाओं) तक पहुँच और प्रति धारण के साथ–साथ गुणवत्ता शिक्षा पर विशेष ज़ोर देता है।
- **निवेष** : प्रारंभिक शिक्षा को मानव संसाधन में निवेश माना जाता है और इसका परिणाम कई गुना है।
- **सार्वभौमिक पहुँच और नामांकन की दिषा में प्रगति** : भारत सरकार ने पहुँच प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की है। 2015–2016 के आंकड़ों के अनुसार 840546 प्राथमिक और 4,29,624 उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो यू.ई.ई. के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। इसने प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने में मदद की है।
- **प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक अंतराल को कम करना** : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित, जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों जैसे वंचित आबादी समूह के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- **सार्वभौमिक प्रतिधारण के प्रति प्रगति** : अवधारण यू.ई.ई. के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रयासों के कारण विद्यालय छोड़ने की दर में लगातार गिरावट आई है।
- **मौलिक मानव अधिकार** : विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, नीतियों और दस्तावेजों ने माना है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (प्राथमिक/प्रारंभिक) सभी के लिए है। भारत ऐसे सम्मेलनों, के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करता है।
- **मध्याह्न भोजन योजना** : एम.डी.एम. योजना सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जिसने सकल नामंकन अनुपात में वृद्धि के साथ–साथ प्रतिधारण में बहुत योगदान दिया है।
- **सर्व–शिक्षा अभियान** : इसे यू.ई.ई. के लिए भारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में सार्वभौमिक पहुँच और अवधारण, लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पूरा करना और बच्चों के सीखने के दर में वृद्धि शामिल हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) भारत में प्रारंभिक शिक्षा की किसी भी पांच प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4) भारत में विद्यालयी शिक्षा को वर्तमान संस्थागत संरचना पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

6.5 प्रबंधन के प्रकार

शैक्षिक आंकड़ों आठवे सर्वेक्षण के अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार के प्रबंधन द्वारा लगभग 13 लाख मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाए जाते हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक (59%), उच्च प्राथमिक (27%), माध्यमिक (9%) और उच्च माध्यमिक (5%) शामिल हैं। इन विद्यालयों को ग्रामीण (84%) और शहरी (16%) इलाके के संबंध में भी वर्गीकृत किया गया है। भारत में इन विद्यालयों का प्रबंधन विभिन्न प्रकार के प्रबंधनों द्वारा किया जाता है। मोटे तौर पर, निम्न प्रकार के प्रबंधन होते हैं :

- **सरकारी** : एक सरकारी विद्यालय राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन द्वारा चलाया जाता है।
- **स्थानीय निकाय** : एक स्थानीय निकाय विद्यालय पंचायती राज द्वारा या स्थानीय निकाय संस्थान जैसे ज़िला परिषद, नगर निगम, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड द्वारा चलाया जाता है।
- **निजी सहायता प्राप्त** : एक निजी सहायता प्राप्त विद्यालय को एक व्यक्ति, ट्रस्ट या एक निजी संगठन द्वारा चलाया जाता है और स्थानीय निकाय, राज्य या केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं।
- **निजी अवित्तपोषित** : एक निजी अवित्तपोषित विद्यालय को एक व्यक्ति या निजी संगठन द्वारा चलाया जाता है इन्हें सरकार से कोई अनुदान नहीं प्राप्त होता है।
- **गैर–मान्यता प्राप्त** : एक ऐसा विद्यालय, जो एक व्यक्ति या निजी संगठन द्वारा चलाया जाता है और सरकार द्वारा अनुमोदित बोर्डो से किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं होती है।

- वर्तमान सरकारी विद्यालय (66%), स्थानीय निकाय विद्यालय (14%), निजी तौर पर सहायता प्राप्त विद्यालय (7%) और निजी गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय (13%) है। अधिकांश सरकारी विद्यालय (91%) और स्थानीय निकाय, विद्यालय (90%) ग्रामीण भारतों की जरूरतों को पूरा कर रहे है, जबकि निजी तौर पर प्रबंधित सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में यह संख्या बहुत कम है। निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त या निजी गैर–प्रबंधित द्वारा विद्यालय शहरी इलाकों में हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के स्तर में लगभग 29% बच्चे निजी विद्यालयों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

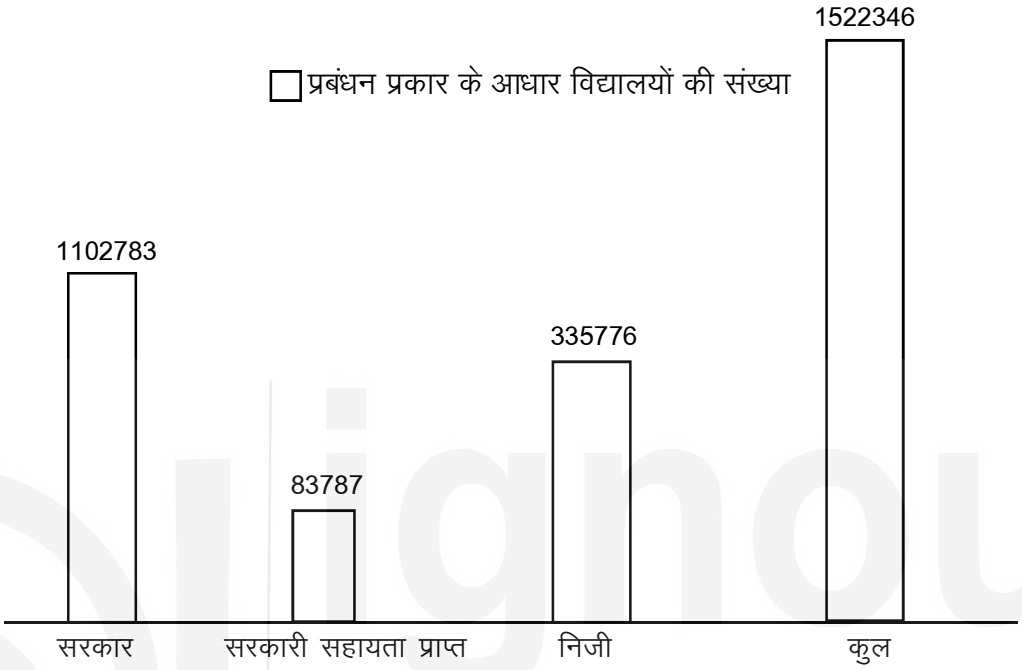

चित्र 6.1: (तीन प्रमुख प्रकार के प्रबंधन में विभिन्न विद्यालयों के विभाजन को दर्षाता है)
स्रोतः https://mhrd.gov.in/sites/upload-Ales/mhrd/files/statistics_new/BSAG-2018.pdf

अल्पसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित विद्यालयों के आधार पर विद्यालय प्रबंधन का एक और वर्गीकरण किया जा सकता है। आठवें शैक्षिक सर्वेक्षण ने विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित देश में 42548 विद्यालयों की पहचान की है। इसमें से 51% मुसलमान, 4% सिख, 43% जैन, 37.06% ईसाई, 0.17% पारसी, 0.32% नवबौद्ध और 5.86% अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। श्रेणीवार विवरण में 50.58% प्राथमिक है, 26.64% उच्च प्राथमिक, 14.46% माध्यमिक और 8.33% उच्च माध्यमिक हैं। त्यागी (2009) में शैक्षिक प्रबंधन निम्नानुसार है :

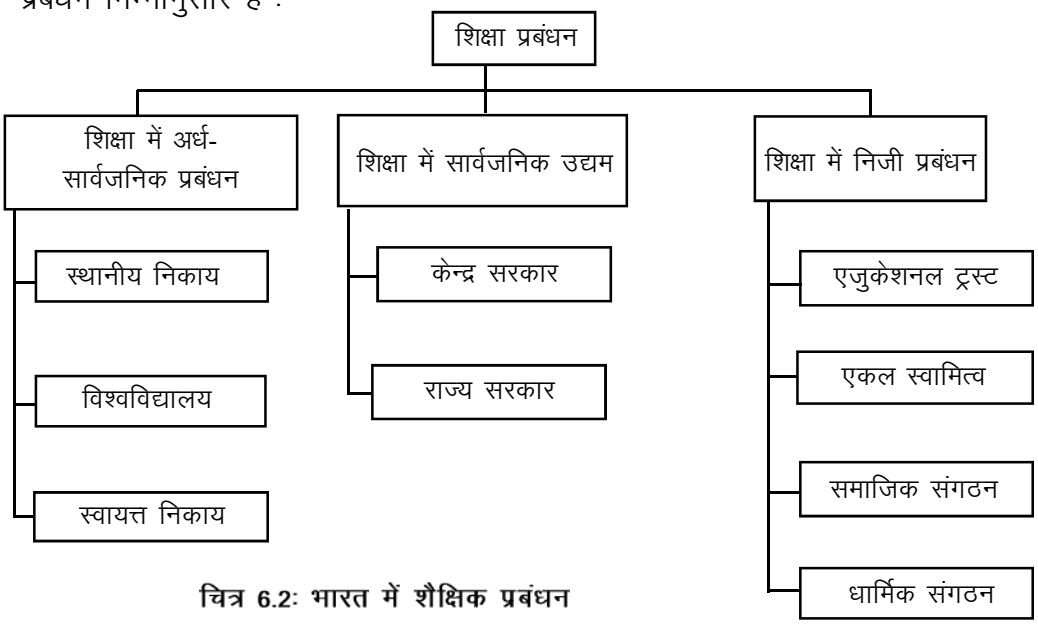

चित्र 6.2: भारत में शैक्षिक प्रबंधन

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) सरकारी और निजी प्रबंधन के बीच क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

6.6 विद्यालयी शिक्षा के लिए नियामक संस्थाएँ

हमने पहले ही इकाई पाँच में इन निकायों के बारे में संक्षेप में चर्चा की है, आइए हम यहां और अधिक विस्तार से चर्चा करें :

6.6.1 केंद्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के लिए नियामक निकाय

भारतीय संविधान के अनुसार प्रारंभिक स्तर की शिक्षा बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए माता–पिता के मौलिक कर्त्तव्य के रूप में भी इसे जोड़ा गया है। विभिन्न प्रकार के विद्यालय विभिन्न प्रबंधन द्वारा संचालित होते हैं, जो भारत में शिक्षा प्रदान करते हैं। सरकारी विद्यालयों के अलावा कई सरकार सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय भी कम कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, विद्यालय को 'गैर–लाभकारी संस्था' के रूप में तभी खोला जा सकता है जो केवल एक धर्मार्थ ट्रस्ट। समान द्वारा चलाया जाता है, जिसमें गैर–लाभकारी चरित्र होता है। प्रत्येक विद्यालय को संबंधित राज्य या केंद्रिय या संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड और 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन.ओ.सी.) से संबद्धता लेनी होगी। इन दो बुनियादी आवश्यकताओं के साथ, प्रत्येक विद्यालय समय–समय पर केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के मानदंडों और मानकों द्वारा शासित होता है। केंद्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा या विद्यालयों से संबंधित विभिन्न सांविधिक परिषदों और शीर्ष निकायों की स्थापना के बारे में विवरण निचे दिए गए है :

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

केंद्र सरकार संविधान में लागू ढांचे और व्यापक सिद्धांतों के भीतर शिक्षा में अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। इस प्रयोजन के लिए, संसद द्वारा नीति अधिनियम, मानदंडों और नियमों सहित विषिद्ध अधिनियम पारित किए जाते है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाते है। शिक्षा मत्रालय 1985 में बनाया गया था। इसका मुख्य घटक यानी विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा के अलग–अलग स्तरों जैसे प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर काम कर रहा है। भारत में पूर्व–प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती है। सर्वशिक्षा अभियान, प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान, माध्यमिक स्तर पर मॉडल विद्यालयों की स्थापना, विद्यालय में आई.सी.टी. का उपयोग, विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, लड़कियों के लिए छात्रावास और साक्षर भारत कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख कार्यक्रम रहे हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुई थी, जिसमें शिक्षा की एक सामान्य प्रणाली, चरित्र में राष्ट्रीयता और साथ ही देश भर में विविध संस्कृति की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित और समर्थन दिया जाएगा। एन.सी.आर.टी. विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों पर केंद्र और राज्य सरकारों को मदद और सलाह देता है। एन.सी.आर.टी. के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, विकास प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियाँ शामिल हैं। एन.सी.ई.आर.टी. ने अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में शिक्षा के चार क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान जिसे पहले शैक्षिक योजना और प्रशासन का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम दिया गया था का मुख्य ध्येय नियोजन और प्रशासन में लगे एजेंसियों, संस्थानों और कर्मियों को क्षमता निर्माण, अनुसंधान और पेशेवर सहायता सेवाओं से संबंधित हे। नीपा (एन.आई.ई.पी.ए.) शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। नीपा में आठ विभाग शामिल है :

- शैक्षिक नियोजन विभाग
- शैक्षिक प्रशासन विभाग
- शैक्षिक वित्त विभाग
- शैक्षिक नीति विभाग
- विद्यालय और गैर–औपचारिक शिक्षा विभाग
- उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
- शिक्षा में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण विभाग

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)

एन.सी.टी.ई. की स्थापना 1993 में एक्ट संख्या 73 के अंतगर्त एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। एन.सी.टी.ई. का उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना है। यह शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल करता है, जिसमें विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध यमिक चरणों में पढ़ाने के लिए व्यक्तियों के अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल हैं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब)

CABE शिक्षा में भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण सहालकार निकाय है और इसे पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था। 1935 में पुनर्जीवित किया गया और तब से यह अस्तित्व में हैं। CABE का कार्य किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर सलाह देना है जो इसे भारत सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। केब का एक अन्य कार्य देश में शैक्षिक विकास के बारे में जानकारी और सलाह देना है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.)

सी.बी.एस.ई. एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है जो शैक्षिक मानकों को काफी हद तक उन्नत करता है और माध्यमिक शिक्षा में नवचारों का परिचय देता है। सभी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकांश विद्यालय सी.बी.एस.ई. से संबद्ध रखते हैं। सी.बी.एस.ई. का मुख्य ध्यान शिक्षण पद्धति, परिक्षाओं में सुधार, मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार और शिक्षक और प्रशासकों के शैक्षणिक कौशल को अद्यतन करने पर है। वर्तमान में, सी.बी.एस.ई. के देश भर में 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में नवंबर 1989 में स्थापित किया गया था। एन.ओ.एस. का मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों को खुली शिक्षा प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा पहुँचाना है। 2002 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान कर दिया।

काउन्सिल ऑर द इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्ज़ामिनेशन्स (CISCE)

सी.आई.एस.सी.ई., (CISCE), सी.बी.एस.ई. (CBSE) की तरह भारत में विद्यालयी शिक्षा का बोर्ड है। यह दो परीक्षाएं आयोजित करता है, आई.सी.एस.ई. (ICSE) भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र और आई.एस.सी., (भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र)। सी.आई.एस.सी.ई. की स्थापना 1956 में नई दिल्ली में की गई थी। यह एक अखिल भारतीय है, लेकिन सरकारी संबद्ध बोर्ड नहीं है। CBSE और CISCE दोनों शिक्षा के समान प्रतिमानें का पालन करते हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं। एक आम धारणा यह है कि CBSE पाठ्यक्रम की तुलना में CISCE पाठ्यक्रम थोड़ा कठिन है। CISCE में परीक्षा का माध्यम, भारतीय भाषा के प्रश्नपत्र को छोड़कर अंग्रेजी है। इन दोनों के अलावा भारत के सभी राज्यों में अपने राज्य बोर्ड भी हैं।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र

आई.सी.एस.ई. की परीक्षा काउंसिल द्वारा भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा कक्षा 10 के लिए आयोजित की जाती है। आई.सी.एस.ई. की परीक्षा बारहवीं कक्षा के लिए आयोजित की जाती है। यह अंग्रेज़ी माध्यम से नई शिक्षा नीति, 1986 की सिफारिशों के अनुसार एक सामान्य पाठ्यक्र में शिक्षा और आचरण परीक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निजी उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

इन्टरनेशनल वैक्कुलरेट ऑरगेनाईजेशन (IBO)

आई.बी., (अंतरर्राष्ट्रीय स्तर), 1968 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर संगठन द्वारा स्थापित किया गया, में 126 देशों के 2,257 से अधिक विद्यालयों में अंतरर्राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम प्रदान करता है। 1994 में, भारतीय विश्विद्यालय संघ के महासचिव ने एक बैठक में भाग लिया, और आई.बी.ओं. जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के रूप में आई.बी. डिप्लोमा के लिए एक संशोधित प्रारूप है, को मान्यता और स्वीकृति समझौते को मंजूरी दी गई थी। आई.बी. 1968 में पंजीकृत एक गैर–लाभकारी स्विस फाउंडेशन है। संगठन की गतिविधियाँ स्विस अधिकारियों द्वारा अनुमोदित फाउंडेशन ऑफ एक्ट द्वारा निर्धारित की जाती है। आई.बी. द्वारा अध्ययन के तीन प्रमुख कार्यक्रम

प्रस्तुत किए जाते हैं।

- प्राथमिक कार्यक्रम
- माध्यमिक कार्यक्रम
- डिप्लोमा कार्यक्रम

6.6.2 राज्य स्तर पर नियामक संस्थाएँ

शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिशद् (SCERT)

चूंकि भारत में शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा केंद्र/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नियंत्रण में है। दोनों को जिम्मेदारियां सौपी गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालय शिक्षा में नियामक संस्था के रूप में काम कर रहा है और राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. विद्यालय से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए काम कर रहा है। एस.सी.आर.टी. की स्थापना 5 जनवरी, 1979 को की गई थी। एस.सी.ई.आर.टी. राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम सलाहकार समिति है। एस.सी.ई.आर.टी. में इन सेवारत प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, नीति परिप्रेक्ष्य और नवाचार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा और गैर–औपचारिक शिक्षा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विशेष सलाहकार समितियाँ और विभाग हैं।

एस.सी.ई.आर.टी. के भूमिका और कार्य

- विद्यालय शिक्षा में अपनी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, एन.सी.ई.आर.टी., यूनीसेफ, शिक्षा मंत्रालय, यूनेस्को, विश्व बैंक व अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना।
- वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, सभी संबंधित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ एस.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न प्रभागों के साथ समन्वय करना।
- नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना
- राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के प्रकाश में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास करना
- नवचारों के माध्यम से शैक्षिणिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और राज्य में सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करना।
- विद्यालय शिक्षा विभाग, एस.एस.ए., आर.एम.एस.ए, डाइट, आदि के सहयोग से राज्य में सेवा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए समन्वय करना।
- राज्य में अधिगम प्रतिफलों पर शैक्षिक सर्वेक्षण करना।
- क्रियात्मक अनुसंधान और मूल्यांकन
- अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विद्यालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
- विद्यालय नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने प्रभावी मुख्य धारा के लिए सहायता प्रदान करना।
- सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विद्यालयों का नेतृत्व और समन्वय
- शिक्षण सामग्री, डिजिटल शिक्षण संसाधन और तकनीकी सहायक शिक्षण की विविधता विकसित करना।

- शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण पैकेज़ और शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना।
- विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों और छात्रों के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला/प्रदर्शनी की आयोजन
- विद्यालयी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई अनुसंधान, नीति अनुसंधान और निजी संस्थानों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- हर जिले की डाईट का समन्वय और निगरानी करना
- शिक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों के व्यावसायिक विकास के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित करना
- भारत सरकार के वयस्क और गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना

राज्य विद्यालय शिक्षा परिषदों (बोर्ड)

शैक्षिक प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए, भारत में विभिन्न नियामक निकाय स्थापित किए गए है। विद्यालय शिक्षा परिषदें भी विद्यालयों के लिए महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय हैं। यह राज्य के शक्ति और परिभाषित भौगोलिक सीमाओं के प्रतिनिधिमंडल में कार्य करता है। यह राज्य का एक वैध संगठन है। यह कानून और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सशक्त है।

भारत में कई राज्यों में उनके शिक्षा बोर्ड है। अलग–अलग शिक्षा बोर्ड अपनी संरचना और कार्यप्रणाली में भिन्न है। देश में लगभग 33 विभिन्न शैक्षिक बोर्ड है, जिनमें सी.बी.एस.ई., सी. आई.एस.ई. शामिल है। कुछ अन्य बोर्ड भी हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन और दिल्ली सरकार के विद्यालय। देश में अपेक्षाकृत कम संख्या में विद्यालय है जो अन्य बोर्डों से जैसे– मदरसा बोर्ड, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, आदि से संबंध रखते हैं।

6.6.3 ज़िला/प्रखण्ड स्तर पर नियामक निकाय

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 के आधार पर, जिले में शैक्षणिक गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) बनाया गया। प्रत्येक डी.आई.ई.टी. में सात शैक्षणिक शाखाएं शामिल हैं :

- सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण शाखा
- कार्य अनुभव शाखा
- ज़िला संसाधन इकाई
- सेवाकालीन कार्यक्रम, क्षेत्रीय अन्तर क्रियात्मक और नवाचार शाखा
- पाठ्यक्रम, सामाग्री विकास और मूल्यांकन शाखा
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा
- योजना और प्रबंधन शाखा

डी.ई.ई.टी. के साथ, प्रखण्ड संसाधन केंद्र और सकुल संसाधन केंद्र भी विद्यालयी शिक्षा में राज्य की नीतियों, विनियमों, नवाचारों को लागू करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये सभी शाखाएं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

6) राज्य नियामक संस्था के रूप में एस.सी.ई.आर.टी. की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.7 विद्यालय शिक्षा के लिए योजनाएं

हमने प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कार्यक्रम की शुरुआत की, जिनमें से अधिकांश शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में विकसित होने के बाद शुरू की गई थी। कुछ परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण उनके उद्देश्यों और प्रमुख उपलब्धियों के संदर्भ में नीचे वर्णित है :

क) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987 में शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य अधिक शिक्षकों को बढ़ाकर विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना था, जैसे किः कक्षा-कक्ष और शिक्षण–अधिगम उपकरण। यह योजना प्राथमिक शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार, दोनों को लाना चाहती है।

इस योजना में सम्मिलित थेः (i) दो बड़े कमरे, जो सभी मौसम में उपयोग करने योग्य हों; (ii) एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक; (iii) आवश्यक खिलौने और खेल सामग्री; (iv) ब्लैकबोर्ड; (v) चार्ट (vi) अन्य शिक्षण सामग्री।

ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP)

DPEP को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए 1994 में शुरू किया गया था। इसे प्रारंभ करने का लक्ष्य था– प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना, सभी बच्चों के लिए औपचारिक/गैर–औपचारिक माध्यमों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पहुंचना और बच्चों के नामांकन और विद्यालय छोड़ने की दर में अंतर में कटौती करना।

इस योजना में जिले को एक इकाई के रूप में मानकर "क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण" को अपनाया गया। स्थानीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने के कारण इस्ससे समुदाय की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिली।

यह योजना, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन, प्रबंधन और पेशेवर सहायता के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के संस्थान और संगठन को भी क्षमता को मजबूत करना चाहती थी। इस परियोजना ने नामांकन बढ़ाने, ठहराव को कम करने और कक्षा में सुधार करने पर बहुत प्रभाव डाला।

ग) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने की और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) जैसे संस्थानों की स्थापना वर्ष 1987 में की गयी थी। इस योजना में देश के विद्यालयी शिक्षकों ज्ञान, क्षमता और शैक्षणिक कौशल के अभिनवन, प्रशिक्षण और निरंतर उन्नयन के लिए संस्थागत, शैक्षणिक और तकनीकी संसाधनों का एक आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रारम्भ हुयी।

घ) पोषण संबंधी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए और उन्हें स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में प्रारम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य हैः नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ–साथ और बच्चों के बीच पोषण का स्तर सुधारना।

वर्ष 2007 में इसे 3479 आर्थिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (EBBs) में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छठी से आठवीं) के बच्चों के लिए बढ़ाया गया था और फिर वर्ष 2008 में सार्वभौमिक रूप से प्रारंभिक स्तर तक। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। एमडीएमएस का प्रबंधन और अनुपालन विद्यालय प्रबंधन/ग्राम शिक्षा समिति/पंचायती राज संस्थान और स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। एमडीएमएस में अब एसएसए के तहत समर्थित मदरसे और मकतब भी शामिल हैं और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के तहत बच्चों भी।

ई) प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

एनपीईजीईएल प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है। यह योजना विद्यालय में/या उससे बाहर हो गयी लड़कियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ईबीबी) में कार्यान्वित की जाती है।

एनपीईजीईएल उन लड़कियों तक भी पहुंचता है जो विद्यालय में नामांकित तो हैं, लेकिन नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाती हैं। एनपीईजीईएल शिक्षको को कमजोर लड़कियों को पहचानने और उन पर विशेष ध्यान देकर उनकी भेदभाव की स्थिति से उन्हें बाहर लाने और उन्हें विद्यालय छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी पर जोर देता है। एनपीईजीईएल और केजीबीवी दोनों से अपेक्षा है कि वे एसएसए के तहत सभी लड़कियों को शामिल करने प्रयासों को पूरा करने के लिए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करें। जहाँ एनपीईजीईएल सामान्य दैनिक विद्यालय के तौर पर संरचित किये गए वहीं केजीबीवी, दूरदराज के वे क्षेत्र जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों या अन्य रूपों में सुविधा विहीन/असेवित हैं, में लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा सुविधाओं के साथ स्थापित किये गए। (मानव संसाधन मंत्रालय और विकास, स्कूली साक्षरता और शिक्षा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट, 2011–12, पृ. 27–28)।

च) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। केजीबीवी उन स्थानों पर स्थापित हैं जहाँ आबादी बिखरी हुई बस्तियों में है, जहाँ विद्यालय बड़ी दूरी पर हैं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। यह अक्सर लड़कियों को अपनी शिक्षा रोक देने के लिए मजबूर करता है। केजीबीवी आवासीय विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से प्रखंड स्तर पर ही इस समस्या को संबोधित किया गया है। केजीबीवी की पहुँच में हैं :

- किशोरियाँ, जो नियमित रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं
- 10+ आयु वर्ग की लड़कियों में से जो प्राथमिक शिक्षा पूरा करने में असमर्थ हैं
- मुश्किल क्षेत्रों में बिखरी हुई प्रवासी आबादी की वे छोटी लड़कियां, जो प्राथमिक /उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए योग्य नहीं हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों के लिए 75 प्रतिशत सीटों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लड़कियों को 25 प्रतिशत के न्यूनतम आरक्षण का प्रावधान है। देश में 2009–10 तक 2570 केजीबीवी थे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद, अतिरिक्त 1030 केजीबीवी खोलकर देश में केजीबीवी की कुल संख्या को 3600 तक ले जाने को मंजूरी दी गई।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

यह भारत का प्रमुख कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2001 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (UEE) के लिए समयबद्ध तरीके से शुरू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य में सार्वभौमिक पहुँच, प्रारंभिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतराल के प्रतिधारण, और बच्चों के सीखने के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करना शामिल थे। एसएसए को पूरे देश में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 1–1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था और कार्यक्रम को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा साझा की गई थी। यह दसवीं योजना में 75:25 के साझा अनुपात के साथ शुरू हुआ और इसके बाद यह अनुपात संशोधित कर 50:50 कर दिया गया।

एस.एस.ए. के उद्देश्य

बुनियादी ढांचे का विकास

- **नए विद्यालय खोलना** : एस.एस.ए. का लक्ष्य उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलना है, जहाँ छात्रों की पहुँच के भीतर विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
- **मौजूदा विद्यालय के बुनियादी ढाँचे में सुधार** : एस.एस.ए. का लक्ष्य मौजूदा विद्यालयों के अतिरिक्त शौचालय, कक्षा–कक्ष, पेयजल, रख–रखाव अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान प्रदान करके बेहतर बनाना है।

- **अतिरिक्त शिक्षक :** एस.एस.ए. का उद्देश्य विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करवा कर मानव संसाधन को मज़बूत करना है।

- **शिक्षकों की क्षमता निर्माण :** एस.एस.ए. का उद्देश्य व्यापक संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना, टी.एल.एम. अनुदान प्रदान करना है।

- **शैक्षणिक सहायता व्यवस्था में सुधार :** एस.एस.ए. का उद्देश्य है कि विद्यालय संगठन के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक सहायता संरचना का निर्माण करना है जो शंकुल, प्रखण्ड और ज़िला स्तर पर हो।

गुणवत्ता में सुधार

- **गुणवत्ता मुक्त प्राथमिक विद्यालय पर ध्यान केंद्रित करना :** एस.एस.ए. का उद्देश्य भारत के छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए जीवन कौशल सहित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक विद्यालय प्रदान करना है।

- **लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना :** एस.एस.ए. का लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर लिंग आधारित नामांकन के अंतर को कम करना है।

- **विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों पर ध्यान दें :** एस.एस.ए. का उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सर्वोत्तम वातावरण और सुविधाएं प्रदान करना है ताकि विद्यालयों में उनका अधिकतम संभावित विकास संभव हो सके।

- ***कंप्यूटर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित :*** एस.एस.ए. का उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षा को विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन उपलब्ध कराना है।

योजना के उद्देश्य

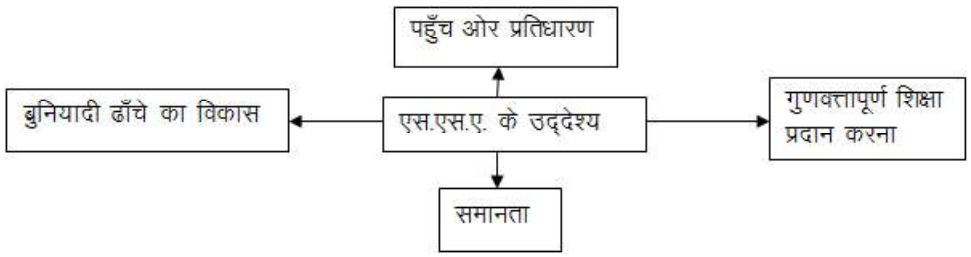

एस.एस.ए. प्रबन्धन संरचना

सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी संरचना, केन्द्रीय स्तर से अरम्भ होकर गाँव के सामुदायिक स्तर तक जाती है।

1) केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी

राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली एस.एस.ए. के लिए स्थापित की जाती है।

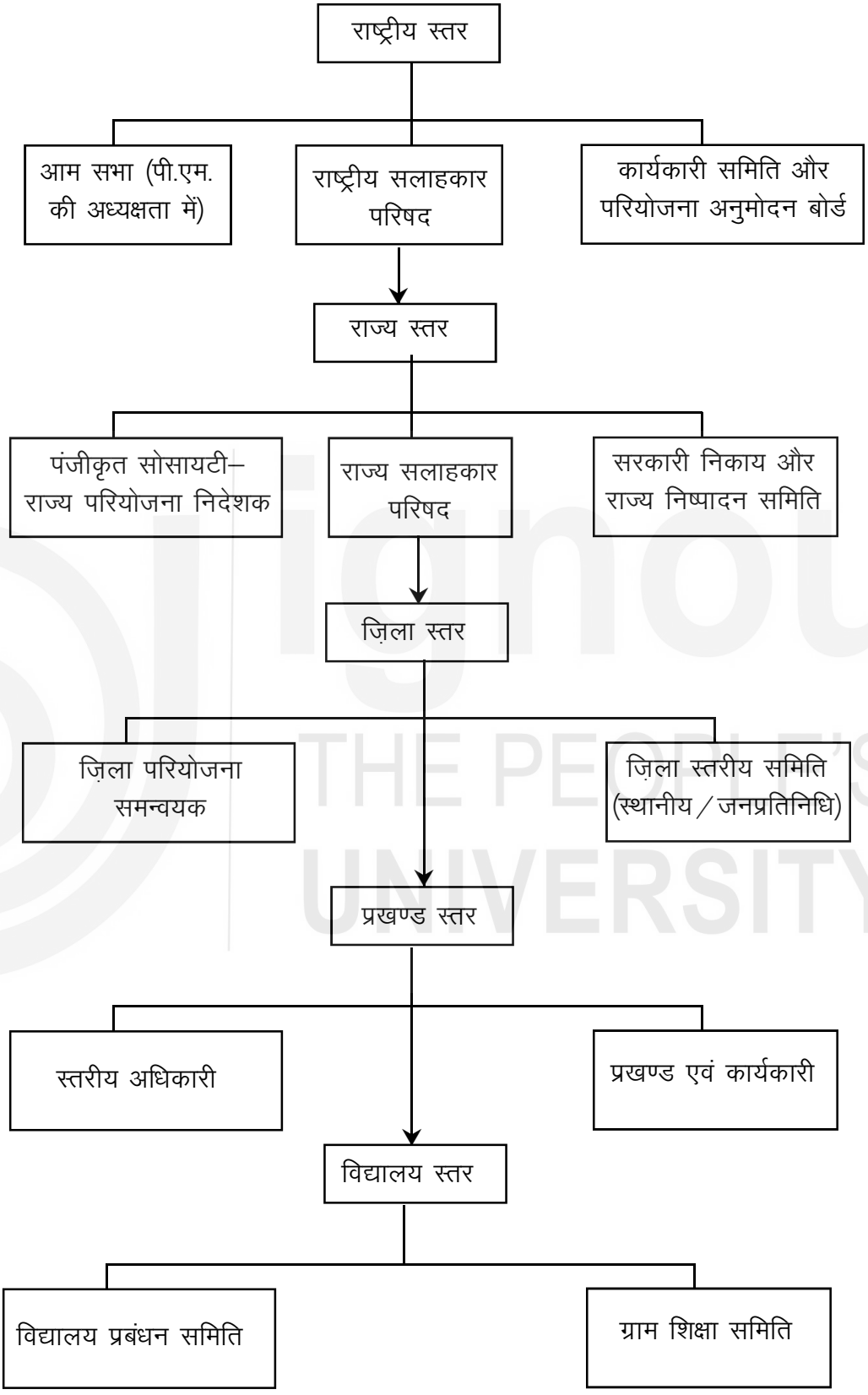

2) ज़िला स्तर पर निगरानी

जमीनी स्तर पर सुचारू कामकाज के लिए संस्थागत संगठन ज़िला स्तर पर बनाया जाता है।

विभिन्न समितियां इस प्रकार है :–

- ज़िला समितियां
- प्रखण्ड स्तर/स्थानीय स्तर समितियां
- विद्यालय प्रबंधन समिति

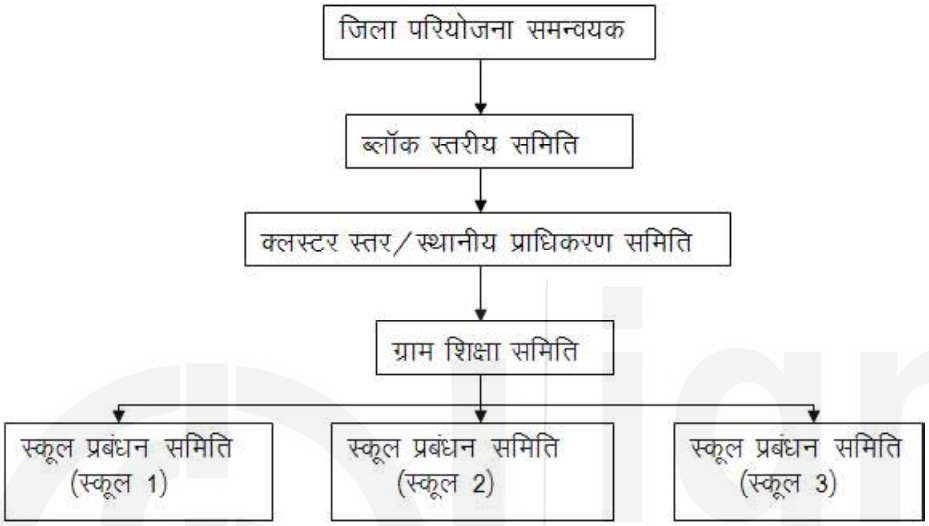

- यह कार्यक्रम वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष ज़ोर देता है, जो जोखिम वाले और कठिन परिस्थितियों में रहते हैं।
- बालिका हितैशी विद्यालयों के रूप में 'मॉडल क्लस्टर विद्यालयों' का विकास।
- गहन सामुदायिक लामबंदी।
- लिंग संवेदनशील ज़रूरत आधारित शिक्षण सामाग्री का विकास।
- सुरक्षा कर्मी, ज़रूरत आधारित पुस्तकों की उपलब्धता, गणवेश और स्टेशनरी जैसे आवश्यकता–आधारित हस्तक्षेप के प्रावधान।
- शिक्षकों आदि के लिंग संवेदीकरण। (भारत सरकार, 2005)
- इसका ध्यान लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पहुँच, सुविधा प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए सुविधाओं को विकसित करना है।
- यह विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है और सशक्तिकरण के लिए लड़कियों की शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर ज़ोर देता है।
- एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम के कुछ लाभ चयनित शहरी मलिन बस्तियों पर भी लागू थे।
- एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक आबादी के उच्च घनत्व वाले मॉडल क्लस्टर विद्यालय (एम.एस.सी.) को बालिका हितैशी विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया था और एन.पी.ई.जी.ई.एल. के तहत एम.सी.एस. को वित्तीय सहायता दी गई थी।

- एन.पी.ई.जी.ई.एल. एम.सी.एस. को शिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षण सामाग्री, उपकरण, पुस्तकालय की किताबें और खेल सामाग्री आदि जैसे आइटम खरीदने और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम संचालित करने के लिए धन प्रदान करता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

7) सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख गुण बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

8) बालिकाओं की शिक्षा NPEGEL कार्यक्रम का क्या योगदान है?

.....

.....

.....

.....

.....

6.8 निष्कर्ष

शिक्षण अधिगम अब मात्र कक्षा-कक्ष की चार दीवारों के अन्दर तक सीमित नहीं है। भारत में शिक्षा की जड़े गहरी हैं। प्राचीन काल में, भारत को शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के लिए मशाल वाहक के रूप में मान्यता दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनसंख्या के सपने को पूरा करने के लिए विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न प्रयास किए गए। इस इकाई में हमारा मुख्य ध्यान प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पर था। पहुँच और अवधारण दोनों स्तरों पर बढ़े हैं। सरकार ने विद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न नीति दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों के रूप में पहल की है। हमने एस.एस.ए. कार्यक्रम के हस्तक्षेप के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में कई अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन सुधार देखे हैं, जो दो दशक पहले शुरू किया गया था। एस.एस.ए. का नियोजित चरण 2018 तक पूरा हो गया था। भारत सरकार ने समागम शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम एक साथ थे। प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और गुणवत्ता के संबंध में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके बावजूद, दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। चूंकि शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षाके लिए ज़िम्मेदार हैं। भारत में विद्यालयी शिक्षा विभिन्न प्रकार के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित की जाती है। एक समय पर जो केवल दान या मिशनरी का काम था

वह अब एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। इस बड़े उद्योग की देखरेख के लिए, कुछ विनियामक, निकाय सभी प्रकार के विद्यालयों को चलाने के लिए मानदंडों और नियमों को निर्धारित करते हैं और भारत में प्रारंभिक शिक्षा के मानक को बेहतर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

6.9 इकाई अंत अभ्यास

1) भारत में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना क्यों महत्त्वपूर्ण है? ड्राफ्ट एन. ई.पी.–2019 रिपोर्ट का अन्वेषण करें और उसमें पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रमुख सिफारिशों को सूचीबद्ध करें।

2) भारत में निजी विद्यालयों के प्रबंधन से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं? इन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है? व्याख्या।

3) भारत में सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने में एस.एस.ए. के योगदान पर गंभीर रूप से प्रतिबिंबन करें।

6.10 संदर्भ सूची एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

- भटनागर.एस. (1982). इंडियन एजूकेशन टूडे एंड टूमॉरो, मेरठः यूपी. इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- प्रीस्कूल करीकुलम, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, http://www.ncert.nic.in/pdf_files/preschool_coriculum.pdf
- ASER (2018) एनुअल स्टेट्स ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट (रूरल) (PDF). भारतः ASER केन 2019. p-47.
- http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf
- http://www.create-rpc.org/pdf_documents/India_Policy_Brief_1.pdf https://darpg.gov.in/sites/default/files/Sarva%20Siksha%20Abhiyan.pdf
- http://ncert.nic.in/pdf_files/8th_AISES_Concise_Report.pdf
- https://www.progressiveteacher.in/importance-of-pre-school-education/
- http://mooc.nios.ac.in/mooc/pluginfile.php?file=%2F11898%2Fcourse%2Fsummary%2F501e-u-4.pdf

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) अपने राज्य की जानकारी एकल करें व उत्तर दें।

2) भाग 6.3.3 देखें।

3) भाग 6.9.2 देखें।

4) वर्तमान 10+2 व्यवस्था की चर्चा करें।

5) भाग 6.5 देखें।

6) अपने SCERT की वेबसाइट देखें।

7) भाग 6.7 देखें।

8) भाग 6.7 देखें।

इकाई 7 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा

इकाई संरचना

7.1 परिचय

7.2 उद्देश्यों

7.3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर (केंद्रीय और राज्य) पर संस्थागत संरचना

7.4 प्रबंधन के प्रकार

7.5 माध्यमिक शिक्षा के लिए नियामक निकाय

7.6 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए योजनाएं

- 7.6.1 राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA)
- 7.6.2 समगत शिक्षा
- 7.6.2 माध्यमिक चरण में दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS)
- 7.6.3 माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE)
- 7.6.4 माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिककरण
- 7.6.5 मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (SPQEM)
- 7.6.6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs)

7.7 केंद्र प्रायोजित विद्यालय तंत्र

- 7.7.1 नवोदय विद्यालय
- 7.7.2 केन्द्रीय विद्यालय

7.8 सारांश

7.9 अभ्यास कार्य

7.10 संदर्भ सूची और उपयोगी अध्ययन सामग्री

7.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.1 परिचय

शैक्षिक संरचना में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार करता है। कक्षा 9वी और 10वी, माध्यमिक चरण का गठन करते हैं और 11वी और 12वी को कक्षा को उच्च माध्यमिक चरण में नामित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा के अंतिम दो वर्षों को अक्सर उच्च माध्यमिक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा या +2 चरण कहा जाता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों का सामान्य आयु वर्ग क्रमशः 14–16 वर्ष और 16–18 वर्ष है। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कई समितियों और आयोगों की नियुक्ति की। माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक तंत्र में सबसे कमज़ोर कड़ी पाया गया, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- माध्यमिक शिक्षा की संरचना का वर्णन कर सकेंगे,

- माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करने वाले विभिन्न निकायों की भूमिकाओं पर चर्चा कर सकेंगें,
- माध्यमिक शिक्षा के नियामक निकायों की सूची बना सकेंगे, और
- माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं की व्याख्या कर सकेंगे।

7.3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर (केंद्रीय और राज्य) पर संस्थागत संरचना

किसी भी कार्यक्रम के सफल होने के लिए, कुशल प्रशासन और प्रबंधन होना आवश्यक है, इससे न केवल उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा, अपितु प्रक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। हमारे देश में, विद्यालय प्रशासन, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्नलिखित तीन प्रमुख स्तरों के अंतर्गत आता है। आइए अब समझते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और माध्यमिक शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं?

i) केंद्रीय स्तर

ii) राज्य स्तर

iii) स्थानीय स्तर

केंद्रीय स्तर

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) हमारे देश में योजना बचाने और शैक्षिक विकास के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों के साथ विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग इससे सम्बंधित है।

केंद्रीय मंत्रालय का नेतृत्व मानव संसाधन विकास मंत्री नामक एक कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है, जिसके बाद दो राज्य मंत्री होते हैं, जिन्हें शिक्षा के शैक्षणिक और नीतिगत मामलों के अतिरिक्त सचिव और शिक्षा सलाहकार द्वारा सहायता के लिए विभाग के सचिव द्वारा आधिकारिक स्तर पर सलाह दी जाती है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में कई नौब्यूरो शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हैं।उन्हें निदेशकों, उप सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह विभागीय शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देता है। भारत में शैक्षिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और समन्वय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने कुछ अखिल भारतीय मंचों जैसे केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) का गठन किया है।

केंद्र सरकार ने कई अन्य संस्थाएं और संगठन बनाए हैं, जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान (NIOS), नवोदय विद्यालय समिति, जो विद्यालयी शिक्षा के विस्तार में मदद करते हैं।

यद्यपि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, माध्यमिक शिक्षा में प्रमुख भूमिका राज्य सरकार द्वारा निभाई जाती है। राज्य सरकार, केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अन्य स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित कुछ विद्यालयों को छोड़कर, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर के शैक्षिक निकाय हैं– शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा बोर्ड, एससीईआरटी, एसआईईटी, राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) आदि।

शिक्षा के राज्य प्रबंधन का तात्पर्य है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को राज्य द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है, राज्य द्वारा सरकारी कार्यालयों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और सरकार द्वारा सीधे नियुक्त लोगों द्वारा प्रशासित किया जाता है। राज्य नियंत्रित शिक्षा का अर्थ है कि शैक्षिक संस्थान पर राज्य का नियंत्रण। कुछ शैक्षिक संस्थान सरकार द्वारा शैक्षिक निकायों, धार्मिक निकायों, स्थानीय बोर्डों आदि के अलावा निकायों द्वारा प्रबंधित और वित्तपोषित हैं।

राज्य सरकार

भारत के राज्यों में शिक्षा के लिए अलग मंत्रालय हैं। किसी विशेष राज्य के शिक्षा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री होते हैं और उसके बाद मंत्री होते हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के रूप में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग–अलग मंत्रालय हो सकते हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र जैसे– उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आदि के लिए अलग मंत्रालय हो सकते हैं। मंत्री, राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक शिक्षा मंत्रालय के तहत कई निदेशालय कार्य करते हैं।

मंत्री, शैक्षिक नीतियों के कार्यान्वयन को तैयार करता है, क्रियान्वयन का निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है। राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा की संरचना इस प्रकार है–

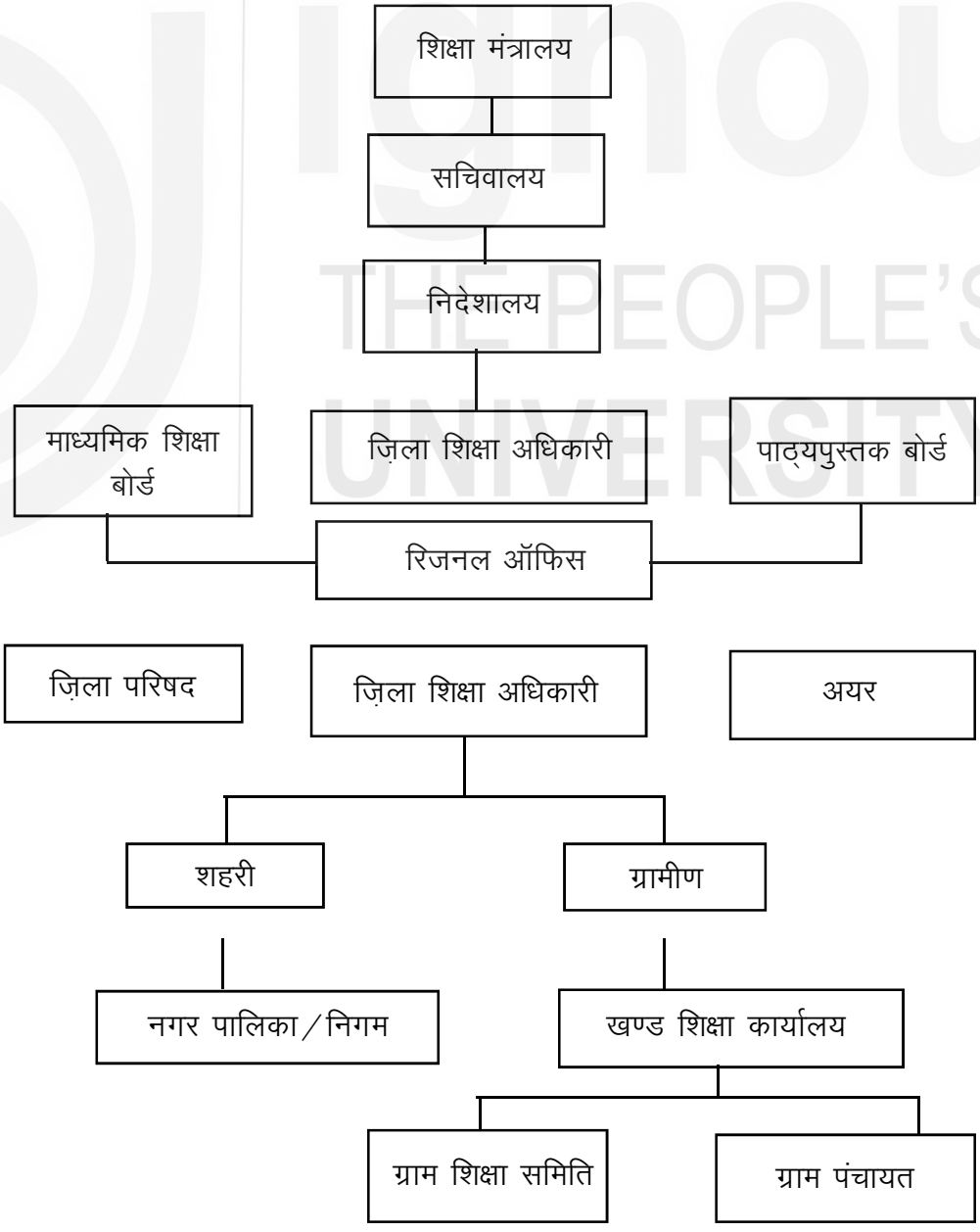

ऊपर दिए गए चित्र से, यह देखा जा सकता है कि राज्य स्तर पर, शिक्षा मंत्री, विद्यालयी शिक्षा संरचना के शीर्ष पर है। उसके अधीनस्थ सचिवालय आता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव (एक IAS अधिकारी) होता है, जो नीति निर्माण और विद्यालयी स्तर पर इसके निष्पादन के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होता है। उन्हें संयुक्त या उप सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का निदेशालय भी है। निदेशालय के कार्यकारी प्रमुख, निदेशक हैं और उन्हें संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक और उप निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों को ज़िलों की निकटता के आधार पर क्षेत्रीय या प्रमंडलीय कार्यालयों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र (सर्कल), एक सर्कल शिक्षा अधिकारी के प्रभार में आता है। सर्कल शिक्षा अधिकारी, ज़िला शिक्षा अधिकारियों की मदद से अपने सर्कल में विद्यालयों की देखभाल करता है। विद्यालय निरीक्षक या खंड शिक्षा अधिकारी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभारी होते हैं। भारत के सभी राज्यों में एक समान प्रशासनिक संरचना नहीं है। कुछ राज्यों में, द्वी–स्तरीय प्रशासनिक संरचना व्यवस्था है, अर्थात राज्य शिक्षा विभाग और ज़िला शिक्षा अधिकारी, जबकि अन्य राज्यों में, विभाग और ज़िला स्तर के बीच एक मध्यस्थ संरचना हो सकता है।

स्थानीय निकाय

भारत में, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय कभी–कभी माध्यमिक स्तर पर विभिन्न स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका बोर्डों, ज़िला निकायों, ज़िला पंचायतों और ग्राम पंचायतों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ऐसे विद्यालयों में स्थानीय करों के साथ–साथ राज्य सरकार से अनुदान द्वारा वित्तीय दायित्वों को साझा किया जाता है, लेकिन प्रबंधन, शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानीय निकायों द्वारा ढांचागत विकास किया जाता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विद्यालय शिक्षा के लिए कुछ केंद्रीय स्तर के संस्थानों और संगठनों का नाम बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 विद्यालयी प्रबंधन के प्रकार

भारत में, शिक्षा का प्रावधान प्रारम्भ से ही समुदाय उन्मुख रहा है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, परोपकारी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा स्थापित विद्यालयों ने अनुदान नीति के माध्यम से राज्य की मान्यता को जारी रखा है। भारत में, शैक्षणिक संस्थान सरकार के माध्यम से, निजी एजेंसियों को अनुदान, निजी संगठनों या अल्पसंख्यकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार, भारत में शैक्षिक प्रबंधन के चार रूप हैं :

ए) सार्वजनिक रूप से प्रबंधित और वित्त पोषित (जैसे– सरकारी प्राथमिक विद्यालय)

बी) सार्वजनिक रूप से प्रबंधित, लेकिन सार्वजनिक और निजी रूप से वित्त पोषित (जैसे– सरकारी माध्यमिक विद्यालय)

सी) निजी तौर पर प्रबंधित लेकिन सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित (जैसे सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय)। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, धर्मार्थ ट्रस्ट संचालित विद्यालय हैं जो सरकार से आंशिक धन प्राप्त करते हैं, जैसे– डीएवी महाविद्यालय

ड) निजी रूप से प्रबंधित और वित्त पोषित (जैसे वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय) उदाहरण दून विद्यालय, दिल्ली पब्लिक सकूल आदि।

भारत के अधिकांश सरकारी विद्यालय, श्रेणी (ए) और (बी) के हैं। भारत में अधिकांश निजी विद्यालय श्रेणी (सी) के हैं, यानी वे निजी तौर पर प्रबंधित हैं, लेकिन राज्य से उनके खर्च का 97% प्राप्त करते हैं।

भारत में, माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने में निजी भागीदारी बहुत प्रचलन में थी। माध्यमिक शिक्षा मूल रूप से निजी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा अनुदान प्रणाली के माध्यम से वित्त पोषित की जा रही थी। अनुदान–सहायता प्रणाली के पीछे मूल दर्शन माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय प्रयास और सहयोग को प्रेरित करना था। समय बीतने के साथ, राज्य सरकार ने अनुदान के आकार में वृद्धि की और निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी खर्चों को वित्तपोषित किया। परिणामस्वरूप, निजी प्रबंधन ने बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की है। भारत में माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न प्रकार के प्रबंधन निम्नानुसार हैं :

1) **सरकार द्वारा प्रबंधित विद्यालय**– भारत में कई विद्यालयों का प्रबंधन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने कई विद्यालय खोले हैं जो इसके द्वारा प्रबंधित हैं। अधिकांश छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ शिक्षा 14 वर्षों तक निःशुल्क है। ये विद्यालय केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं।

2) **स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित विद्यालय**– कई माध्यमिक विद्यालय स्थानीय निकायों, जैसे– ज़िला बोर्डों या नगरपालिकाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

3) **निजी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित विद्यालय**– भारत में, बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जो निजी निकायों द्वारा संचालित हैं। ऐसे सभी निजी निकायों को पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकृत संघों के रूप में कार्य करना चाहिए।

4) **धार्मिक संगठनों द्वारा प्रबंधितविद्यालय**– धार्मिक निकायों ने कई विद्यालय खोले हैं और शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में योगदान दिया है। अनुच्छेद 28(1) और 28(2) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धार्मिक निर्देश प्रदान करने

के लिए निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता होगी।

5) **अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित विद्यालय**– इन्हें अल्पसंख्यक विद्यालय भी कहा जाता है। ईसाई, मुस्लिम, सिख जैसे अल्पसंख्यकों ने भी विद्यालय खोले हैं और ये विभिन्न बोर्डों से संबद्ध हैं लेकिन अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि 'अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा' और इन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान सहायता के प्रावधान में दूसरों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं।

इस प्रकार, विद्यालयों को विभिन्न शैक्षणिक एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है–

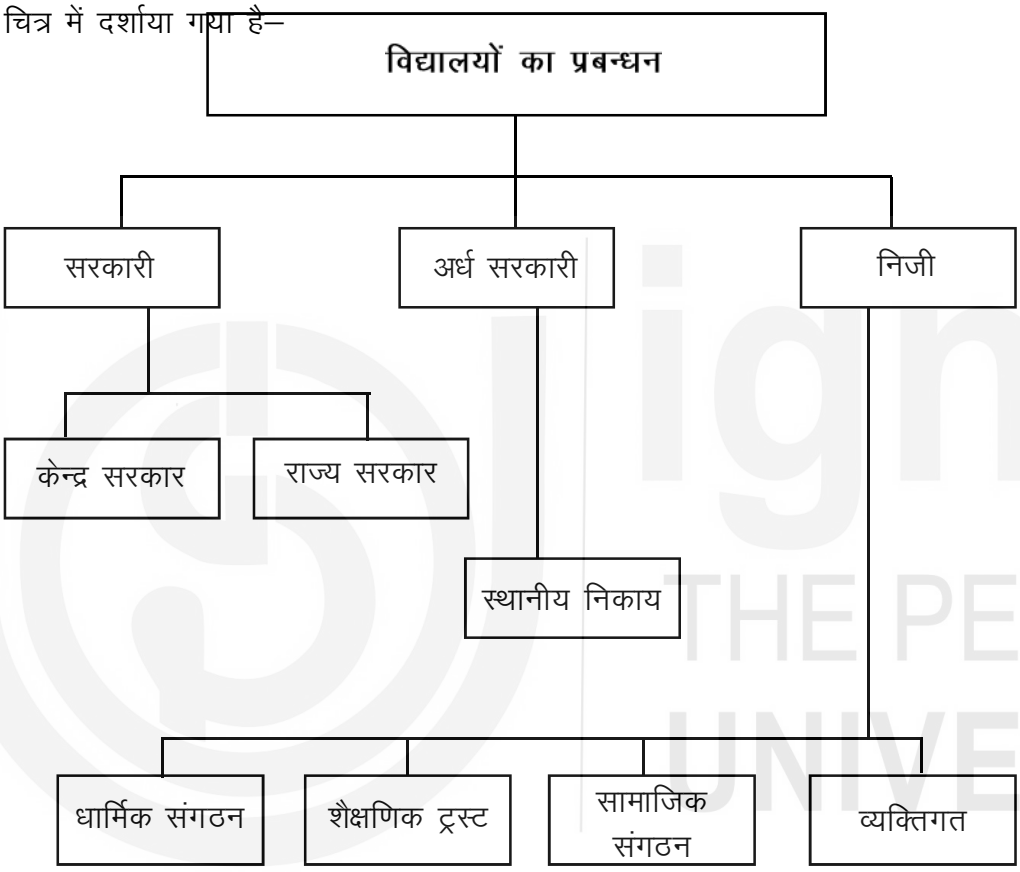

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) भारत में विद्यालयों के प्रबंधन के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है?

.....

.....

.....

.....

.....

7.5 माध्यमिक शिक्षा के लिए नियामक निकाय

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। विद्यालय को मान्यता, राज्य के विद्यालयी शिक्षा विभागों द्वारा प्राप्त होती हैं। प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय जो कक्षा 10 व 12 के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करता है, उसे ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करने वाले बोर्ड या परिषद से संबद्ध होना चाहिए।

तीन राष्ट्रीय बोर्डों यानी CBSE, NIOS और CISCE के साथ–साथ लगभग हर राज्य का अपना बोर्ड है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई निकाय हैं, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सुचारू प्रबंधन और प्रशासन की सुविधा प्रदान करते हैं। केंद्रीय स्तर पर सीएबीई (CABE), एनसीईआरटी, व साथ ही राज्य स्तर पर एससीईआरटी जैसे–निकाय भी हैं। आइए इन कुछ निकायों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं से संबंधित है। यह शैक्षिक नवाचार के अनुसंधान, विकास और प्रसार से संबंधित कार्यक्रम करता है। एनसीईआरटी विद्यालय स्तर के लिए मॉडल पाठ्यपुस्तकें, हैंडबुक, गाइडबुक, पूरक पाठन आदि भी प्रकाशित करता है।

इसकी भूमिका है :

क) शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थानों/NIE के प्रशासन की निगरानी करना।

ख) विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान को सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना

ग) शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना।

घ) छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री और संबंधित शिक्षक की हैंडबुक तैयार और प्रकाशित करना।

ड) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करना।

च) विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

छ) बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करने के लिए,

ज) विशेष अध्ययन, सर्वेक्षण और जांच करने के लिए।

स्रोत : (https://nroer-gov-in/)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)

राज्य शिक्षा संस्थान (SIE) के उन्नयन के परिणामस्वरूप 1979 में SCERT अस्तित्व में आये। NCERT की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में SCERT की स्थापना की गई। इसकी स्थापना राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए की गई थी। एससीईआरटी के कार्य हैं: विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चरणों के पाठ्यक्रम को विकसित करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चरणों के शिक्षण संस्थानों के उपयोग के लिए पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री का उत्पादन करना।

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET)

.केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET की स्थापना 1984 में NCERT के अभिन्न अंग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना था। यह एक स्वायत्त निकाय है जो शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। यह विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार और सुधार के लिए मास मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की स्थापना नवंबर 1989 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति– 1986 के अनुसरण में MHRD भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (NOS) के रूप में जाना जाता था। NIOS माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सामान्य और अकादमिक पाठ्यक्रम के अलावा कई व्यावसायिक, जीवन संवर्धन और सामुदायिक–उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करता है। NIOS का लक्ष्य मुक्त व दूरस्थ माध्यम से प्रासंगिक, सतत और समग्र शिक्षा प्रदान करना, विद्यालयी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान देने और समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्राथमिकता वाले लक्षित समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। NIOS भारत व विदेशों में विभागों, क्षेत्रीय केंद्रों और मान्यता प्राप्त संस्थानों (अध्ययन केंद्रों) के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS)

1963 में स्थापित, केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। यह पूरे भारत में केन्द्रीय विद्यालयों के कामकाज को देखता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

KVS का अध्यक्ष हमेशा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य शक्ति KVSS के आयुक्त के पास होती है।

नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

नवोदय विद्यालय समिति एक स्वायत्त संगठन है जो प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रबंधन करता है। नवोदय विद्यालय समिति का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के साथ मिलकर उत्कृष्टता के उद्देश्यों की सेवा करना है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के बच्चों को एक साथ रहने और सीखने के लिए, छात्रों की पूरी क्षमता विकसित करने और उन्हें विकाशील करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिल सके तथा वे राष्ट्रीय विकास में उत्प्रेरक बनें।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

CBSE का गठन 1962 में हुआ था। यह भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी विद्यालयों के लिए भारत में शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। सीबीएसई हर साल दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करता है। सीबीएसई संबद्धता, शिक्षाविदों और परीक्षा संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। बोर्ड का मूल उद्देश्य अपने संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिसमें छात्र–केंद्रित प्रतिमानों, शिक्षण परीक्षाओं में सुधार और मूल्यांकन प्रथाओं, कौशल सीखने आदि में सीबीएसई द्वारा शिक्षार्थी के समग्र विकास पर ज़ोर देने के साथ सतत व्यापक मूल्यांकन अपना प्रमुख ध्यान केंद्रित रखा गया है। वर्तमान में, सीबीएसई के भारत में 21270 से अधिक विद्यालय और विदेशों में 228 विद्यालय हैं। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रभावी ढंग से कार्यों को निष्पादित करने के लिए लगभग 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

काउंसिल फॉर द इंडियन विद्यालय सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE)

द कांउसिल फॉर द इंडियन विद्यालय सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद् की स्थापना 1958 में हुई थी। यह भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए एक निजी बोर्ड है। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से छात्रों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। CISCE तीन परीक्षाओं का आयोजन करता है: इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE–कक्षा 10), इंडियन विद्यालय सर्टिफिकेट (ISC–कक्षा 12) और सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन (CVE–वर्ष 12) ACISCE से संबद्ध विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम में होने चाहिए। वर्तमान में, भारत में CISCE से 2100 से अधिक विद्यालय संबद्ध हैं।

राज्य शिक्षा परिषदें

राज्य शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा के नियामक निकायों में से एक हैं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर के शैक्षिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा के राज्य बोर्डों के मुख्य कार्य हैं– पाठ्यक्रम की घोषणा करना, दसवीं और बारहवीं के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना, बोर्ड की

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करना, विद्यालयों को संबद्धता/मान्यता प्रदान करना, शिक्षकों की योग्यता पाठ्यक्रम निर्धारित करना आदि।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश हाई विद्यालय और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश मध्यम शिक्षा परिषद) राज्य सरकार संचालित स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसका मुख्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद) में है। यह उत्तर प्रदेश के कक्षा 10 (हाई विद्यालय) और 12 (इंटरमीडिएट) परीक्षा के लिए परीक्षा प्राधिकारी है। यह वार्षिक रूप से परीक्षा आयोजित करता है। यह छात्रों की संख्या के एशिया में सबसे बड़ा बोर्ड है। वर्तमान में, 22,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इतने बड़े पैमाने पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, बोर्ड मेरठ, वाराणसी और बरेली में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से काम करता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) NCERT के उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

6) कौन सी संस्था जावाहर नवोदय विद्यालय का प्रबंधन करती है?

.....

.....

.....

.....

.....

7) रिक्त स्थान भरें :

ए) NIOS का अर्थ है .....

बी) CBSE का अर्थ है .....

सी) CISCE को ..... में स्थापित किया गया था।

डी) ..... छात्रों की संख्या के मामले में एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है।

7.6 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए योजनाएं

माध्यमिक शिक्षा, समुदाय की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय प्राचीन और मध्यकालीन भारत में प्रचलित नहीं थे। भारत में माध्यमिक

शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा का विस्तार प्रदान करने वाले विद्यालयों को शुरू में अंग्रेजों द्वारा और उसके बाद भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने वालों द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि, भारत में अंग्रेजों द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना था।

प्रारंभ में, लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट (1835) ने माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वुड्स डिस्पैच (1854) ने भी अनुदान प्रणाली शुरू करके भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास में योगदान दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917) ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों का अध्ययन करने के बाद, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। हार्टोग कमेटी (1929) ने सिफारिश की कि माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि यह छात्रों को आत्म निर्भर बनाने में सक्षम हो। सरजेंट रिपोर्ट (1944) ने सुझाव दिया कि 11 वर्ष से कम आयु के किसी भी छात्र को हाई विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए और हाई विद्यालय पाठ्यक्रम 6 साल का होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद, कई नियुक्त समितियों और आयोगों तथा तारा चंद समिति (1948) ने माध यमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में सुझाव दिए, जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक विद्यालयों को बहु–पार्श्व (Multilateral) होना चाहिए लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, एकतरफा विद्यालयी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदलियार आयोग (1952–53) ने भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर के रूप में काम किया। इसने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विविध ीकरण, बहुउद्देश्यीय विद्यालयों को खोलने, आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित करने, मानवीय गुणों और नेतृत्व, शिक्षण के तरीकों में बदलाव, परीक्षा में नए रुझान, मार्गदर्शन आदि की सिफारिश की।

माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा आयोग (1964–66) ने सिफारिश की कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक संस्थानों को कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, वानिकी, कला और शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968) ने सुझाव दिया कि दसवीं कक्षा तक, विज्ञान और गणित का अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सभी श्रेणियों (एससी, एसटी, लड़कों, लड़कियों, अमीर, गरीब) के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए और कुछ प्रकार की तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा भी माध यमिक स्तर पर दी जानी चाहिए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) ने छठी–बारहवीं कक्षा के लिए माध्यमिक चरण नवोदय विद्यालय में शिक्षा के व्यावसायिककरण की सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर सीएबीई (CABE) समिति की रिपोर्ट (June, 2005) ने माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के मार्गदर्शक सिद्धांत की सिफारिश की, कि सार्वभौमिक, समानता और सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता और विकास, और संरचनात्मक और पाठ्यचर्या संबंधी विचार होना चाहिए।

7.6.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता या मानकों के विस्तार और सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। RMSA, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की सरकार की एक पहल है। भारत में प्राथमिक स्तर पर SSA की सफलता ने देश भर में माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को बढ़ा दिया था क्योंकि बड़ी संख्या में उच्च प्राथमिक कक्षाओं से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा के लिए मांग बढ़ गयी। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इस केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन को सभी के लिए कुशल बढ़त, विकास और समानता के लिए शर्तें

प्रदान करने के लिए 2009–10 से शुरू हुआ। इस योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श और वित्तीय सहायता शामिल है।

आरएमएसए के उद्देश्य हैं :

- प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना।
- सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में आवश्यक भौतिक सुविधाएं, शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ प्रदान करना
- आवासीय सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, आदि प्रदान करके सभी छात्रों के लिए माध्यमिक विद्यालय की पहुँच में सुधार करना।
- माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, जिसके परिणामस्वरूप बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा में वृद्धि हो।
- 2005–06 में इसके कार्यान्वयन के 5 वर्षों के भीतर 9 से 10 वी कक्षाओं के लिए 52.26% से 75% के सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करना।
- 2012–13 तक 75% और 2017–18 तक 100% पहुंच प्राप्त करना।
- 2020 तक 100% प्रतिधारण प्राप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी छात्र लैंगिक असमानता, सामाजिक–आर्थिक कारणों, दिव्यांगता आदि के कारण माध्यमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

RMSA के तहत दी जाने वाली भौतिक सुविधाएं हैं :

- अतिरिक्त कक्षाएँ– माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे और विद्यालय भवन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
- प्रयोगशालाएँ– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और गणित प्रयोगशाला का निर्माण तथा प्रयोगशाला उपकरणों को अनुदान प्रदान करने के ।
- पुस्तकालय– माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करने के लिए रु. एक लाख वित्तीय अनुदान, पुस्तकालय निर्माण हेतु तथा पुस्तकों व पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की खरीद के लिए 10,000 प्रतिवर्ष प्रदान किया जाना है।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय ब्लॉक का प्रावधान।
- पीने के पानी की सुविधा।
- कला और शिल्प कक्ष–प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कला और शिल्प कक्ष की स्थापना।
- दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास।
- फर्नीचर और उपकरण– प्रधानाध्यापक कमरे, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, कला और शिल्प कक्ष आदि के लिए फर्नीचर और उपकरणों की आपूर्ति।
- इन सभी के अलावा, विद्यालयों को सीखने की सामग्री, खेल उपकरण, संगीत, ड्राइंग, कला की खरीद के लिए सालाना रु. 50,000 अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। विद्यालय की मामूली मरम्मत और रुपये के अनुदान के लिए हर विद्यालय को 25,000

सालाना प्रदान किया जाता है। विद्यालयों की प्रमुख मरम्मत के लिए 2–4 लाख सालाना अनुदान दिया जाता है।

RMSA की योजना के तहत प्रदान किए गए गुणवत्ता हस्तक्षेप में शिक्षकों की नियुक्ति रु. 30:1 विद्यार्थियोंः शिक्षक अनुपात को बनाए रखना, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी सक्षम शिक्षण, पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है।

RMSA की योजना में दिए गए महत्वपूर्ण समता हस्तक्षेपों में कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान, अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता, विद्यालयों को खोलने के लिए अल्पसंख्यक, उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता, विशेष ध्यान केंद्रित करना, शामिल हैं। माइक्रो प्लानिंग पर बल, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक, आदि।

RMSA का कार्यान्वयन तंत्र – RMSA एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित राज्य सरकार के समाजों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्रीय और राज्य का हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किए जाते हैं।

7.6.2 समग्र शिक्षा

चूंकि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कई योजनाएँ समन्वित की जा रही थीं, भारत सरकार के केंद्रीय बजट, (2018–19) में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) ने प्री–नर्सरी से कक्षा 12 तक किसी विभाजन के बिना समग्र रूप से विद्यालयी शिक्षा को साथ करने का प्रस्ताव दिया।

विद्यालयी शिक्षा में पूर्व–विद्यालयी से कक्षा 12 तक के लिए एक समग्र कार्यक्रम के रूप में एक नई योजना ''समग्र शिक्षा'' की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा और समान शिक्षण परिणामों के लिए समान अवसर प्रदान कर विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करना है. इसमें तीन पूर्ववर्ती योजनाएँ, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को एक साथ समेकित किया गया है.

यह भी प्रस्तावित किया गया था कि यह 'क्षेत्रवार विकास कार्यक्रम योजना' होगी जो सभी स्तरों, विशेष रूप से राज्य, जिला और उप–जिला स्तर प्रणालियों का उपयोग करने में और संसाधनों, विकास के लिए एक व्यापक रणनीतिक योजना की परिकल्पना के अलावा जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में कार्यान्वयन तंत्र और लेन–देन की लागत में सामंजस्य बनाने में भी मदद करेगी।

मुख्य ध्यान परियोजना से तंत्र स्तर के बदलाव और विद्यालयी उपलब्धियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य पर है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिषा में राज्य को प्रोत्साहन के साथ–साथ संयुक्त योजना का जोर होगा। यह योजना पूर्व–विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक से एक निरंतरता के रूप में 'विद्यालय' की परिकल्पना करती है।

योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार पूर्व–विद्यालय से वरिष्ठ स्तर तक समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के अधिगम प्रतिफलों में वृद्धि; विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को पाटना; विद्यालय में सभी स्तरों पर समता और समावेश सुनिश्चित करना; विद्यालयी प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना;

शिक्षा का व्यावसायिककरण को बढ़ावा देना; बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधिकार के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना; और एससीईआरटी /राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट के नोडल एजेंसियों के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण के उन्नयन लिए और मजबूत बनाना।

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों में प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में ये योजनाएं प्रस्तावित हैं :

(i) आधारभूत ढांचे के विकास सहित सार्वभौमिक पहुँच और प्रतिधारण (ii) लिंग और समता (iii) समावेशी शिक्षा (iv) गुणवत्ता (v) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता (vi) डिजिटल पहल (vii) शिक्षा का अधिकार (जिसमें गणवेश, पाठ्यपुस्तक आदि प्रदान करना) (viii) पूर्व–विद्यालय शिक्षा ((ix) व्यावसायिक शिक्षा (x) खेल और षारीरिक शिक्षा (xi) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण की मजबूती (xii) निगरानी (xiii) कार्यक्रम प्रबंधन और (xiv) राष्ट्रीय घटक।

7.6.3 माध्यमिक चरण में दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)

यह, माध्यमिक चरण में दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा की शताब्दी प्रायोजित योजना है। IEDSS को 2009 में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू किया गया था। IEDDS ने सभी बच्चों और युवा दिव्यांगों के लिए माध्यमिक शिक्षा को सक्षम करने और सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन, प्रतिधारण और उपलब्धि में सुधार करने की परिकल्पना की है।

योजना का लक्ष्य समूह 14–18 वर्ष की आयु के उन सभी छात्रों को शामिल करता है, जिन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई यानी सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 9–12वी में उत्तीर्ण हुए थे और एक या अधिक दिव्यांगता से पीड़ित थे, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (1995) और नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999) सीखने की अक्षमता से परिभाषित किया गया है। जैसे : दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, सीखने की दुर्बलता, हकलाहट, कुष्ठ रोग, आत्मकेंद्रित, मस्तिष्क पक्षाघात आदि। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग लड़कियों को इस योजना के तहत विशेष ध्यान दिया जाता है।

केंद्र प्रायोजित IEDSS योजना का उद्देश्य है–

– सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को एक अवसर प्रदान करना, जिन्होंने समावेशी और उपयुक्त वातावरण में 4 साल की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9–12) प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के 8 साल पूरे किए हैं।

– माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग छात्रों को शैक्षिक अवसर और सुविधाएं प्रदान करना।

– 3–5 साल की अवधि के भीतर दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण का समर्थन करना।

योजना यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश करती है कि :

- माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे की पहचान करना।
- प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन करना ।
- प्रत्येक बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार दिव्यांगता वाले उत्पाद, उपकरण और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।
- उसकी आवश्यकता के अनुसार दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को सीखने की सामग्री की आपूर्ति करना।
- विद्यालयों में सभी वास्तु बाधाओं को दूर करना ताकि दिव्यांग छात्रों को कक्षाओं, पुस्तकालयों और शौचालयों तक पहुंच हो।
- दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जैसी सहायता सेवाएं प्रदान करना।
- समावेशी शिक्षा में अच्छी प्रतिकारक प्रथाओं को विकसित करने के लिए हर राज्य में प्रारूपी विद्यालयों की स्थापना।

IEDSS एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशों और स्वायत्तशासी निकायों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, IEDSS के कार्यान्वयन में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के तहत, दो प्रकार के घटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। छात्र–उन्मुख घटक और अन्य घटक (अर्थात, जो बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, जागरूकता पीढ़ी, आदि से संबंधित हैं)।

छात्र–उन्मुख घटकों के लिए, इस योजना में राज्य/संघ शासित प्रदेशों/स्वायत्त निकायों को रू.3000 प्रति दिव्यांग बच्चा प्रति वर्ष सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। यह राशि निम्नलिखित घटकों पर खर्च की जाती है–विशेष शिक्षक, चिकित्सक, दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता और उपकरण का प्रावधान, दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की सामग्री का प्रावधान, ब्रेल किताबें, ऑडियोटेप्स आदि, परिवहन सुविधाओं के लिए छात्रावास की सुविधाएं, गणवेश, किताबें, छात्रवृत्ति, दिव्यांग छात्राओं के लिए छात्रवृत्रि, आईसीटी का उपयोग जैसे कंप्यूटर, आदि।

अन्य घटकों में की शिक्षक प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधन से लैस कमरों का निर्माण करना, मॉडल विद्यालय बनाना, विद्यालय में वास्तु बाधाओं को दूर करना, प्राचार्यों का उन्मुखीकरण, शैक्षिक प्रशासक, अनुसंधान और निगरानी, आदि शामिल हैं।

IEDSS दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए परीक्षा के वैकल्पिक तरीकों का भी प्रावधान करता है।

7.6.4 माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE)

नौवीं कक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए मई 2008 में NSIGSE योजना शुरू की गई थी। यह योजना अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर डाल दी गई है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में एससी/एसटी समुदायों से संबंधित लड़कियों नामांकन को बढ़ावा देने और छोड़ने से रोकने के लिए एक सक्षम वातावरण स्थापित करना है।

18 वर्ष तक की उम्र के लिए उनकी अवधारण सुनिश्चित करना।

इस योजना में (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित सभी लड़कियों को शामिल किया गया है जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करती हैं और (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी लड़कियां (चाहे वे अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हों) और राज्य/केंद्र शासित सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों में कक्षा नौवीं कक्षा में नामांकन। नौवीं कक्षा में नामांकन पर रू.3000 अविवाहित लड़कियों के नाम जमा किया जाता है, जो 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने और दसवीं कक्षा की परीक्षा पास करने के लिए ब्याज सहित इसे वापस लेने के हकदार हैं।

7.6.5 माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिककरण

+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा की योजना : 1988 में शुरू की गई, माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक रूप से प्रायोजित इस योजना में शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के साथ–साथ व्यक्तिगत रोजगार में वृद्धि, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करने तथा उच्च शिक्षा पाने के लिए एक विकल्प के तौर पर प्रदान करने का प्रावधान है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है और कक्षा 11 से इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान प्रावधान के विपरीत, कक्षा 09 से लागू किया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) द्वारा लाए गए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक पर आधारित होंगे जो विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम स्तर की योग्यता निर्धारित करते हैं। शैक्षिक निकायों द्वारा शैक्षणिक योग्यता का आकलन और प्रमाणित किया जाएगा और संबंधित एसएससी द्वारा व्यावसायिक कौशल का मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाएगा।

ICT@ योजना : माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्य रूप से आईसीटी कौशल की अपनी क्षमता का निर्माण करने और उन्हें कंप्यूटर सहायता प्राप्त सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय योजना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी। यह योजना सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी अवसंरचना को सक्षम करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य केवी और नवोदय विद्यालयों में स्मार्ट विद्यालय स्थापित करना है, जो भारत सरकार के संस्थानों को 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी' के रूप में स्थापित करने और पड़ोस के विद्यालयों के छात्रों के बीच आईसीटी कौशल के प्रसार के लिए नेतृत्व करने के लिए गतिमान संस्थान हैं।

7.6.6 मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM)

एसपीक्यूईएम मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करता है ताकि मुस्लिम बच्चों को विकृतिपूर्ण शिक्षा के विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। एसपीक्यूईएम योजना की मुख्य विशेषताएं हैंरू (i) औपचारिक पाठ्यक्रम विषय जैसे कि विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि के अध्यापक मानदेय के भुगतान के माध्यम से शिक्षण के लिए मदरसों में क्षमताओं को मजबूत करना। (ii) दो साल के नए शैक्षणिक अभ्यास में ऐसे शिक्षकों का प्रशिक्षण। (iii) इस संशोधित योजना की अनूठी विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त केंद्रों के रूप में राष्ट्रीय मुक्त

विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के साथ मदरसों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 5,8,10 व 12 के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह उन्हें उच्च अध्ययन के लिए स्थानांतरित करने में सक्षम होगा और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा। एनआईओएस को पंजीकरण और परीक्षा शुल्क के साथ–साथ उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री को इस योजना के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए। (iv) इस योजना के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एनएनआईओएस का लिंक बढ़ाया जाएगा।

7.6.7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

ये विद्यालय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए वित्त पोषित हैं। राज्य सरकार से EMRS की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के कला 275 (1) के तहत अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। इस कार्यक्रम के तहत, देश में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी के संदर्भ में 26 राज्यों में 9 वामपंथी अतिवाद (LWE) राज्यों सहित राज्यवार आवंटन राज्य के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अनुदान का एक हिस्सा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जून 2010 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र और उसके लोगों की जरूरतों के आधार पर आवंटन के भीतर राज्य सरकार द्वारा EMRS की स्थापना सहित विकास योजनाओं के लिए प्राथमिकता तय और निष्पादित की जाती है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

8) भारत में अनुदान सहायता प्रणाली किस वजह से शुरू हुई?

.....

.....

.....

.....

9) मुदलियार आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

.....

.....

.....

.....

10) RMSA की क्या आवश्येकता थी?

.....

.....

.....

.....

11) IEDSS का पूर्ण रूप क्या है?

.....

.....

.....

.....

12) IEDSS का मुख्य उद्देश्य क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

13) साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया था?

.....

.....

.....

.....

.....

14) कॉमन विद्यालय सिस्टम की स्थापना ..... की सिफारिश पर की गयी था ।

15) बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना .....की सिफारिश पर किया गया था।

16) आश्रम विद्यालय ..... छात्रों के लिए है।

7.7 केन्द्रीय प्रायोजित विद्यालय तंत्र

7.7.1 नवोदय विद्यालय

नई शिक्षा नीति (1986) के अनुसार, यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि विशेष प्रतिभा या योग्यता वाले बच्चों को उनके लिए भुगतान करने की क्षमता न होने के बावजूद, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर तेज गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नई शिक्षा नीति (1986) ने देश में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवाचार और प्रयोग की पूरी व्यवस्था के साथ गति–आधारित विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 1985–86 में पूरे देश में प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) स्थापित करने, ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए एक योजना शुरू की।

इन JNV का प्रबंधन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है। नवोदय विद्यालयों का व्यापक उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के साथ मिलकर उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

है, देश के विभिन्न हिस्सों के बच्चों को एक साथ रहने और सीखने, छात्रों की पूरी क्षमता विकसित करने और एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए उत्प्रेरक बनने का अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है जिससे राष्ट्रीय विकास के लिए विद्यालय का माहौल बने।

नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय और सह–शैक्षणिक संस्थान हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रवेश 25% सीटों तक सीमित है और बाकी 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बच्चों के लिए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि इन विद्यालयों में छात्रों के छात्रों में से एक–तिहाई 33% लड़कियां हैं। एससी/एसटी के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। नवोदय विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली, उज्ज्वल और प्रतिभावान बच्चों की पहचान और विकास के साथ विकास की एक नई शैली की परिकल्पना की, जिन्हें अन्यथा अच्छे शैक्षिक अवसरों से वंचित किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय की विशिष्ट विशेषताओं में से एक प्रवासन है, जिसके तहत हिंदी भाषी क्षेत्र के एक विद्यालय से कक्षा–9 के 30% छात्र जो हिंदी क्षेत्र के हैं वो एक शैक्षणिक वर्ष को अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय में बिताते हैं और इसके विपरीत से देश के लोगों की विविधता, भाषा और संस्कृति की समझ से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और जिस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं, उसमें नवोदय विद्यालय गति–निवारक के रूप में है। यह वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। इन विद्यालयों में आवास, रहना, पाठ्यपुस्तकों, गणवेश आदि सहित शिक्षा का कुल खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक में नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रदान करते हैं। ये विद्यालय कक्षा छठी–बारहवीं तक के हैं। नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हैं। इन विद्यालयों में त्रि–भाषीय सूत्र लागू किया जाता है और नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को मूल्यों का समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, मनोरंजक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा सहित गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा डिजाइन और आयोजित किए गए परीक्षण के माध्यम से इन विद्यालयों में प्रवेश कक्षा–6 से शुरू होते हैं।

नवोदय विद्यालय समिति एक स्वायत्त संगठन है। नवोदय विद्यालय समिति के पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, शिलांग, लखनऊ और पटना में 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय विद्यालय के शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करते हैं। निकाय के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में, देश में 590 नवोदय विद्यालय हैं, (सिर्फ तमिलनाडु राज्य को छोड़कर)। इसके अलावा, नवोदय विद्यालय उन लोगों के लिए एक वरदान हैं, जिनके पास सर्वांगीण विकास का अवसर नहीं है।

7.7.2 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय था, जिसकी स्थापना 1995, में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना और निगरानी करना था। यह भारत में केंद्रीय सरकारी विद्यालयों की एक प्रणाली है जो शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आती है। केवीएस का आदर्श वाक्य ''तत्त्वं पूषन् अपावृणु'' है, सभी केन्द्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हैं। KVS का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साझा कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा कर्मियों सहित हस्तांतरणीय केंद्रीय

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। केवीएस के अन्य उद्देश्य, उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में गति निर्धारित करना है, सीबीएसई और एनसीईआरटी के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग और नवाचारों को शुरू करना और बढ़ावा देना, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि को पूरा करना, छात्रों के बीच भारतीयता का राष्ट्रीय एकीकरण का विकास करना। संगठन भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। यह दुनिया में, अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में शिक्षा प्रदान वाली सबसे बड़ी संस्था है। वे सह–शैक्षिक, समग्र विद्यालय हैं। इन केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को एक उपयुक्त छात्र–शिक्षक अनुपात के माध्यम से उच्च रखा जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक चुनौती का सामना न करना पड़े जब उनके माता–पिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएं।

KVS नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ केंद्रीय विद्यालय के कामकाज की देखरेख करता है। KVS के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। लेकिन वास्तविक कार्य सत्ता केवीएस के आयुक्त के पास होती है। छात्रों के समग्र विकास और विद्यालय प्रणाली के रखरखाव के लिए, केंद्रीय विद्यालय की कई समितियाँ जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति (VMC) सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत में 1200 से अधिक केन्द्रीय विद्यालय हैं और 3 केन्द्रीय विद्यालय विदेशों में अर्थात् काठमांडू, मास्को और तेहरान में संचालित हैं। वे भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और भारत सरकार के अन्य प्रवासी कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विदेश में केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन क्यों किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

7.8 सारांश

इस इकाई में, हमने माध्यमिक और उच्च–माध्यमिक स्तर पर संस्थागत संरचना का एक अवलोकन किया । भारत में, विद्यालय सरकारी, अनुदान सहायता या निजी संगठनों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इकाई ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर माध्यमिक और वरिष्ठ नागरिक शिक्षा पर विभिन्न संस्थागत संरचनाओं पर चर्चा की है। इस इकाई ने भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंधन और विभिन्न नियामक निकायों की भूमिका के बारे में भी बताया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS) माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE) सहित राष्ट्रीय और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न योजना।

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) आदि का इकाई में पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है । अंत में, दो मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित विद्यालय तंत्र अर्थात नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी इस इकाई में विस्तार से चर्चा की है।

7.9 इकाई अंत अभ्यास

1) अपने राज्य में माध्यमिक और उच्च–माध्यमिक शिक्षा का एक संगठनात्मक चार्ट बनाएं और प्रबंधन में विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका पर व्याख्या करें।

2) गुणवत्ता माध्यमिक और उच्च–माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने में नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की संगणकीय भूमिका और योगदान की तुलना करें ।

7.10 सन्दर्भ सूची एवं अध्ययन हेतु उपयोगी सामग्री

- MHRD (1986). National Policy on Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf
- Ministry of Law and Justice (2009). The Right of Children to free and compulsory education act, 2009, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/RTEAct.pdf
- Planning Commission (2013). Twelfth five year plan (2012-2017) Social Sector (Vol. 3), SAGE Publications India Pvt Ltd, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/XIIFYP_SocialSector.pdf
- MHRD (2017). Annual report, department of school education and literacy, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/documentreports/HRD%20AR%202016-17%20SE.pdf
- https://mhrd.gov.in/iedss
- https://mhrd.gov.in/rmsa
- https://mhrd.gov.in/scheme
- https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1
- https://kvsangathan.nic.in/
- https://www.nios.ac.in/
- http://cbse.nic.in/newsite/index.html

7.11 प्रगति जांच के उत्तर

1) सीबीएसई, केवीएस, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनवीएस

2) राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को राज्य द्वारा प्रशासित, वित्तपोषित, अस्तित्व में लाया जाता है।

3) सरकार, स्थानीय निकायों, निजी संगठनों, धार्मिक संगठनों, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित विद्यालय।

4) सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

5) विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना

6) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

7) नवोदय विद्यालय समिति

8) ए) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

बी) काउंसिल फॉर इंडियन विद्यालय सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन

सी) यूपी बोर्ड

9) वुड्स डिस्पैच

10) पाठ्यक्रम का विविधीकरण, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलना

11) माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

12) माध्यमिक चरण में दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा

13) माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए।

14) 8 सितंबर, 2009

15) ए) कोठारी आयोग

बी) मुदलियार आयोग

सी) जनजातीय

16) हस्तांतरणीय भारतीय दूतावास कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

इकाई 8 व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा'

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 व्यावसायिक शिक्षा

- 8.3.1 व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना
- 8.3.2 विद्यालयी शिक्षा का व्यावसायीकरण

8.4 व्यावसायिक शैक्षिक संसाधन

8.5 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की भारत में वर्तमान स्थिति

- 8.5.1 औपचारिक व्यवस्था में +2 स्तर पर व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम
- 8.5.2 अन्य अभिकरणों तथा अनौपचारिक और दूरस्थ माध्यम से व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.6 व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्व

- 8.6.1 मानव संसाधन और विकास के लिए शिक्षा
- 8.6.2 राष्ट्र निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा
- 8.6.3 ज्ञान अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा
- 8.6.4 समाज के हाशिए के वर्गों के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा
- 8.6.5 विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा

8.7 केन्द्र और राज्य स्तर पर योजनाएँ

8.8 सारांश

8.9 अभ्यास कार्य

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.1 प्रस्तावना

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ व्यवसाय को शिक्षा से अलग कभी नहीं देखा गया है। परन्तु, औपनिवेषिक प्रभाव के कारण, पारंपरिक भारतीय प्रणाली में शिक्षा के व्यावसायीकरण को हतोत्साहित किया गया और एक नई प्रणाली उभरी जो मुख्य रूप से औपनिवेषिक प्रशासन की आवश्यकओं को पूरा करने के लिए थी। यह धारणा कई शैक्षिक विचारकों और शिक्षाविद्ों द्वारा औपनिवेषिक काल के दौरान तथा उसके बाद भी पहचानी गई तथा उसकी कल्पना की गई थी। गांधी की वर्धा योजना, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल को एक साथ लाने का प्रयास थी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1951–52) ने सभी अवस्थाओं में तकनीकी कौशल तथा कार्य कुशलता के समावेश और उन्नयन की सलाह की। इसी तरह, कोठारी आयोग (1964–66) ने भी शिक्षा को कार्य से सम्बन्धित करने का सुझाव दिया और अनुशंसा की कि व्यावसायिक शिक्षा दोनों स्तरों पर होनी चाहिए अर्थात् निम्न और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने व्यावसायिक कौशल विकास पर अधिक एकाग्रता के साथ विद्यालयी शिक्षा का फिर से पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। इस संदर्भ में, यह इकाई भारत में

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ तथा महत्व, विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थाओं की संरचना, केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं और विद्यालयी बच्चों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने में समाज और उद्योग की भूमिका भी समझाने का एक प्रयास है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के समाप्त होने के बाद, आप :

- विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण का अर्थ समझा सकेंगे;
- कौशल विकास के लिए शैक्षिक संस्थानों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे;
- कौशल विकास के लिए सामाजिक योगदान को पहचान सकेंगे; तथा
- व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधा के लिए उद्योगों की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

8.3 व्यावसायिक शिक्षा

पहले के समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौशलों का हस्तांतरण प्रतिदिन की गतिविधियों के द्वारा ही हो जाता था। जब यह हस्तांतरण अधिक संरचित तथा व्यवस्थित हुआ तब परंपराएँ विकसित हुईं। यह एक विशेषज्ञ द्वारा शिक्षार्थी को दिया गया जो एक विशिष्ट कौशल सिखाता था और यह कौशल उसके व्यवसाय तक जारी रहता था। यह सीखा हुआ कौशल बाद में अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। आप सहमत होंगे कि इससे न यह कौशल जीवित रहता था बल्कि यह व्यक्ति को पैसा कमाने, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी करता था। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशलों का हस्तांतरण व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्त को रेखांकित करता है।

सरल शब्दों में, हम इसे इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं: **"व्यावसायिक शिक्षा औपचारिक या गैर–औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों में शिक्षा और कौशल के बारे में बात करती है।"** इसे ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को प्रसारित करने के संगठित और असंगठित दोनों विधियों के रूप में समझाया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षिक प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ज्ञान, कौशल, संरचनात्मक गतिविधियों, योग्यताओं, क्षमताओं और अन्यी किसी संरचनात्मक अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है जिसे औपचारिक माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नौकरी या नौकरी के बाद का प्रशिक्षण जो प्राप्तकर्त्ता को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी को सुरक्षित करने का अवसर बढ़ाती है अथवा व्यक्ति को स्वरोजगार करने में समर्थ बनाती है, (वेंकटैया, 2000)।

एक अधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण का अर्थ किसी विशेष रोजगार के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित या प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समकालिक और नियंत्रित शिक्षण अनुभव की एक व्यवस्था है। व्यावसायिक शिक्षा कर्मचारियों के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण है जो मनुष्य के जीवन में एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। यह व्यक्ति के भाग्य और बाद में मानव जाति के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को प्रेरित करता है तथा उनके भविष्य की नींव स्थापित करता है।

8.3.1 व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना*

यूनेस्को–यूनेवोक (UNESCO-UNEVOC) ने तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को कार्य के संसार के लिए ज्ञान तथा कुशलता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया है। व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित परिभाषित शब्दावली विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। व्यापक रूप से विभिन्न शब्दावली जो प्रयुक्त होती हैं वे हैं: व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण, वृत्तिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक (Occupational) शिक्षा, जनबल शिक्षा, जीवनवृत्ति तथा तकनीकी शिक्षा तथा कार्यस्थल शिक्षा। फिर भी मुख्य आधारभूत उद्देश्य समान रहते हैं। शैक्षिक तथा प्रशिक्षण का जो प्रबंध स्थापित किया जाता है, उनका लक्ष्य लोगों की दक्षता को प्रोत्साहित तथा बढ़ावा देना होता है ताकि उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में कार्यशील बनाया जा सके।

भारत में, सामान्यतया हम दो शब्दावलियों "शिक्षा का व्यावसायीकरण" तथा "व्यावसायिक शिक्षा" को अधिकतर समानार्थक शब्दावली के रूप में प्रयुक्त करते हैं, हालाँकि दोनों अवधारणाओं में संकल्पनात्मक अंतर होता है – पहली शब्दावली विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित है जो विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक है।

व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा के +2 स्तर पर अन्य वर्गों जैसे – कला, विज्ञान तथा वाणित्य के समान एक अलग वर्ग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। दो वर्षों की व्यावसायिक शिक्षा कुछ चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही प्रदान की जाती है। शिक्षा के राज्य स्तरीय बोर्ड/व्यावसायिक शिक्षा के बोर्ड नियंत्रित तथा जाँचकर्त्ता संस्था होती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा में कुशलता का विकास करना मुख्य बिन्दु होता है कि यह विद्यार्थियों में रोजगार योग्य कुशलता का विकास करने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा स्वयं के लिए नौकरी के लिए उपयुक्त अथवा वेतन आधारित रोजगार शिक्षा है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968 एवं 1980) को लागू करने के सम्बन्ध में सन् 1988 में शिक्षा के व्यावसायीकरण पर केन्द्र द्वारा आर्थिक रूप से संरक्षित योजना (CSS) पूरे देश में प्रारंभ की गई। भारत सरकार द्वारा भारी मात्रा में पूँजी उपलब्ध कराई गई।

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- राष्ट्रीय विकास
- मानव संसाधन और विकास
- कुशल मानवशक्ति के वर्तमान अंतराल को भरना
- युवाओं की रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना
- ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करना
- हाशिए पर खड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति, लड़कियों तथा महिलाओं तथा विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सशक्त बनाना तथा संपोषणीय जीवन जीने की कला का विकास करना।
- निर्धनता को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में

*भाग 8.3.1 को शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम की इकाई 11 से लिया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक उपकरण के रूप में
- कलाकारों, शिल्पकारों तथा पारंपरिक कारीगरों की कुशलताओं में सुधार लाना
- शिक्षित बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार युवाओं के लिए बहुक्षमता विकास की आवश्यक

8.3.2 विद्यालयी शिक्षा का व्यावसायीकरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं जिसकी सूची निम्न प्रकार बना सकते हैं:

स्वतंत्रता के पूर्व

आधुनिक भारतीय शिक्षा का व्यावसायीकरण ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आवश्यकताओं को मात्र अनुवाद अथवा लिपिक नौकरी के लिए शिक्षा देने से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्हें कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। इस तरह के विकास के संकेत ब्रिटिश काल के शैक्षिक दस्तावेजों, जैसे– वुड के डिस्पैच (1854) में देखा जा सकता है। **वुड के डिस्पैच (1854)** ने इस आवश्यकता को पहचाना कि लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देना है जो "भारत के लोगों को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।"

बाद में होरटोग (Hortog) समिति (1929) ने मध्यस्तर के अंत तक अधिक विद्यार्थियों को औद्योगिक अथवा वाणिज्य जीवन वृत्ति की ओर मोड़ दिया, जहाँ एबॉट की रिपोर्ट (1937) ने माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने का सुझाव दिया। सार्जेन्ट योजना (1944) में भी इसी प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया।

वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना (1937) ने गांधी की बुनियादी शिक्षा के दर्शन को स्वीकार किया (घोष, 2000) और कहा गया है कि "शिक्षा की प्रक्रिया का केन्द्र बालक के पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मानव निर्मित उत्पादक कार्य होना चाहिए"।

बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना का अनुपालन करते हुए **जाकिर हुसैन समिति (1938)** ने शिक्षा के गाँधीवादी दर्शन की समीक्षा की तथा तीन अतिरिक्त रूप से जुड़े हुए अंतरसम्बन्धित पक्षों का चयन किया: भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा पाठ्यक्रम के लिए शिल्पकार्य।

स्वतंत्रता के बाद

1951–52 में **माध्यमिक शिक्षा आयोग** ने सभी स्तरों पर तकनीकी कौशल और दक्षता को बढ़ावा देने की आवश्यकता अनुभव की (अग्रवाल, 1993)। मार्च 1952 में केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड में कहा गया है: "एक शिक्षा की प्रणाली को वास्तविक अर्थों में बुनियादी शिक्षा नहीं समझा जा सकता जब तक कि (क) वह जूनियर तथा सीनियर अवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए एक एकीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराता और (ख) शैक्षिक तथा उत्पादक पक्षों दोनों में शिल्पकार्य को स्थान देने पर पर्याप्त बल नहीं देता।

शिक्षा आयोग (1964–66) की रिपोर्ट ने राष्ट्रीय विकास को शिक्षा की मुख्य चिंता बना दिया। आयोग ने शिक्षा के पुनर्गठन को एक समान पैटर्न में परिवर्तित करने का सुझाव दिया, जिसे पूरे देश में 10+2 + 3 पैटर्न कहा जाता है, जिसमें सभी के लिए दस साल की अविभाजित शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, साथ ही + 2 स्तर पर शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं में विविधता के साथ। इसने सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक अनुभव

कार्यक्रम (WEP) के लिए और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण (VEP) के लिए शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी।

बाद में **शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986)** ने भी व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख महत्व दिया। इसमें कहा गया है कि "प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में एक व्यवस्थित, सुनियोजित तथा कड़ाई से लागू किए जाने वाले व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम का परिचय अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि कई क्षेत्रों में पहचाने गए व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए एक अलग स्ट्रीम होगी।"

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (2005) ने प्रस्तावित किया है कि:

- प्राथमिक चरण में सभी विषयों में कार्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय के बाहर काम के अवसरों को प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं और वातावरण को औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन कार्य–केन्द्रित शिक्षा के 10–12 वर्षों के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है जिसमें ये विशेषताएँ हैं:
  - अलग–अलग अवधि के लचीले और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम।
  - एकाधिक प्रवेश और निकास बिन्दु
  - गाँव, ब्लाक, कलस्टर स्तर और ज़िला स्तरों से पहुँच।
- विद्यालय की प्रणाली के बाहर स्थित संस्थाओं के लिए विकेन्द्रीकृत मान्यता और तुल्यता तंत्र।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को घटाने की दृष्टि से वर्तमान विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया। इस नीति ने व्यावसायिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कुशलता के अंतराल को कम करना मानकर इस अन्तराल को कम करने का प्रयास किया तथा अपने लक्ष्य को औपचारिक से अनौपचारिक क्षेत्र तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया। नीति के कार्यान्वयन के साथ प्रत्येक बाल कम से कम एक व्यवसाय सीखेगा और कई अन्य व्यवसायों के बारे में भी जानेगा। सन् 2025 तक शिक्षार्थियों का 50 प्रतिशत व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के बारे में जान सकेगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के एकीकरण द्वारा विद्यार्थियों के लिए "लोक विद्या" को सुलभ बनाया जाएगा। इस नीति द्वारा आने वाले समय में व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम मोड से भी प्रदान करना प्रस्तावित है।

भारत के कई आयोगों द्वारा यह भी परिकल्पना की गई थी कि देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए विविध व्यावसायिक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए युवा लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है और यह शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ एकीकृत करके किया जा सकता है। विद्यालयी शिक्षा का व्यावसायीकरण का प्रारंभ तब यही से हुआ है। यह माना गया था कि शिक्षा में कुछ विशिष्ट विषयों में, जो व्यावसायिक या तकनीकी विषय हो सकता है, आम तौर पर शिक्षा के माध्यमिक चरण तक ही सीमित होता है। इस प्रक्रिया को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा के एकीकरण को चार अंतर्संबंध चरणों के साथ विकसित किया जा सकता है:

क) **शैक्षविक शिक्षा** – जिनमें विषय के मौलिक सिद्धान्तों के बुनियादी ज्ञान की व्याख्या होती है।

ख) **पूर्व–व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण** – उपकरण तथा तकनीक का और उपकरण के विशिष्ट भाग को चलाना तथा सुरक्षित काम करने के तरीकों का वर्णन करता है,

ग) **संयत्र में अथवा नौकरी के दौरान प्रशिक्षण** – व्यावसायिक कार्य से सम्बन्धित वास्तविक कार्य करने की विधियों तथा तकनीकों को प्रशिक्षणर्थी को बताने का लक्ष्य,

घ) **सेवाकालीन प्रशिक्षण** – कुशल श्रमिकों की ज्ञान, कुशलता तथा दक्षताओं की ओर निर्देशत करता है (राव, 2003)।

ऊपर बताई गई अन्तरसम्बन्धित अवस्थाओं के एकीकृत तथा समाप्ति के बाद यह आशा की जाती है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण संभव होगा। शिक्षा का व्यावसायीकरण किसी व्यक्ति को कार्य या विशिष्ट व्यापार को कुशलतापूर्वक और कुशलता से करने में सक्षम बनाता है। जब यह कुशलता किसी संस्था से सीखी तथा प्रमाणित की जाती है, यह स्थापित करती है कि शिक्षार्थी की योग्यता किसी भी कार्य को पूर्ण करने की तथा निष्पादन करने के लिए अधिक उपयुक्त है। जब शिक्षार्थी विभिन्न स्थानों में विभिन्न कौशलों को असंगठित तरीके से सीखता है तो उन्हें ग्रेड देना तथा उनकी संभावित क्षमता का उपयोग करना कठिन हो जाता है। जब इस तरह के असंगठित, कुशल व्यक्ति को एक जगह पर केन्द्रीकृत किया जाता है, तो वे एक संसाधन बन जाते हैं, जो देश के लिए योदान देता है।

यह समझा जा सकता है कि व्यावसायिक ट्रेड का चयन शिक्षार्थी की खर्च, योग्यता तथा अभिक्षमता के अनुरूप एक शिक्षार्थी से दूसरे शिक्षार्थी में भिन्न हो सकता है। चलो अपनी कुछ रूचियाँ लिखते हैं जो माध्यमिक शिक्षा के बाद आपका व्यवसाय बन सकती हैं तथा स्नातक तक संभव हो कि आपका व्यवसाय बन जाए।

माध्यमिक शिक्षा के बाद	स्नातक के बाद

जब यह जीवन के विभिन्न खंडों को सम्मिलित करता है तो व्यावसायीकरण सफल होता है। ऊपर दी गई तालिका में हो सकता है आपने अपनी अलग–अलग आवश्यकओं की कल्पना की हो, प्रातः काल से देर रात तक जब आप अपने बिस्तर पर जाते हों, हर समय आपको अलग व्यवसाय की कुशलता के साथ आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपने माध्यमिक शिक्षा के बाद इसे चुना होगा जबकि उसी विकल्प को आप स्नातक के पश्चात् भी चुन सकते हैं।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- काम और जीवन के प्रति छात्रों के बीच एक स्वस्थ अभिवृत्ति विकसित करना।
- व्यक्तिगत नियोजनीयता को बढ़ाना।
- कुशल मानव शक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को कम करना।

- विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करना।
- पहचाने गए विस्तारित व्यावसायिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए छात्रों को तैयार करना।
- उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल के विकास पर बल देना।
- महिलाओं, ग्रामीण और आदिवासी तथा समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विकास, कैरियर में सुधार और पार्श्व प्रविष्टि के अवसर प्रदान करना।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए शिक्षा आयोग (1964–1966) की क्या प्रमुख संस्तुतियाँ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

8.4 व्यावसायिक शैक्षिक संसाधन*

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय) के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लिए नीतियों का प्रारूप तैयार करता है। भारत में वोकेशनल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग (वी.ई.टी.) के नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन की योजना बनाने वाली मुख्य एजेंसियाँ सरकारी एजेंसियाँ हैं। इसमें निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं:

केन्द्र सरकार की एजेंसियों में शिक्षा मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वी.ई.टी. कार्यक्रम चलाने के लिए उत्तरदायी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (व्यावसायिक के लिए) राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों में तकनीकी निदेशालय शिक्षा, निजी क्षेत्र, तकनीकी शिक्षा के लिए परिषदों, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) सम्मिलित हैं।

शिक्षा के विभिन्न चरणों में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न घटक हैं, उदाहरणार्थ कार्य अनुभव (Work Experience) तथा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत उद्देश्य आधारित कार्य। इन कार्यों

*खण्ड 8.4 को इग्नू के पाठ्यक्रम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य की इकाई 10 से लिया गया है।

के परिणामस्वरूप उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कार्य आधारित तथा समुदाय के लिए उपयोगी होते हैं। कार्य अनुभव श्रम, सहयोग और आत्मनिर्भरता की गरिमा विकसित करता है। कार्य अनुभव और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए, पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) के रूप में सन् 1993 में भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थापित किया गया था। यह व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय निकायों में से एक है।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और नीति विकास के लिए सुझाव देता है। शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को उनके शैक्षिक तथा तकनीकी परियोजनाओं में सुझाव तथा सहायता देता है।

इस संस्थान ने कक्षा IX से XII के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में कृषि, सुरक्षा, खुदरा, ऑटोमोबाइल, मीडिया और मनोरंजन, यात्रा और पर्यटन इत्यादि जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु यह संस्थान राज्य स्तर के अधिकारियों तथा विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में लगे हुए विद्यालयी प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

निम्न माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव का प्रशिक्षण पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक नीव बनाता है तथा प्रशिक्षण स्तर पर शिक्षार्थी को व्यावसायिक ट्रेड चुनने को सुगम बनाता है। अपनी व्यावसायिक रुचि के लिए आत्म–अन्वेषण करने में सहायता करता है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के रूप में प्राप्त होता है। यह शिक्षा एक विशेष व्यवसाय के लिए अपेक्षित दक्षताओं (ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति) का विकास करती है। वर्तमान में औपचारिक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली की स्थिति निम्नानुसार है :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institutes - ITIs) भारत में व्यावसायिक कौशल विकास के लिए सबसे सामान्य और बुनियादी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये संस्थान रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Employment and Training - DGET), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, केन्द्र सरकार के अंतर्गत गठित किए जाते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद छात्र प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए विकल्प चुन सकते हैं। सन् 2017 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 14312 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 2204 सरकारी तथा 12108 निजी हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह संस्तुति की गई थी कि विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा कार्यशैली में सुधार तथा अंतर्संबंध के लिए राज्य सरकार के एक विभाग के अंतर्गत आ सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सरलता से पहुँचा जा सकता है यहाँ तक कि जब वे देश के सभी भागों में फैले हुए हैं तथा ज़िला स्तर पर परिचालित होती हैं। प्रवेश मानदंड भी बहुत सरल हैं और फीस भी वहन योग्य है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण छात्र भी कई सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

पॉलिटेक्निक (Polytechnics) जनशक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से संस्थान हैं। सन् 2017 तक 2328 पॉलिटेक्निक थे जो 16 लाख शिक्षार्थियों को

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज पारिभाषिक रूप से वे संस्थान होते हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। उन विषयों में जिनकी प्रकृति मुख्य रूप से तकनीकी होती है। पारंपरिक पाठ्यक्रमों की तुलना में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षा, कार्यात्मक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, शिक्षा के सैद्धान्तिक पहलू की तुलना में। एक बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

नीचे उल्लिखित कुछ पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- 10 + 2 के बाद मैकेनिकल (प्रोडक्शन) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
- 10 + 2 के बाद मैकेनिकल (ऑटोमोबाइल) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

भारत का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (SDVTII), भारत में मुम्वई शिक्षार्थियों को व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कम्प्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण, हार्डवेयर प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम, गैर–आई टी कार्यक्रम जैसे उद्यमिता, कराधान, स्टॉक मार्केट विशेषज्ञता कार्यक्रम जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, टेलरिंग ट्रेड, ब्यूटीषियन ट्रेड आदि पाठ्यक्रम चलाता है। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ने नौ राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के बिजनेस ट्रेनिंग बोर्ड के साथ सहयोग किया। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान करता है। यह प्रमाणपत्र छात्रों को उनके जीवन में रोजगार और उद्यमिता के लिए अच्छे अवसर प्रदान करने में सहायता करता है।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

2) व्यावसायिक शिक्षा के दो संस्थानों के नाम लिखें।

.....

.....

.....

8.5 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की भारत में वर्तमान स्थिति*

भारत में विभिन्न संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम – औपचारिक और अनौपचारिक रूपसे प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत

*खण्ड 8.5 को इग्नू के पाठ्यक्रम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य की इकाई 11 से लिया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यालयों में +2 स्तर पर प्रदान किए जाते हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलिटेक्निक तीन वर्षों के तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। तालिका 8.1 भारत में प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों का विवरण देती है :

तालिका 8.1 : भारत में प्रदान की जाने वाली तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएँ

कार्यक्रम का नाम तथा प्रकार		प्रवेश योग्यता	पाठ्यक्रम की संख्या	नामांकन क्षमता	पाठ्यक्रम की अवधि	संस्थानों की संख्या
क)	औपचारिक कार्यक्रम					
i)	व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम (व्यावसायिक विद्यालय)	10+	160	9.72 लाख	2 वर्ष	6800
ii)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	8+ तथा 10+	67*	6.72 लाख	1 से 2 वर्ष	4591
iii)	तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रम (पॉलिटेक्निक)	10+	40	1.88 लाख	3 वर्ष	1224
iv)	यू.जी.सी. कार्यक्रम (पूर्व स्नातक स्तर)	12+	42	NA	3 वर्ष	1850
ख)	अनौपचारिक कार्यक्रम					
v)	जन शिक्षण संस्थान	योग्यता की कोई सीमा नहीं	NA	NA	छोटी अवधि के लिए	108
vi)	सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना	योग्यता की कोई सीमा नहीं	NA	4.5 लाख प्रति वर्ष	9 महीने से 3 वर्ष	675

स्रोतः राष्ट्रीय के ड्राफ्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन योजना से संकलित टीवीईटी, अप्रकाशित दस्तावेज, एमएचआरडी, जीओआई, 2003 (वैद, 2007) पर कार्यक्रम।

8.5.1 औपचारिक व्यवस्था में +2 स्तर पर व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम

विद्यालयों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा की एक अनोखी व्यवस्था है जो मूल्यों का विकास करने के अतिरिक्त मृदु तथा कठोर कुशलताओं का भी विकास करती है। व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति तथा स्वरूप, पाठ्यक्रम विकास तथा कार्य विवरण के कारण यह अन्य वर्गों से अलग होती है। हम व्यावसायिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण स्पष्ट पक्षों को देखेंगे। इसमें सम्मिलित हैं:

क) **व्यावसायिक सर्वेक्षण :** पहले से ही चल रहे पाठ्यक्रमों की आगतों को समझने में, मानव संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है। यह व्यावसायिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया जाता है:

- वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव शक्ति के विकास के लिए आवश्यक कुशलताओं को पहचानना,
- मानव शक्ति के विकास का स्तर जैसे निम्न, मध्यम तथा उच्च स्तर का अनुमान लगाना,

- लक्षित समूहों को पहचानना जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है,
- स्थानीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करना, तथा
- प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में अंतराल को पहचानना।

व्यावसायिक सर्वेक्षण में स्थानीय ज़िलों, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार कार्यालय, ज़िला विकास योजनाएँ तथा मानव शक्ति प्रक्षेपण से प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों को एकत्र करना सम्मिलित है। व्यावसायिक सर्वेक्षण करने की मुख्य बातें पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में व्यापक रूप से प्रकाषित की गई हैं। एक व्यावसायिक सर्वेक्षण द्वारा रोजगार संभावना, उदीयमान व्यवसाय, मानव संसाधन आवश्यकता तथा स्वरोजगार संभावनाओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

ख) **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन** – व्यावसायिक सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों से व्यावसायिक क्षेत्रों तथा पाठ्यक्रमों को पहचाना जाता है। पाठ्यक्रम को चयन करने का मुख्य उद्देश्य ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय बाजार के लिए मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसका अर्थ है कि चयन किए गए पाठ्यक्रम को बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ा गया गया, जिससे संभावित स्नातकों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर होंगे।

ग) **पाठ्यक्रम तथा अधिगम सामग्री का प्रारूप तैयार करना तथा विकास** – एक उत्पाद तथा सेवा उद्योग के लिए 3 कर्मचारी के लिए अपेक्षित कुशलताओं का विकास करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करना तथा विकास करना। +2 स्तर के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है – पहले भाग में भाषा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण तथा उद्यमिता विकास सम्मिलित हैं जिसे 30 प्रतिशत भार दिया गया है तथा दूसरे भाग को 70 प्रतिशत सिद्धान्तों तथा अभ्यास कार्य तथा कार्य करते हुए प्रशिक्षण (On-the-Job Training - OJT) सम्मिलित हैं।

घ) **प्रबंधन संरचना** – विद्यालयों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने के लिए संस्थान, ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के कई अभिकरण प्रबंधन संरचना का स्वरूप निर्धारित करने में लगे हुए हैं।

ङ) **परीक्षा की योजना** – प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की योजना अंकों का वितरण, वितरित भार और समय (घंटों में) का विवरण विस्तारित रूप से पाठ्यक्रम दस्तावेज में दिया गया है।

च) **विद्यालय उद्योग लिंक (School-Industry Linkage - SIL) तथा कार्य करते हुए प्रशिक्षण (On-the Job Training - OJT)**– व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से तभी लागू किया जा सकता है जब इसके लिए आवश्यक उपकरण, कार्यशाला, प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हों। कभी कभी वित्त के अभाव में सभी संस्थानों के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक संस्थान समीप के उद्योगों के साथ सहयोग करें, और उनकी सुविधाओं का उपयोग विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण में करें। यह विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य वातावरण में काम करने का अवसर देगा।

व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विद्यालय उद्योग का लिंक (School Industry Linkage - SIL) महत्वपूर्ण है। यह

उद्योगों में विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं – एक प्रशिक्षक के यप में, पाठ्यक्रम विकासकर्त्ता के रूप में। उदाहरणार्थ, कृषि आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक कृषि फार्म/डेयरी फार्मध्मत्स्य पालन फार्म, आदि फसल उत्पादन, डेयरी अथवा मत्स्य संस्कृति के लिए उद्योगों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोई भी व्यापारिक अधिष्ठान, कार्यालय, अभिकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऑन दि जॉब ट्रेनिंग कुशलताओं का विकास करती है बल्कि वास्तविक कार्य स्थिति से तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में निहित उपकरणों तथा प्रक्रियाओं से भी परिचित कराती है।

छ) **उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Production-cum-Training Centre - PTC)*** – व्यवसाय में कुशलताओं तथा दक्षताओं का विकास करने के लिए, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना आर्थिक रूप से व्यवहार्य, स्व–संपोषणीय है तथा यह विद्यालयों में एक अर्द्ध–वाणिज्यिक इकाई के रूप में कार्य करती है। यह शिक्षा तथा कार्य के अंतराल को भरता है तथा शिक्षा और समुदाय के मध्य एकीकरण को प्रोत्साहन देता है। उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के उद्देश्य हैं:

- कार्य के संसार के लिए आवश्यक कुशलताएँ, दक्षताएँ तथा अभिवृत्ति का विकास करना
- उद्यमिता कुशलताओं का विकास
- वस्तुएँ तथा सेवाओं की उपलब्धता के द्वारा संस्थानों के लिए संसाधन उत्पन्न करना
- विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना
- आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों एवं सेवाओं के द्वारा संस्थान–समुदाय के लिंक को विकसित करना
- शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देना
- विद्यार्थियों को लाभदायक स्वरोजगार के लिए तैयार करना

ज) **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण** – प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को वास्तविक जॉब परिस्थितियों तथा उनकी कुशलताओं में सुधार लाने के लिए की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए उद्योग से जोड़ दिया जाता हैय उन्हें वृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम हैं।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

3) व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमों की उद्योगों के साथ संयोजन के महत्व को लिखें।

.....

.....

.....

.....

4) व्यावसायिक सर्वेक्षण की दो उपयोगिताएँ लिखें।

.....

.....

.....

.....

8.5.2 अन्य अभिकरणों तथा अनौपचारिक और दूरस्थ माध्यम से व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

समाज की विविध आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण का महत्व होने के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनौपचारिक तथा दूरस्थ माध्यम से भी प्रदान किए जाते हैं। सामुदायिक पॉलिटेक्निक तथा जन शिक्षण संस्थान बड़ी संख्या में विभिन्न लक्षित समूहों की अनौपचारिक माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

व्यावसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार के विविध मंत्रालय विभिन्न अभिकरणों जिसमें गैर–सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, को अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। भारत सरकार का मानव संसाधन और विकास मंत्रालय "व्यावसायिक शिक्षा में नवप्रवर्त्तन कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना के अंतर्गत भी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पॉलिटेक्निक में आयोजित किए जाते हैं, तथा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षकों का प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (NCERT) तथा पूरे देश में समन्वित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त व्यावसायिक दक्षताओं को प्रोत्साहित करने के लिए +2 स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रम और कैरियर उन्मुख शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनकी देखरेख किया जाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समर्थित हैं। अन्य मंत्रालय जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सम्मिलित हैं – समाज कल्याण और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय।

विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत प्रमुख व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका 8.3 में दिए गए हैं:

तालिका 8.3: विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

माध्यम	अभिकरण	मंत्रालय समर्थन
1. नॉन	सामुदायिक पॉलिटेक्निक अभिकरण	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
	कम्युनिटी कॉलेज ऑफ इण्डिया	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
	जन शिक्षण संस्थान (JSS)	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
	कृषि विज्ञान केन्द्र	कृषि मंत्रालय
	खादी ग्राम उद्योग केन्द्र	उद्योग मंत्रालय
	ज़िला औद्योगिक केन्द्र	उद्योग मंत्रालय

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (VET)

दूरस्थ शिक्षा द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को एक बड़े लक्षित समूह तक पहुँचाया जा सकता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) इस क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अध्ययन केन्द्रों तथा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों (Accredited Vocational Institutions - AVIs) में कौशल विकास पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। लक्षित समूहों में सम्मिलित हैं – विद्यालय को बीच में छोड़े हुए छात्र, अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को बीच में छोड़ कर गए छात्र, लड़कियाँ, महिलाएँ, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धनता रेखा से नीचे वाला समूह, अशिक्षित, शिक्षित बेरोजगार तथा वयस्क। इन कार्यक्रमों में नामांकन संख्या विद्यार्थियों की पहुँच के अनुसार बदलती रहती है। तालिका 8.4 इन कार्यक्रमों के बारे में कुछ सूचना प्रदान करती है :

तालिका 8.4: दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण

अभिकरण	पाठ्यक्रमों की संख्या	अध्ययन केन्द्रों / AVI की संख्या	प्रवेष योग्यता
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (NOS) के रूप में सन् 1990 में स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS)	85	851	मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान कक्षा 4 से उच्च माध्यमिक तक
इग्नू सन् 1985 में स्थापित	77	–	उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र

NOS – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
NIOS – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान
IGNOU – इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
AVI – मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

5) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लाभों को संक्षेप में लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.6 व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्व*

व्यावसायिक की सकारात्मक तथा प्रभावी भूमिका हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान में तथा निर्धनता को दूर करने में काफी प्रमाणित तथा पहले भी बताई गई है। इस विषयवस्तु को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम कुछ अन्य विषयवस्तु जैसे दृष्टि, कार्य, लक्ष्य तथा उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे।

8.6.1 मानव संसाधन और विकास के लिए शिक्षा

व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण का प्रमुख कार्य उन विद्यार्थियों को एक विकल्प प्रदान करना है जो किसी एक कारण या अन्य किसी कारण से सामान्य शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते अथवा सामान्य शिक्षा लगातार ले नहीं सकते। इस उद्देश्य के साथ, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करती है:

i) विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए विविध शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराना,

ii) कुशल मानव संसाधनों की माँग और पूर्ति के मध्य असंतुलन को कम करना, तथा

iii) उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना।

क) क्षेत्र तथा विस्तार

विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं से बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, मात्र 10 से 50 प्रतिशत बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समक्ष हो पाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों में उन विद्यार्थियों के लिए विकल्प के रूप में लगती है जो नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। ऐसे भी बहुत से वयस्क सीखने वाले हैं जिन्हें अपनी कुशलताओं में सुधार लाने अथवा नई कुशलताएँ सीखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसे वे अपने जीवन के लिए कमाने में उपयोग कर सके। लड़कियों, महिलाओं तथा हाशिए पर खड़े समूहों जिसमें अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सम्मिलित हैं, को सशक्त बनाने के लिए बाजार योग्य कुशलताओं का विकास करने की आवश्यकता है। संक्षेप में लक्षित समूह जिसे व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, में सम्मिलित हैं:

- 14 से 25 वर्ष के आयु समूह के मध्य युवा जो सामान्य शिक्षा जारी नहीं रख पाते,
- युवा/विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के योग्य नहीं,
- लड़कियाँ, महिलाएँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तथा अल्पसंख्यक,
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी,
- वयस्क अधिगमार्थी, जो अपनी कुशलताओं में सुधार चाहते हैं।

विद्यालय छोड़ने वालों की घटना बहुत से देशों में देखी जाती है विशेष रूप से विकासशील देशों में। उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता का समर्थन किया जाता है। यूनेस्को की आख्या बताती है "युवा लोगों की जॉब के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण एक व्यंजन विधि के रूप में शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित करने की प्रवृत्ति है।"

*खण्ड 8.6 को इग्नू के पाठ्यक्रम शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा : इसके परिप्रेक्ष्य की इकाई 11 से लिया गया है।

यूनेस्को की संस्तुतियाँ, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सुझाव देती हैं:

- सामान्य शिक्षा का एक आंतरिक भाग
- व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए युवा वर्ग को तैयार करने का एक माध्यम तथा कार्य के संसार में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए तैयार करने का एक माध्यम
- पर्यावरण के लिए उपयुक्त संपोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण तथा
- निर्धरता दूर करने को सुविधाजनक बनाने का एक मापन।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कई लक्ष्यों की पूर्ति होगी जैसेः

- युवाओं का सर्वांगीण विकास तथा उनकी रोजगार योग्यता को बहुसंख्यक कुशलताओं को सशक्त करके बढ़ाना
- राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायता
- आर्थिक तथा तकनीकी नवप्रवर्त्तन जो हो रहे हैं उनकी सहायता से विर्निर्माण तथा सेवा क्षेत्र की माँगों को पूरा करना
- शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी तथा अल्प–बेरोजगारी के स्तर को कम करना।
- कलाकारों तथा शिल्पकारों जोकि पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं उनकी कुशलताओं में सुधार को सुविधाजनक बनाना।
- व्यावसायिक शिक्षा की सर्वांगीण वृद्धि के लिए देश के प्राकृतिक भौतिक तथा मानव संसाधनों के संपोषणीय तथा उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करना
- ग्रामीण तथा हाशिए के वर्गों की स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों को सुधारने में सहायता करना
- उद्यमिता उत्पन्न करने वाले पारंपरिक रोजगारों को विज्ञान तथा तकनीकी आगतें उपलब्ध करा कर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।
- ज्ञान व्यवस्था, ज्ञान समाज तथा ज्ञान कर्मियों का विकास
- रोजगार बाजार का चरित्र बदलने के लिए उपयुक्त कुशलताओं को प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना।

ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम के क्षेत्र

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को छः व्यापक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं :

i) कृषि
   - डेयरी प्रौद्योगिकी
   - फसल उत्पादन
   - बागवानी
   - अंतर्देशीय मत्स्य
   - कुक्कुट उत्पादन

ii) व्यापार तथा वाणिज्य
   - एकाऊंटेन्सी एवं ऑडिटिंग

- बैंकिंग
- एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट अभ्यास और प्रलेखन
- बीमा
- खरीद और बिक्री

iii) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी

- एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन
- इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत
- घरेलू उपयोग
- भवन निर्माण
- ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी
- सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन

iv) स्वास्थ्य और पैरामेडिकल

- हॉस्पिटल हाउस कीपिंग
- चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन
- नेत्र संबंधी तकनीशियन
- एक्स – रे तकनीशियन
- स्वास्थ्य / स्वच्छता निरीक्षक

v) गृह विज्ञान

- बेकरी और कन्फेक्शनरी
- खानपान और भोजनालय प्रबंधन
- वाणिज्यिक परिधान डिजाइनिंग और बनाना
- खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण
- पूर्व–विद्यालय और बालबाड़ी प्रबंधन

vi) मानविकी, शिक्षा और अन्य

- आंतरिक सज्जा
- पर्यटन और यात्रा प्रबंधन
- वाद्य संगीत – तबला
- वाणिज्यिक कला
- पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

6) भारत के युवा राष्ट्र होने की उपयोगिताओं को संक्षिप्त में लिखें।

.....

.....

.....

8.6.2 राष्ट्र निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्र विकास का आकलन करने वाले सूचकों में सम्मिलित हैं – पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या की शैक्षिक स्थिति तथा अन्य जनसमूह के समृद्धि स्तर, अच्छी गृह सुविधा, संचार तथा अनुयोजकता के संदर्भ में। डॉ. ए.पी.जे. कलाम की पुरा (PURA) संकल्पना विकसित भारत के विजन 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण दिशा है। आवश्यकता है ऐसे कार्यबल के विकास की जो अपने ज्ञान तथा कुशलता से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में, व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्र विकास की अविलंब आवश्यक है।

जैसा कि गुरू (1999) ने बताया था कि "भारतीय जीवन में मानव संसाधन और विकास करने की अंतर्निहित व्यवस्था है जिसके द्वारा हमारे किसान, शिल्पकार, बर्तन बनाने वाले, जुलाहे आयुर्वेदिक, चिकित्सा प्रैक्टिषिनर्स तथा अन्य अपने शिल्पों को सीखते हैं जिसमें विज्ञान तथा तकनीकी तथा कुशलताओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रशिक्षण का माध्यम प्रशिक्षुता के रूप के समान होता है जिसमें बच्चा बड़ों के समर्थन तथा निर्देशन में सीखता है। जबकि परिवार आधारित अधिगम महत्वपूर्ण है, तब भी गाँव के कलाकारों तथा किसानों को अपनी कुशलता तथा ज्ञान में सुधार की आवश्यक है ताकि उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

यह अनिवार्य है कि सर्वांगीण राष्ट्र निर्माण के लिए संपोषणीय आधार तथा विभिन्न क्षेत्रों के जैसे कृषि, बायो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा की आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में नीति तथा प्रबंधन संरचना के शीर्षस्थ मानव संसाधन का निर्माण के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं में संयोजन का विकास किया जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है क्योंकि आज भी 60 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान उसमें लगे कार्यबल से भी कम है। कृषि कार्य में लगे हुए लोगों में से बड़ी संख्या में लोगों ने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा फार्म कर्मचारियों की दक्षताओं में सुधार के लिए बहुत ही सीमित प्रयास किए गए हैं। अतः कृषि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यक है। इस क्षेत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

8.6.3 ज्ञान अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा

इक्कीसवीं सदी ज्ञान युग से सम्बन्धित होगी, जहाँ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान पर स्वामित्व तथा ज्ञान का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण संसाधन होगा। अतः विकासशील देशों जैसे भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत ज्ञान समाज के रूप में पूर्ण विकसित हो तथा उन मार्गों तथा माध्यमों का परीक्षण करें जिसके माध्यम से भारत ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को रूपांतरित कर सके।

ए.पी.जे. कलाम तथा पिल्लई

डॉ. कलाम के दृष्टिकोण से ज्ञान समाज के विकास द्वारा ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह सोचा जाए कि ज्ञान जो एक प्राथमिक उत्पादन संसाधन है, को धन में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। ज्ञान समाज की यह मूलभूत विशेषता है कि सशक्त समाज का विकास करने के लिए इसमें स्वस्थ, संपन्न तथा

शांतिपूर्वक जीने की संभावनाओं को खोजना तथा उसमें उत्तम होना सम्मिलित है। ज्ञान समाज की विशेषताएँ ए.पी.जे. कलाम तथा पिल्लई द्वारा उनकी पुस्तक ''एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन'' में पहचानी गई हैं। जिसमें सम्मिलित हैं:

i) ज्ञान का इसके संघटकों तथा प्रयत्नों द्वारा लोगों को सशक्त तथा संपन्न बनाने में उपयोग

ii) सामाजिक रूपांतरण के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में ज्ञान का उपयोग

iii) समाज की योग्यताओं को उत्पन्न करना, ग्रहण करना, प्रसारित करना, तथा

iv) ज्ञान का संरक्षण करना तथा आर्थिक संपन्नता तथा सभी संघटकों के लिए सामाजिक वस्तु उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग करना।

ज्ञान समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता करेगा जो संपन्नता को उत्पन्न करने में योगदान देगा। भारत में युवा मानव संसाधन अधिक है जो विशेषकर तकनीक में नवप्रवर्तन के योग्य हैं। इन संसाधनों का ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास में प्रयोग करने के लिए, एक सघन तथा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की अविलंब आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अच्छा शासन का एकीकृत विकास लाभदायक परिणाम लाएगा, जैसे – रोजगार अवसरों का बढ़ना, राष्ट्रीय उत्पादकता तथा औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना, समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तीकरण, जिसमें महिलाएँ तथा अल्पसंख्यक समूह सम्मिलित हैं तथा इन्हें ज्ञान समाज के संघटक सदस्यों के रूप में रूपांतरित करेगा।

8.6.4 समाज के हाशिए के वर्गों के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals - MDGs) के लक्ष्य "सभी के लिए शिक्षा" ;Education For All - EFA) की ओर बढ़ते हुए "सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा" (Vocational Education for All) के लक्ष्य को नीति तथा नियोजन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण ने व्यावसायिक शिक्षा की माँग को बढ़ाया क्योंकि यह जागरूकता बढ़ी कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यावसायिक शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम एक समावेशी शिक्षा के अधिगम केन्द्र के रूप में विशेष रूप से हाशिए के वर्गों को लाभ पहुँचाता है। व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण जो उनकी कुशलताओं को बढ़ाता है वह जीवनपर्यन्त शिक्षा व्यवस्था के विकल्प के रूप में लोचनीय तथा समय सीमा से परे होना चाहिए।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने वाले छात्र के अन्दर इन समूहों को सम्मिलित करने हेतु एक लोचशील वितरण व्यवस्था आवश्यक है। अतः बहु–प्रवेश तथा बहु–निकास व्यवस्था वाली व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की अत्यंत आवश्यकता है। इन समूहों के लिए कम अवधि के माड्यूलर पाठ्यक्रम जो विभिन्न समयावधि में हो, उचित होंगे। ये पाठ्यक्रम उन्हें इस तरह प्रदान किए जाएँ कि उनकी जीवनचर्या प्रभावित न हो और वे अपनी आजीविका भी कमा सकें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समता और पहुँच के साथ पूरे देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को नियोजित, डिजाइन तथा लागू करने की आवश्यकता है। सरकार से आर्थिक सहायता लेकर ब्लाक स्तर पर जनशिक्षण संस्थान तथा नए व्यावसायिक संस्थान वर्तमान

विद्यालयों में अतिरिक्त समय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकते हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाभकारी होगी। सामाजिक संसक्तता का निर्माण करने में "व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक आशाजनक उत्तर होगा जो सभी के लिए ज्ञान, दक्षता तथा आर्थिक संभावनाओं द्वारा परिभाषित एक सामाजिक क्रम का निर्माण करेगा जो अगर जारी रह गया तो सामाजिक संसक्तता का निर्माण करेगा (अग्रवाल, 1999)।

8.6.5 विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 2.19 करोड़ लोग जो पूरी जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत होंगे वे किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हैं। सामान्यतया लोगों में पाँच प्रकार की दिव्यांगता होती है – दृष्टि, श्रवण, वाक्, गति अथवा मानसिक। भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों की चिन्ता और कल्याण के लिए तीन कानून बनाए हैं, जिनमें से एक शिक्षा के समान अवसरों से सम्बन्धित है।

नीतियाँ तथा राजतंत्र हमेशा समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमा सभी निवासियों के लिए विशेष रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति जो दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित है, कहती है "विगत वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज के प्रत्यक्षण में बहुत व्यापक तथा सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। यह अनुभव किया गया कि दिव्यांग व्यक्ति भी बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन जी सकते हैं यदि उन्हें समान अवसर तथा पुनर्वास मापकों में प्रभावी पहुँच मिले। दिव्यांग व्यक्तियों को समर्थन देने के लिए दिव्यांग व्यक्ति (Person with Disabilities – PWD) अधिनियम, 1995 में पारित किया गया। इस कार्य योजना का उद्देश्य मानसिक/शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए ताकि वे सामान्य समाज के एक भाग के रूप में विकसित हो सके। जीवन की चुनौतियों को वे साहस तथा आत्मविश्वास से सामना करें, इसके लिए कदम उठाने की आवश्यक है।"

दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में, शिक्षा तथा प्रशिक्षण सशक्त उपकरण होते हैं जो उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं तथा आजीविका के लिए आर्थिक आधार का विकास करते हैं। इस उद्देश्य के लिए सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्रीय नीति वक्तव्य में इसके पुनर्वास उपाय भी सम्मिलित हैं, "शैक्षिक पुनर्वास में व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है।"

दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर विभिन्न समूहों के लिए विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक अभिकरण/संस्थाएँ कार्यरत हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की मानवशक्त को तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सात राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। वे हैं:

i) शारीरिक दिव्यांग संस्थान, नई दिल्ली

ii) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग संस्थान, देहरादून

iii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान, कोलकाता

iv) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान, सिकंदराबाद

v) राष्ट्रीय श्रवण बाधित दिव्यांग संस्थान, मुंबई

vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक

vii) बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई।

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

1) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का महत्व लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

8.7 केन्द्र और राज्य स्तर पर योजनाएँ

आइए, पहले हम कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समझते हैं जो देश भर में चलते हैं। केन्द्रीय रूप से नियोजित और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तीन श्रेणियाँ हैं:

क) शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम – राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से सम्बन्धित देश भर के केन्द्रों (ITI) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में इंजीनियरिंग तथा गैर–इंजीनियरिंग ट्रेड्स में एक वर्ष से दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ख) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम – सन् 1961 के अधिनियम के अनुसार, विभिन्न उद्योगों के प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिए एक साल से चार साल तक के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा कार्यक्रम पूर्ण होने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (NAC) प्रदान किया जाता है।

ग) उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सहयोग से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सन् 1977 में उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का निर्माण आधुनिक उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने के लिए किया गया है। इन योजनाओं को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs), उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रारंभ किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती विषय होने के नाते केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। राज्य स्तर पर, सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी हैं।

एक केन्द्र द्वारा आर्थिक रूप से प्रायोजित योजना, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु सन् 1988 में प्रारंभ की गई थी जो राज्यों द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा औपचारिक क्षेत्रों के लिए गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा गैर–औपचारिक क्षेत्रों के लिए संचालित की गई। वर्तमान व्यावसायिक योजना लचीलापन और गतिशीलता का एक उत्पादन है, जो बाजार की तेजी से बदलती माँग पर और सामाजिक आकांक्षाओं पर आधारित है। इन माँगों को पूरा करने के लिए, कई प्रबंधन संरचनाएँ और योजनाएँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित और कार्यान्वित की जाती हैं। ये योजनाएँ दक्षतापूर्वक नियोजित तथा लागू की गई हैं। इनकी निगरानी भी उसी के अनुसार की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा पर नीति निर्माण तथा युक्तिपूर्वक निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह योजना राज्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन, क्षेत्र व्यावसायिक पढ़ाई, पाठ्यक्रम की तैयारी, पाठ्यपुस्तक, कार्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, प्रशिक्षण संसाधन पुस्तक, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने और मूल्यांकन आदि सुगम बनाता है। यह अल्पकालिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। योजना अब तक 9619 विद्यालयों में 21,000 वर्गों के बुनियादी ढाँचे बना चुकी है। इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर दिया गया कुल अनुदान 765 करोड़ रुपया है। विभिन्न समितियोंध्समीक्षा समूहों की सिफारिशों के आधार पर, माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वत्रमान योजना को संशोति किया जा रहा है। अन्य उद्देश्यों में +2 स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लेना लिंग पूर्वाग्रह, सामाजिक–आर्थिक और दिव्यांगता बाधाओं को दूर करना सम्मिलित है। माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना और सन् 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण करना सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएँ हैंः (i) अतिरिक्त कक्षा कक्ष, (ii) प्रयोगशालाएँ, (iii) पुस्तकालय, (iv) कला और शिल्प कक्ष, (v) शौचालय ब्लॉक, (vi) पीने के पानी का प्रावधान और (vii) दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास।

इसी प्रकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) का प्रस्ताव रखा, जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्र की कुशलता में उन्नयन करना। ज्ञान के संदर्भ में एक से दस की योग्यता की श्रृंखला की व्यवस्था के द्वारा, अर्ध–कुशल और अकुशल जनसंख्या के लिए नियोजनीयता की बेहतर व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (2013) के प्रमुख तत्व निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करते हैं :

- अंतरराष्ट्रीय समानता के लिए अग्रणी विभिन्न स्तरों पर कौशल प्रवीणता और दक्षताओं को पहचानने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत
- व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बाजार के बीच बहुविकल्पीय प्रवेश और निकास,
- कौशल योग्यता ढांचे के अंतर्गत परिभाषित प्रगतिशील पथ
- आजीवन सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अवसर
- उद्योग/नियोक्ताओं के साथ साझेदारी
- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय तंत्र राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (2013) का उद्देश्य एक रूपरेखा प्रदान करना है :
- भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था की विविधता को समाहित करता है, प्रत्येक स्तर पर योग्यताओं के समुच्चय के विकास की अनुमति देता है। जो पूरे राष्ट्र द्वारा स्वीकृत परिणामों पर आधारित है।
- प्रगति पथों के विकास और रखरखाव के लिए संरचना प्रदान करता है, जो योग्यताओं

तक पहुँच प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों और श्रम बाजार के बीच सरलता से और सरलता से आगे बढ़ने में सहायता करता है।

- व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनके पूर्व शिक्षण और अनुभवों के लिए मान्यता प्राप्त करने का विकल्प देता है।
- भारतीय योग्यता की मूल्य और तुल्यता की बढ़ी हुई मान्यता के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अनुरूप योग्यता वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का समर्थन करता है और बढ़ाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुसार, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इस प्रयास की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों तथा व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

कौशल विकास कार्यक्रमों की कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (ATS)
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
- शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
- कौशल विकास पहल योजना (SDIS)
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIS)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
- एकीकृत कौशल विकास योजना (ISDS)
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDPS)
- उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDPS)
- सेवा प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण की योजना (हुनर से रोजगार तक) पहल
- पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कार्यक्रम मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से व्यावहारिक सीखना (AVI)
- जन शिक्षण संस्थान
- आदिवासी युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन

बोध प्रश्न

क) नीचे दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें

8) भारत में संचालित तीन प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

9) व्यावसायिक शिक्षा की किसी योजना के बारे में लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

8.8 सारांश

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को राष्ट्र में शिक्षा के विचार का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए गतिशील राष्ट्रीय संदर्भ में अपने हिस्से को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए और भारत के लिए रचनात्मक जनसांख्यिकी लाभांश के परिणामों का आनंद लेने के लिए, उन्हें चलायमान, समकालीन, प्रासंगिक, समावेशी और व्यावसायिक बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को फिर से परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को प्रासंगिक और रचनात्मक बनाने के मार्ग में कई मजबूत मुद्दे और चुनौतियाँ हैं। योग्य शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति, नियमों और प्रमाणन में अंतर, अपर्याप्त संपर्क, रोजगार बाजार की असंतुलित माँग, आपूर्ति, असहायधारण और सार्वजनिक मानसिकता, सरकारी संस्थाओं तथा विनियमित तंत्र के मध्य समंजन का अभाव, अप्रचलित पाठ्यक्रम स्वायत्तता का अभाव, आदि।

सरकार, पर्यवेक्षकों की एक टीम स्थापित कर सकती है जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के मामलों की निगरानी, नियंत्रण और कार्यान्वयन के बेहतर तरीकों पर सरकार को सलाह देगी। आपको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि आपका ज्ञान देश के आर्थिक उत्थान और सामाजिक विकास का जनक है। वे देश जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल के स्तर में सुधार किया है वे ही वैश्विक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने में अधिक सफल और प्रोत्साहक हुए हैं। हमारा देश ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य में परिवर्तित हो रहा है। आपकी क्षमताओं से निर्धारित किया जाएगा, आप लोग जो ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से उत्पन्न, बाँटना तथा उपयोग कर सकेंगे। इस संक्रमण के लिए सभी रचनाकारों को ज्ञान रचनाकारों को विकसित करने की आवश्यक होगी जो अधिक लचीले, तार्किक, अनुकूलनीय और बहुकौशल होंगे। नई ज्ञान अर्थव्यवस्था में, कौशल समुच्चय में पेशेवर, प्रबंधकीय, परिचालन और व्यवहार, अंतर व्यक्तिगत और अंतर कार्यात्मक कौशल सम्मिलित होंगे।

8.9 इकाई की समाप्ति पर अभ्यास कार्य

1) शिक्षा के व्यावसायीकरण में आई.टी.आई. की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच करें।

2) अपने जिले/राज्य में व्यावसायिक शिक्षा की पहलों का अन्वेषण करें और बताएँ कि वहाँ किस मॉडल का पालन किया जा रहा है?

3) अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी कौशल विकास केन्द्र पर जाएँ और कौशल भारत में इसके कार्यों और योगदान पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

भारत सरकार (1964–66). शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964–66), नई दिल्लीः शिक्षा मंत्रालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). एमएचआरडी, भारत सरकार, नई दिल्ली

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2007). रिकमेंडशेन्स ऑन वोकेशनल एजुकेशन, पप्17–19

एनसीईआरटी (2007). पोजिशन पेपर्स, नेशनल फोकस ग्रुप पेपर ऑन "वर्क एंड एजुकेशन", नई दिल्ली, एनसीईआरटी

एन.एस.क्यू.एफ. (2013). नेशनल स्किल डेवलेपमेंट। एम.एस.डी.ई., भारत सरकार, वेबसाइट https://www.nsda.gov.in/nsqf को पुनः प्राप्त हुआ।

पेरिस, के. (1994). ए लीडरशिप मॉडल फॉर प्लानिंग एंड इम्पलीमेंटशन चेंज फॉर विद्यालय टू वर्क ट्रांन्सीशन मॉडल, मैडिसन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन–मैडिसन, सेन्टर ऑन एजुकेशन एंड वर्क

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (1999). शिक्षा का व्यावसायिककरणः नए मिलेनियम के लिए परिप्रेक्ष्यः एक चुनौती, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के दिशानिर्देश, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ओरिएंटेशन गाइड ऑन वोकेशनलिसेशन ऑफ एजुकेशन, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षणः चुनौतियां और रणनीतियाँ, साचटी, ए.के., वर्मा ए.पी. एवं मेहरोत्रा वी.एस., द्वारा संपादित, भोपालः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षणः वर्तमान अभ्यास और भविष्य के निर्देश, पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्टः पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

राव वी. (2003). वोकेशनल एजुकेशन, नई दिल्ली, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन।

स्टोक्स एच., एवं अन्य (2006). स्कूल्स, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड पार्टनरषिपः

कैपेसटी–बिल्डिंग इन रूरल एंड रीजनल इकानॉमिक्स, नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल एजुकेशन रिसर्च, ऑस्ट्रेलिया

यूनेस्को (1996). लर्निंग द ट्रेजर विदइन – रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर दि ट्वंटी–फर्स्ट सेंचुरी, पेरिसः यूनेस्को।

यूनेस्को (2002). टेक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचिंग फॉर द ट्वंटी–फर्स्ट सेंचुरी, यूनेस्को और आई.एल.ओ. रिकमेंडेशन

संयुक्त राष्ट्र (2002). रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड सुमिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलेपमेंट, जोहान्सबर्गः संयुक्त राष्ट्र

वैद, डी.के. (2007) नेशनल फोकस ग्रुप पेपर ऑन वर्क एंड एजुकेशन, नई दिल्लीः एनसीईआरटी

वेंकटैया एस. (2000). वोकेशनल एजुकेशन, नई दिल्लीय अनमोल पब्लिकेशन प्रा. लिमिटेड।

8.11 अपनी प्रगति की जाँच के लिए उत्तर

1) आयोग ने शिक्षा को पूरे देश में 10+2+3 पैटर्न एक समान पैटर्न में पुनर्गठन करने का सुझाव दिया, जिसमें सभी स्तरों पर शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं में विविधता लाने के लिए दस साल की अविभाजित शिक्षा को +2 स्तर पर रखा गया। इसने सामान्य शिक्षा में कार्य अनुभव कार्यक्रम (WEP) और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (VEP) के व्यावसायिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी।

2) पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल और भारत का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई।

3) व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से तभी लागू किया जा सकता है जब इसके लिए आवश्यक उपकरण, कार्यशालाएँ, प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हों। अतः यह आवश्यकता हो जाता है कि प्रत्येक संस्थान समीप के उद्योगों के साथ सहयोग करें और उनकी सुविधाओं का उपयोग विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में करें। इसके साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए उद्योगों में विशेषज्ञों को एक प्रशिक्षणकर्त्ता, पाठ्यक्रम विकासकर्त्ता के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4) i) वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मानवशक्ति का विकास करने के लिए आवश्यक कुशलताओं को पहचानाना।

   ii) स्थानीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन।

5) दूरस्थ शिक्षा की मुक्तता तथा लोचनीयता की विशेषता के कारण व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दूरस्थ माध्यम से विविध लक्षित समूहों जैसे मध्य में विद्यालयी शिक्षा छोड़ने वालों, अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को बीच में छोड़ने वालों, लड़कियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धनता रेखा से नीचे वाला समूह, अशिक्षित, शिक्षित बेरोजगार तथा अल्पबेरोजगार युवा तथा वयस्कों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

6) भारत के युवा राष्ट्र होने के लाभ हैंः

   i) युवाओं की ऊर्जा को संरचनात्मक तथा उत्पादनात्मक कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ii) कुशल तथा सृजनशील मानव शक्ति को संपन्नता उत्पन्न करने वालों में रूपांतरित किया जा सकता है।

7) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके आत्मविश्वास का निर्माण करने तथा आजीविका के लिए आर्थिक आधार विकसित करने का सशक्त उपकरण है।

8) शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

9) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY